शनिवार, 7 अगस्त 1982

16 श्रावण, 1904 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

नौवाँ सत्र

[खंड 1 में अंक 1 से 11 तक हैं]

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

विषय-सूची

सभापटल पर रखे गये पत्र 4

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति 5

कार्यवाही—सारांश

राज्य सभा से संदेश 5

अविलंबनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना 5

प्रेस की स्वतंत्रता को कम करने के कथित प्रयासों का समाचार

श्री अजित बाग 5

श्री आर० वेंकट रामन 9

प्रो० पी० जे० कुरियन 14

श्री राम स्वरुप राम 24

श्री मूलचन्द डागा 21

श्री जयपाल सिंह कश्यप 30

सभा का कार्य 35

लौह अयस्क खान तथा मैंगनीज अयस्क खान श्रम कल्याण उपकर (संशोधन) विधेयक और लोह—अयस्क खान तथा मैंगनीज अयस्क खान श्रम कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक 47

विचार करने का प्रस्ताव

श्री ई० बालानन्दन 47

श्रीमती जयन्ती पटनायक 51

श्री जगपाल सिंह 55

श्री राम सिंह यादव 57

श्री चित्तामणी पाणिग्रही 60

श्री रामावतार शास्त्री 63

डा० सुब्रहमण्यम स्वामी 66

श्री जेवियर अराकल 99

श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा 71

श्री एस० मुरुगैयन 73

श्री हरिकेश बहादुर 75

श्री भागवत झा आजाद 79

(एक) लौह अयस्क खान तथा मैंगनीज अयस्क खान श्रम कल्याण उपकर (संशोधन) विधेयक

खंड 2 से 11 और 1

पास करने का प्रस्ताव

श्री भागवत झा आजाद 80

(दो) लौह अयस्क खान तथा मैंगनीज अयस्क खान श्रम कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक

खंड़

पास करने का प्रस्ताव

श्री भागवत झा आजाद 81

सार्वजनिक वक्फ (परिसीमा का विस्तारण) (दिल्ली संशोधन) विधेयक 82

विचार करने का प्रस्ताव

श्री ए० ए० रहीम 82

श्री अब्दुल समद 83

श्री समीनुद्दीन 85

श्री सैयद मसुदल हुसैन 87

श्री नारायण चौबे 88

श्री जैनल बशर 89

श्री गुलाम मोहम्मद खान 91

श्री कृष्ण दत्त सुलतानपुरी 93

श्री रतन सिंह राजदा 95

श्री जमीलुर्रहमान 100

श्री कमला मिश्र मधुकर 101

श्री मुजफ्फर हुसैन 103

श्री अशफाक हुसैन 104

खंड़ 2 और 1

पास करने का प्रस्ताव-

श्री ए० ए० रहीम 107

संसद-सदस्यों को एशियांई खेलों के टिकटों की बिक्री के बारे में वक्तव्य 93

श्री बूटा सिंह 93

लोक सभा

शनिवार, 7 अगस्त 1982/16 श्रावण 1904 (शक)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

श्री रामविलास पासवान ; अध्यक्ष जी, मैंने एक नोटिस दिया है। प्रधान मन्त्री विदेश से आई हैं। उन्होंने कहा है कि उनकी अमरीका यात्रा बहुत अच्छी रही है। लेकिन जो बुनियादी प्रश्न हैं, लेबनान का है, पाकिस्तान का है या तारापुर का है।

अध्यक्ष महोदय : अनुमति नहीं है। अप्रसांगिक कुछ माननीय सदस्य खड़े हो गये। (व्यवधान)

रक्षा और गृह मन्त्री (श्री आर० वेंकटरामन) : अध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ एक बात का जिक्र करना चाहता हूं। इसके बाद आप किसी भी बात के बारे में कह सकते हैं। अध्यक्ष महोदय जिस दिन यह मामला उठाया गया, उसी दिन मैंने जिला मजिस्ट्रेट से सूचना देने के लिए कह दिया था। उन्होंने दूरभाष पर दी गई जानकारी दी है। मैंने उनसे कहा है कि दुरभाष पर दी गई जानकारी आप मुझे इसकी लिखित को मैं नहीं मान सकता, सूचना भेजें। मैं इसे एक दिन बाद, सोमवार को पेश करूंगा। जैसे ही यह मुझे प्राप्त होगी, मैं इसे सभापटल पर रख दूंगा। इसलिए इस सबकी कोई जरूरत नहीं है।

श्री राम विलास पासवान : मैंने विधिवत नोटिस दिया है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने इसकी अनुमति नहीं दी है। इसको स्वीकार नहीं किया गया है। प्रोग्राम फार नैवस्ट वीक के बारे में बताना हो तो बता दीजिए।

(व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान : आप सुन तो लें।

अध्यक्ष महोदय : क्यों सुन लूं ? यह वैध नहीं है। यह गलत है. आप मेरा समय नष्ट न करें।

श्री राम विलास पासवान : मैंने इस विषय पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया है। मैंने स्थगन प्रस्ताव का भी नोटिस दिया है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने स्थगन प्रस्ताव की स्वीकृति नहीं दी है। जब वक्त आयेगा तब सारा होगा। हर काम में वक्त लगता है।

श्री राम विलास पासवान : सुनने में क्या वक्त लगता है ?

अध्यक्ष महोदय : मैंने इसकी अनुमति नहीं दी है।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप जो कुछ कह रहे हैं इस वक्त यह ठीक नहीं है,।

श्री राम विलास पासवान : मैं तो आपसे आग्रह कर रहा हूं कि प्रधान मन्त्री को आने पर स्टेटमेन्ट देना चाहिए। क्या यह प्रधान मन्त्री का कर्त्तव्य नहीं है कि वे सदन में आकर स्थिति के बारे में जानकारी दें ?

अध्यक्ष महोदय : आयी तो है नहीं वह और आप पहले से कर रहे हैं ।

श्री राम विलास पासवान : क्या वह नहीं आयीं हिन्दुस्तान में ?

अध्यक्ष महोदय : आयी हैं, लेकिन कुछ वक्त लगता है।

गृह मन्त्री महोदय, क्या इस देश में कोई एकाधिकार अधिनियम है या नहीं ?

श्री आर० वेंकटरामन : केवल एक ही एकाधिकार अधिनियम है जो कि श्री पासवान पर लागू होना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य हर मामले पर एकाधिकार रखने की कोशिश करते हैं

(व्यवधान)

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी (बम्बई उत्तर पूर्व) : श्रीमन, हर रोज हम सुनते हैं कि बम्बई हाई में आग लगी हुई है। इतने करोड़ रुपये का नुकसान हो गया है । लेकिन सदन को इसकी सही स्थिति की सूचना नहीं है। श्रीमन् वहां पर क्या हो रहा है ?

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने इस पर वक्तव्य दिया हे। अगर कोई और जानकारी होगी तो वे इसकी सूचना सदन को दे ही देंगे।

श्री हरीश कुमार गंगवार (पीलीभीत) : अध्यक्ष जी, मुझे दो छोटी बातें कहनी हैं। जितने भी बड़े त्यौहार हैं होली, दिवाली, दशहरा आदि सब रेस्ट्रिक्टेड होलीडेज कर दी गई हैं।

अध्यक्ष महोदय ; उनके लिए बिलकुल वही स्थिति है···

श्री वेंकट सुब्बैया ; आपको छुट्टियों के बारे में कुछ कहना था।

श्री आर० वेंकट रामन ; हमने सभी नेताओं के साथ मिलकर एक बैठक की थी, जिसमें

* कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

छुट्टियों के प्रश्न पर विचार किया गया था। असल में स्थिति यह है कि वर्तमान व्यवस्था, केन्द्रीय सरकार की सेवाओं के कर्मचारियों के साथ, जिनका ये सम्बन्ध है। चर्चा करने के बाद की गई उनके विचार से वर्तमान व्यवस्था सही है और वे इसे चाहते हैं। लेकिन मैं आपकी भावनाओं का आदर करता हूं मैंने नेताओं को कहा है कि अगर वे चाहें तो हम दशहरा और दिवाली को अनिवार्य राष्ट्रीय छुट्टियों में शामिल कर लेते हैं और कर्मचारियों द्वारा मानी गई अन्य तीन वैकल्पिक छुट्टियों को छोड़ देते हैं। अगर उन्हें यह मान्य है तो अभी तक उन्होंने इसकी सूचना मुझे नहीं दी है।

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि आप अगली बैठक करके इसका फैसला कर लेंगे।

श्री हरीश कुमार गंगवार : राष्ट्रीय एकता के जो प्रयास हैं उसमें बाधा हो रही है।

अध्यक्ष महोदय : मीटिंग में रख कर लेंगे।

श्री हरीश कुमार गंगवार : दूसरे यह जो आपकी टी० वी० है वह हमारी ठीक से रिपोर्टिंग नहीं करता है।

अध्यक्ष महोदय : साठे साहब सुन रहे हैं।

प्रो० मधु दण्डवते : (राजापुर) श्रीमन, मैं आपका ध्यान आकर्शित करना चाहता हूं। कई महीनों से दो महत्वपूर्ण नोटिस विचाराधीन हैं। जब कभी भी किसी महत्वपूर्ण सरकारी प्राधिकरण के विरूद्ध विशेषाधिकार का प्रस्ताव दिया जाता है तो उन्हें जल्दी से निपटा दिया जाता है लेकिन जब श्री अंतुले मुख्य मन्त्री थे, तब से मेरे विरूद्ध महाराष्ट्र विधान सभा में विशेषाधिकार प्रस्ताव विचाराधीन है।

अध्यक्ष महोदय ; मैंने आपको स्पष्ट कर दिया था।

(व्यवधान)

प्रो० मधु दंडवते : नहीं, नहीं। कल ही मुझे बताया गया है, कि यह अभी तक विचाराधीन है।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने कहा है कि इसे निपटा दिया गया है।

प्रो० मधु दण्डवते : क्या निपटा दिया गया है। तो फिर भूतपूर्व मुख्यमन्त्री को कहना चाहिए कि इसे निपटा दिया गया है।

अध्यक्ष महोदय : घबराइए नहीं, मैं पूर्व दृष्टान्तों के आधार पर ही चलूंगा।

प्रो० मधु दण्डवते : आप मेरे विरूद्ध विशेषाधिकार के प्रस्ताव को इतने दिनों तक विचाराधीन क्यों रखना चाहते हैं ? जब प्रधान मन्त्री के विरूद्ध विशेषाधिकार रखा जाता है, तो आप इसे तीन दिनों में निपटा देते हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं हमेशा ही जानकारी प्राप्त करता हूं और उसके अनुसार कार्यवाही करता हूं। लेकिन हर मामले में ऐसा नहीं होता।

प्रो० मधु दंडवते : लेकिन इसमें कितना समय लगेगा ?

अध्यक्ष महोदय : मैं सूचना मिलने पर निर्णय लूंगा ।

प्रो० मधु दण्डवते : दूसरी बात यह है कि दूसरे सदन में आप पर आक्षेप लगाया गया है । मैंने श्री हिदायतुल्लाह के विरूद्ध विशेषाधिकार का प्रस्ताव पेश किया है, मुझे नहीं मालूम कि उसका क्या हुआ है ।

अध्यक्ष महोदय : आप बात करेंगे मेरे से ।

प्रो० मधु दंडवते : ठीक है मैं आपसे बात करूंगा ।

श्रीमती प्रमिला दंडवते (बम्बई उत्तर मध्य) : अध्यक्ष जी, मैंने 115 में नोटिस दिया था 15 दिन से ज्यादा समय हो गया और होम मिनिस्टर ने अभी तक हमें जबाब नहीं दिया ।

अध्यक्ष महोदय : छोड़िए । आ जायगा जल्दी क्यों करती हैं ।

सभा पटल पर रखे गए पत्र

केन्द्रीय तिब्बती विद्यालय प्रशासन, नई दिल्ली के वर्ष 1980-81 के वार्षिक लेखें और विलम्ब के कारण बताने वाला विवरण भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर और खड़गपुर के क्रमशः वर्ष 1979-80 व 1980-81 के वार्षिक लेखे तथा विलम्ब के कारण बताने वाला विवरण दिल्ली विश्व विद्यालय, दिल्ली के वर्ष 1980-81 के वार्षिक लेखे और विलम्ब के कारण बताने वाला विवरण ।

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखती हूं :—

(केन्द्रीय तिब्बती विद्यालय प्रशासन, नई दिल्ली, के वर्ष 1980-81 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रन्थालय में रखे गए । देखिए एल० टी० संख्या 4422)

(3) प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम, 1961 की धारा 23 की उपधारा (4) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर, के वर्ष 1979-80 के वार्षिक लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।

[ग्रन्थालय में रखे गए । देखिए एल० टी० संख्या 4423/82)

(दो) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर, के वर्ष 1980-81 के वार्षिक लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रन्थालय में रखे गए । देखिए एल०टी० संख्या 4424/82]

(5) (एक) दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली के वर्ष 1980-81 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।

(दो) उपर्युक्त (एक) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए बिलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रन्थालय में रखे गए । देखिए एल०टी० संख्या 4425/82]

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति

कार्यवाही – सारांश

श्री पी० वी० राजू (बोवली) : मैं सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति की 2 अगस्त 1982 को हुई बैठक का कार्यवाही-सारांश (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं ।

राज्य सभा से संदेश

सचिव : मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्न संदेश की सूचना सभा को देनी हैं ।

"राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 186 के उप-नियम (6) के उपबंधों के अनुसरण में मुझे विनियोग (संख्यांक 3) विधेयक, 1982 को, जिसे लोक सभा द्वारा अपनी 2 अगस्त 1982 की बैठक में पारित किया गया था, और राज्य सभा को उसकी सिफारिशों के लिए भेजा गया था, वापिस लौटाने का और यह बताने का निदेश हुआ है कि इस सभा को इस विधेयक के संबंध में कोई सिफारिशें नहीं करनी हैं ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

प्रेस की स्वतन्त्रता को कम करने के कथित प्रयासों का समाचार

श्री अजित बाग (सीरमपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित अविलम्बनीय लोक महत्व

के विषय की ओर गृह मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और यह निवेदन करता हूं कि वह इस पर एक वक्तव्य दें।

"प्रेस की स्वतन्त्रता को कम करने के लिए कतिपय राज्यों के कथित प्रयास और उस बारे में सरकार की प्रतिक्रिया"।

रक्षा तथा गृह मंत्री (श्री आर० वेंकटरामन) : भारत सरकार भाषण तथा अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता जिसमें प्रेस की स्वतन्त्रता भी शामिल है, की संवैधानिक गारन्टी के प्रति निष्ठा रखती है।

2. माननीय सदस्य सम्भवतः बिहार विधान सभा द्वारा पारित भारतीय दण्ड संहिता और दण्ड प्रक्रिया संहिता (बिहार संशोधन) विधेयक, 1982 का उल्लेख कर रहे हैं

3. राज्य सरकार के अनुसार समाचार पत्रों, पत्रिकाओं आदि में अनेक ऐसे लेखा प्रकाशित हुए हैं जिनमें बहुत अभद्र अथवा अश्लील बातें होती हैं इससे सरकारी कर्मचारियों के कर्तव्य निर्वहन में उनके मनोबल पर असर पड़ता है। अतः स्थिति से निपटने के लिए राज्य सरकार द्वारा विधान प्रस्तुत किया गया था।

4. भारतीय दण्ड संहिता और दण्ड प्रतिक्रिया (मद्रास संशोधन) विधेयक 1960 तथा भारतीय दण्ड संहिता और दण्ड प्रतिक्रिया संहिता (उड़ीसा संशोधन) विधेयक, 1962 में इसी प्रकार की व्यवस्थाएं की गई थी इन दोनों को राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति दी गई थी। तमिलनाडु राज्य के बाद में एक संशोधन द्वारा 1960 के अधिनियम में दी गई कुछ सजाओं में वृद्धि की। इस संबंध में तमिलनाडु विधेयक को 1982 में राष्ट्रपति की स्वीकृति दी गई थी।

5. बिहार विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भारत सरकार को प्राप्त नहीं हुआ है।

श्री अजित बाग : महोदय बिहार सरकार ने बहुत अभद्र तथा अश्लील बातों अथवा ब्लैक-मेल करने वाली बातों को रोकने का तर्क देकर प्रेस की स्वतन्त्रता को नियन्त्रित करने के लिये एक बहुत ही असाधारण कदम उठाया है। लेकिन यह असाधारण उपाय उतना निर्दोश नहीं है जैसा कि बिहार के मुख्य मंत्री इसके बारे में दावा करते हैं यह बात अवश्य है कि अपनी बात को प्रमाणित करने के लिए बिहार सरकार इस प्रकार के विज्ञापनों पर लाखों रूपये खर्च कर रही है। यह कानून जिसको कि बहुत ही असाधारण तरीके से अपनाया गया है प्रेस की स्वतन्त्रता के नाम पर जो कुछ थोडी बहुत अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता बची है उसको समाप्त करने के साधन के अलावा कुछ भी नहीं है। यह काला विधेयक एक आपत्तिजनक विधान जिसके द्वारा भारतीय दण्ड संहिता 'तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता, को संशोधित किया जा रहा है लोकतन्त्र की जड़ में ही आघात करता है। यह कानून सरकारी अधिकारियों को शक्ति प्रदान करता है। किसी प्रकार की अभद्र तथा अश्लील सूचना को अथवा ब्लैकमेल करने वाली बातों को जिनको कि वे आपत्तिजनक समझे अथवा जिससे प्रशासन के निरूत्साहित होने की सम्भावना हो संज्ञेय तथा गैर-जमानती अपराध मान सकते हैं, यह पहले अभियोग के लिये दो वर्ष की सजा अथवा दोनों की व्यवस्था करता है। दूसरे अथवा बाद के अभियोगों के सम्बन्ध में पाँच वर्ष की सजा जुर्माने सहित है।

इसके अतिरिक्त महोदय मजिस्ट्रेट को सरकार की स्वीकृति से इन अपर करने की शक्ति-प्रदान की गई है। यह न्यायपालिका की शक्तियों का खुले रूप से उ

हम इस विधान को कठोर तथा आपत्तिजनक आदि की संज्ञा क्यों दे रहे हैं इसलिए कहा है। महोदय, कि आपने इस विधेयक में देखा होगा कि पत्रकारों को क तथा डकैतों से भी अधिक अपराधी समझा गया है, क्योंकि उनकी तो जमानत भी की है लेकिन इस काले विधेयक के अनुसार एक दोषी पत्रकार की जमानत करने के विशेष क्षी छीन लिया गया है। एक साधारण पुलिस अधिकारी भी एक पत्रकार को किसी भ गिरफ्तार कर सकता है और बिना मुकदमा चलाये ही उसको छः महीने तक जेल में है। उनको यह शक्ति पहले किये गये एक संशोधन [दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973,(विहार विधेयक, 1982] के द्वारा प्रदत्त की गई है।

इस काले विधेयक का प्रस्ताव ऐसे भारतीय निराशावादी राजनीतिज्ञों के सम्बन्धित हैं, जो रोंगटे खड़े कर देने वाले भ्रष्टाचार कदाचार राजनीतिक फुसलाव और नृसीपन के लिये प्रसिद्ध हैं। इस प्रकार के नारकीय कृत्यों की अनेकों कहानियां जैसे कि गोटाला. ट्रस्ट कार्य सम्बन्धी घोटाले, तेल के सौदे सम्बन्धी विवरण समाचार-पत्रों में प्रका चुके हैं।

विहार के मुख्य मंत्री द्वारा एक तांत्रिक की सलाह पर 108 बकरों की बलि करने प्रकार खून में नहाने से सम्बन्धित इस प्रकार की एक अद्यतन कहानी समाचदर पत्रों में प्र हुई, जिससे वह अत्यधिक नाराज हुए और समाचार-पत्रों पर रोक लगाने के लिए ए असामान्य कठोर कदम उठाया। जिससे कि पत्रकार इस प्रकार की अन्य कहानियों को प्र नकर सकें, क्योंकि ऐसा समझा जाता है कि अनेक पत्रकारों के पास इस प्रकार की अनेक ह गरीब कहानियाँ प्रकाशित किये जाने के लिये पड़ी है।

लेकिन महोदय, इस बीच इस प्रकार के अन्य समाचार भी प्रकाशित होते रहे हैं, कि हरिजनों तथा अल्पसंख्यकों पर किये गये अत्याचार भागलरपुर में बन्दियों को अन्धा जाना माफिया के कार्यकलाप, धनवाद में बी. सी. एल. के लेखा विभाग के एक लेखा प श्री एस०एस०दास की हत्या, बैंक में किया गया कथित घोटाला जिसमें कि स्वंय मुख्य मं दोषी हैं स्वंय मुख्य मंत्री द्वारा बन्धुआ मजदूरों का कथित शोषण आदि सम्मिलित हैं। इस प्र सैकड़ों नहीं तो दर्जनों उदाहरण मौजूद हैं।

महोदय, इस प्रकार की सच्ची घटनाओ को प्रकाशित करना क्या अभद्र तथा अ कार्य है ? क्या ऐसा करने से ब्लैकमेल होता है ? महोदय इस प्रकार के विधान द्वारा व प्र स्वतन्त्रता पर रोक लगाना चाहते हैं और इसके स्थान पर उनके प्रति निष्ठा रखने वाली कारिता करने वाली प्रेस को स्थोपित करना चाहते हैं। हमें पूरा यकीन है कि वे ऐसा क सफल नहीं हो पायेगें।

बिहार सरकार द्वारा किये गये इस निन्दनीय कार्य की क्या हम राज्य का मामला क

उपेक्षा कर सकते हैं ? नहीं महोदय, इस प्रकार की कार्यवाही चाहे बिहार में हो अथवा तमिलनाडू में अथवा उड़ीसा अथवा जम्मू तथा कश्मीर में अथवा देश के किसी अन्य भाग में वह सभी स्वतन्त्रता प्रेमियों तथा संवैधानिक मूल अधिकारों का अनुसरण करने वालों के लिये तथा प्रेस की स्वतन्त्रता के लिये बहुत ही चिन्ता का विषय है संसद में बैठकर हम प्रेस के अधिकारों के साथ हो रहे खिलवाड़ की अनदेखी नहीं कर सकते ।

महोदय राजनीतिक कार्यों में बढ़ती हुई तानाशाही प्रवृत्तियों तथा बढ़ते हुए खतरों के परिणाम स्वरूप ही तर्कसंगत बताकर यह असामान्य तथा आपत्तिजनक कदम उठाया गया है, जिनके बारे में इस गरिमायुक्त सदन में कई बार काफी चिन्ता व्यक्त की गई है ।

महोदय, वर्तमान चरण में यह स्थिति शारीरिक आक्रमणों तथा हत्याओं के मामलों से प्रारम्भ हुई, जैसा कि उड़ीसा की उस घटना से स्पष्ट है जिसमें न केवल एक पत्रकार पर हमला किया गया बल्कि उसकी पत्नी के साथ बलात्कार किया गया और उसकी हत्या की गई । पत्रकार पर इस प्रकार आक्रमण तमिलनाडु आन्ध्रप्रदेश, महाराष्ट्र तथा अन्य स्थानों पर किये गये । अभी हाल में इस प्रकार की घटना जयपुर में हुई । मैं दिनांक 5 अगस्त, 1982 के "दी टाइम्स आफ इण्डिया,, में प्रकाशित एक समाचार का उदाहरण देता हूं :—

> "पुलिस के एक उप-निरीक्षक के साथ कुछ झड़प होने के बाद पुलिस ने एक पत्रकार को गिरफ्तार किया, उसको हथकड़ी लगाई और उसको सड़कों पर घुमाया ।"

इनसे हमें आन्तरिक आपातकाल के काले दिनों की याद आ जाती है जब प्रेस की स्वतन्त्रता छीन ली गयी थी और समाचार पत्रों आदि का बड़े पैमाने पर सैंसर किया जाता था । टैगोर, महात्मागाँधी और पंडित नेहरू के उद्धारणों तक भी सेंन्सरशिप की पकड़ से नहीं बचे थे ।

परन्तु अन्त में लोग विजयी हुए । भारतीय जनता ने दमनकारी उपायों को उचित उत्तर दिया और अन्ततः लोगों के मूलभूत अधिकारों के पुनः प्रदान किये जाने के साथ-साथ प्रेस की स्वतन्त्रता भी वापस आ गयी थी ।

क्या ये घटनायें जो आजकल बिहार में हो रही हैं कोई अलग घटनायें है । क्या इन सब घटनाओं का स्वरूप एक जैसा ही नहीं है जो ऊपर से फैलता है ।

हाल ही में हमने यह देखा कि केन्द्रीय सरकार की आलोचना करने पर प्रधान मंत्री ने प्रेस को बहुत अधिक फटकारा । कई अवसरों पर कहा गया कि प्रेस विपक्ष की भूमिका निबाह रही है । अन्य मंत्रियों के कुछ भाषणों ने, जिनमें सूचना और प्रसारण मंत्री भी सम्मिलित थे, रास्ता पक्का कर दिया तथा और इस इशारे को राज्य के तानाशाहों ने प्रेस के पवित्र अधिकारों को निर्दयता से कुचलने के लिए समझ लिया । इस सबसे केवल खतरनाक भविष्य का आभास होता है । आकाश में फिर से काले बादल मंडरा रहे हैं । जनता की स्वतन्त्रता में इस भद्दी बाधा को समाप्त करने के लिए एक मजबूत तथा संगठित विपक्ष की तुरन्त आवश्यकता है । भूतकाल में ऐसे सभी प्रयत्नों को विफल कर दिया गया है। हमारी इस स्वतन्त्रता पर अंग्रेज भी अपने

तानाशाही नियन्त्रण को जारी नहीं रख सके और न स्वतन्त्र भारत के शासक ही स्वतन्त्रता को कुचलने में सफल हो सके ।

फिलहाल कुछ शासक इस भ्रम में होंगे कि वे अपने दमनकारी उपायों को जारी रख सकेंगे । परन्तु प्रसिद्ध फ्रांस लेखक मोन्टेनय के शब्दों में "संसार के सबसे ऊंचे सिंहासन पर बैठे हुये भी हम अपने अवशेषों पर ही बैठे हैं ।"

इस संदर्भ में मैं माननीय मंत्री से कुछ बातें जानना चाहूंगा । पहली यह है कि सरकार प्रेस की स्वतन्त्रता की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाने का विचार कर रही है । दूसरे क्या केन्द्रीय सरकार राष्ट्रपति को ऐसे काले विधेयक को जो प्रेस की स्वतन्त्रता को कुचलता हो अपनी सहमति न देने की सलाह देगी । अन्त में क्या केन्द्रीय सरकार प्रेस की स्वतन्त्रता के सम्बन्ध में अपनी पुरानी नीति को अपनायेगी और बिहार सरकार को यह सलाह देगी की वह व्यक्तिगत पत्रकार अथवा प्रेस के किसी वर्ग की गलती सम्बन्धी मामला केवल भारतीय प्रेस परिषद के माध्यम से ही तय करे ?

रक्षा एवं गृह मंत्री (श्री पी० बेंकटरामन) : माननीय सदस्य बहुत लम्बा-चौड़ा आधार लेकर बोले हैं। संविधान के अनुच्छेद 19 में अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता का प्रावधान किया गया है और उसी अनुच्छेद 19 (2) के अन्तर्गत स्वतन्त्रता का विनियमन करने के लिए उचित प्रतिबन्धों का अधिनियमन करने की व्यवस्था भी की गयी है । अतः प्रश्न यह है कि जो विनियमन बिहार सरकार करने का प्रयास कर रही है क्या वह संविधान के अनुच्छेद 19 (2) के प्रावधानों के अन्तर्गत है अथवा नहीं । वही मुख्य प्रश्न है जिस पर हमें विचार करना है ।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी (बम्बई उत्तर पूर्व) : क्या आपने इस पर दृढ निश्चय कर लिया है ।

श्री आर० वेंकटरामन : नहीं, मैं आपसे कहूंगा । क्योंकि आप जल्द बाज व्यक्ति हैं और आप हमेशा (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : एकदम कोई निष्कर्ष निकाल लेते हैं ।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : ठीक निष्कर्ष निकाल लेता हूं ।

श्री आर० वेंकटरामन : ऐसी बातों में कुद पड़ते हैं जहाँ से आप कभी प्रकृतिस्थ नहीं होते, अभी मैं आपको दिखाऊंगा कैसे । (**व्यवधान**) मैं अपने तर्क की धारा से अलग नहीं हटूंगा । माननीय सदस्य ने बिहार के मुख्य मंत्री के विरुद्ध बहुत से आरोप लगाये हैं (**व्यवधान**)

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : जो ठीक है ।

श्री आर० वेंकटरामन : मैं कहता हूं वे चर्चा से बिल्कुल असंगत है (**व्यवधान**)

श्री रामविलास पासवान (हाजीपुर) : उधर के लोग भी इस बात को कहेंगे कि 18 के खून से ।··· (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : आप में भी इसमें मतभेद हैं। आप 18 कह रहे हैं और वे 108 कह रहे हैं। कौन सा सही है ?

श्री रामविलास पासवान : ये हते हैं कि यह टोटली इनकरैक्ट है। ···(**व्यवधान**)

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : वहाँ की एन्टायर गवर्नमेंट भ्रष्टाचार में डूबी हुई है।

अध्यक्ष महोदय : आप कोई प्रश्न नहीं पूछ सकते। ध्यानाकर्षण में इसकी कोई अनुमति नहीं होगी। (**व्यवधान**)

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : नियम 353 (1) के अन्तर्गत में कह सकता हूं कि मुख्य मंत्री ने कहा कि वह लोकतान्त्रिक है, बल तांत्रिक शब्द पर दिया गया है।

श्री आर० वेंकटरामन : जो आरोप माननीय सदस्य ने लगाये उनको मैंने पूरे धैर्य के साथ सुना है मैंने एक बार पलक भी नहीं झपकी।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : अब आपके ऊपर किसी बात का असर नहीं होता।

श्री आर० वेंकटरामन : परन्तु मैं अपने प्रति भी वैसा ही व्यवहार चाहता हूं।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : कोई व्यवधान नहीं।

श्री सोमनाथ चटर्जी (जादवपुर) : कभी कभी शालीन व्यवधान हो सकते हैं।

श्री आर० वेंकटरामन : मैंने कहा है कि यह जो चर्चा हम कर रहे हैं यह उससे संगत नहीं है और यह कहना मेरा अधिकार है। आप अपनी यह राय बना सकते हैं कि यह संगत है। मुझे अपनी यह राय बनाने का अधिकार है कि यह संगत नहीं है। आप मेरी राय को चुनौती नहीं दे सकते।

श्री रामविलास पासवान : आप गृह मन्त्री है, यह आपकी व्यक्तिगत राय नहीं है, आपकी राय सरकार की राय है।

श्री आर० वेंकटरामन : हाँ मैंने बिल्कुल यही कहा है। अब यदि कोई विवाद उठाता है ···(**व्यवधान**)

श्री सोमनाथ चटर्जी : आपको इस प्रकार के तर्कों की शरण नहीं लेनी चाहिए। आप अपनी सलाह दीजिए।

श्री आर० वेंकटरामन : यदि कोई विवाद होता है कि यह संगत है अथवा नहीं, तो इस बात का निर्णय अध्यक्ष महोदय करेंगे कि यह संगत है अथवा नहीं परन्तु आप यह कभी नहीं कह सकते कि यह संगत नहीं है···

अब आरोप कोई प्रमाण नहीं है और मैं पुनः कहता हूं कि वे केवल आरोप हैं और सिद्ध

नहीं किये गये हैं। इसलिए यह कल्पना करना कि किसी के विरुद्ध निरन्तर झूठे आरोप लगाये गये तो वह सत्य हो जाते हैं, गलत है। इसलिए जिस हद तक वे आरोप होने लायक हैं हम उन पर उतना ही ध्यान दे सकते हैं।

फिर बिहार सरकार ने कहा है कि बहुत से अवसर ऐसे रहे जहाँ पर कुछ अप्रतिबंधित प्रकाशनों ने कानून और व्यवस्था के बनाये रखने में तथा प्रशासन के चलाने में परेशानी पैदा की है। उदाहरण के लिए उन्होंने कहा है कि मई 1981 में बिहार शरीफ में एक समाचार एजेन्सी द्वारा यह कहा गया था कि एक कुंए के पानी में जहर मिला दिया गया था, जिससे लोगों में बहुत भय फैल गया। क्या कोई भी उत्तरदायी समाचार एजेन्सी इस प्रकार के वक्तव्यों का प्रचार करेगी और क्या ऐसे प्रकाशनों को प्रकाशित किया जाना जनता और संसद सदस्यों के लिए उचित है ?

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : नहीं, नहीं। आपको उसका खण्डन करना चाहिए और पाठकों को वह समाचार पत्र मत खरीदने दीजिए।

श्री आर० वेंकटरामन : यह ठीक नहीं है। जहाँ यह लाखों लोगों के जीवन को प्रभावित करे क्या वहाँ आप हमसे यह कह सकते हैं 'आप उसका खण्डन विरोध करो' और इसके बाद उसका खण्डन हो फिर और उस खण्डन का भी खण्डन किया जाये **(व्यवधान)**

कम से कम, मेरे विद्वान मित्र, डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी इस मामले में तो अमानवीय हैं। क्या यह ठीक है ? **(व्यवधान)**

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : उनकी यह धारणा गलत थी कि मैं शुरू में मानवीय था। यदि ऐसा होता तब मुझे इस सदन का सदस्य बनने के लिए अयोग्य सिद्ध कर दिया जाता।

(व्यवधान)

श्री आर० वेंकटरामन : इसका एक उदाहरण भी था। **(व्यवधान)** मेरी भी वही धारणा थी।

एक अन्य उदाहरण है जिसमें प्रेत में यह कहा गया था कि एक व्यक्ति की बिना किसी कारण से बलि दे दी गयी। इस तरह की बातों पर नियंत्रण किया जाना चाहिए। सदन को मेरी इस बात पर सहमत होना चाहिए कि यद्यपि प्रेस की स्वतन्त्रता की तो रक्षा की जानी चाहिए, परन्तु उसके दुरुपयोग को हमेशा दबाया जाना चाहिए। यदि आप इससे सहमत नहीं है, तो उसका कोई आधार नहीं है। क्या यह दुरुपयोग है या नहीं, इसका निर्णय करना न्यायालय का काम है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : उन्हें गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाएगा।

श्री आर० वेंकटरामन : क्या दुरुपयोग हुआ है या नहीं इसका निर्णय करना न्यायालय का काम है। सदन को मेरी बात से सहमत होना चाहिए कि यह कि प्रेस की स्वतन्त्रता की तो रक्षा की ही जानी चाहिए परन्तु ऐसे अवसरों पर प्रेस के दुरुपयोग को हमेशा समाप्त किया

जाना चाहिए। और सदन को इस मामले पर एकमत होना चाहिए। यह उदाहरण लीजिए एक आरोप लगाया गया था कि मुख्य मंत्री ने 108 बकरों को मार डाला।

श्री रामा अवतार शास्त्री (पटना) : 21

श्री आर० वेंकटरामन : इस तरह के कथन से अधिक हास्यपद बात और क्या हो सकती है।

श्री रामविलास पासवान : मैं इसको सिद्ध कर सकता हूं। यदि गृह मंत्री इस चुनौती को स्वीकार करें, तो मैं इसे सिद्ध कर सकता हूं (**व्यवधान**)

श्री रतनसिंह राजदा (बम्बई दक्षिण) : यदि यह वास्तविकता सिद्ध हो जाये तो क्या आप मुख्य मंत्री से पद त्याग करने के लिए कहेंगे ?

श्री रामावतार शास्त्री : इसका खण्डन नहीं किया गय ।

श्री आर० वेंकटरामन : कानून में यह प्रावधान किया गया है कि जो बात कही गयी है यदि वह सच है और जनता के हित में है तो उसकी सुरक्षा की जानी चाहिए। अतः यदि यह कथन सच है और लोकहित के लिए कहा गया है, तो इसकी रक्षा की जाएगी। और उस व्यक्ति पर मुकद्दमा चलाकर उसे दोषी ठहराया जा सकता। अतः यदि यह बात सच है और यदि व्यक्ति इसे न्यायालय में सिद्ध करने में समर्थ है तो निश्चय ही वह इस कानून के उपबन्धों के अन्तर्गत नहीं पकड़ा जाएगा ।

श्री सोमनाथ चटर्जी : आप सभी गलत बातों का समर्थन कर रहे हैं।

श्री आर० वेंकटरामन : आप यदि गलत कारणों का नहीं तो उनका समर्थन कर रहे हैं जिन पर आप पराजित हो चुके हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : आंतरिक सुरक्षा अधिनियम मामले में, कोई व्यक्ति बन्दी प्रत्यक्षीकरण का आश्रय ले सकता है। क्या आप समझते हैं कि यह उस कारण से ठीक है ।

डा०सुब्रह्मण्यम स्वामी : क्या श्री जगन्नाथ मिश्र मास्को अनुसरण कर रहे हैं या चीन का? (**व्यवधान**)

श्री रामविलास पासवान : श्री पांडे इस बारे में जानते हैं। यह उनके सामने हुआ था । गृह मंत्री यह कैसे कह सकते हैं कि यह गलत है ?

श्री रामावतार शास्त्री : यह संख्या 108 नहीं 21 थी। (**व्यवधान**)

श्री आर० वेंकटारमन : यह भी रिपोर्ट मिली है कि वह एक विधायक का खून पीने जा रहे हैं। इस तरह की बातों पर नियन्त्रण किया जाना चाहिए ।

पूरा प्रश्न है: क्या प्रेस की स्वतन्त्रता का अर्थ यह है कि उसे बिना किसी उचित नियंत्रण

के जो कुछ वह कहना चाहे वह कहने का निर्बाध अधिकार है चाहे उसका समाज और प्रशासन पर कुछ भी दुरुप्रभाव पड़े अथवा उसके परिणाम कुछ भी निकले ?

प्रश्न केवल यही है । कानून में इसी उद्देश्य से प्रावधान रखा गया है । इस अवस्था में मैं यह नहीं कह रहा हूं कि क्या सरकार उस पर सहमति देने जा रही है या नहीं, क्योंकि वह स्थिति अभी नहीं आई है । जब विधान सभा में राज्य का विधेयक पारित कर दिया जाता है तो राज्यपाल के सामने तीन विकल्प होते हैं ।

श्री रामविलास पासवान : 5 मिनट में 60 संशोधन सहित (**व्यवधान**) आप कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन मैं अपनी बात जारी रखूंगा । संख्या 1, वह स्वयं विधेयक की मंजूरी दे सकता है, संख्या 2, वह इस पर पूनर्विचार करने के लिए उसे विधान सभा को वापिस भेज सकता है, और संख्या 3 वह उसे राष्ट्रपति द्वारा विचार किए जाने के लिए आरक्षित रखा सकता है ।

श्री सोमनाथ चटर्जी : हम यह जानते हैं ।

श्री आर० वेंकटरामन : मैं इसे श्री सोमनाथ चटर्जी के लिए नहीं बता रहा हूं, जो यह सब जानते हैं । इसे अन्य लोगों को समझा रहा हूं ।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : यह बुर्जुआवादी कानून हैं, उन्हें इसकी जानकारी नहीं भी हो सकती ।

श्री सोमनाथ चटर्जी : उनका मतलब है कि प्रेस की स्वतन्त्रता का अर्थ है कुछ बुर्जुआवादी···(**व्यवधान**)

श्री आर० वेंकटरामन : श्री सोमनाथ चटर्जी आसानी से काम खत्म करने की सोच रहे हैं । आखिर हम भी उन्हें नहीं चाहते ।

डा सुब्रह्मण्यम स्वामी : मैं उन्हें पाँच मिनट में समाप्त कर दूंगा ।

श्री आर० : **वेंकटरामन** भौतिक रूप से ?

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : नहीं, शारीरिक रूप से नहीं यदि यह कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित किया जाए तो आप उसी कानून के अधीन मुझ पर भी मुकदमा चला देंगे ?

श्री आर० वेंकट रामन : जब विषय समवर्ती सूची में हो और यदि राज्य द्वारा कानून पारित किया जाता है जो केन्द्र द्वारा पारित कानून के विरूद्ध हो तो यह तब तक वैध नहीं माना जाएगा जब तक इसे राष्ट्रपति की स्वीकृति न मिल जाए इस मामले में कतिपय बातों में यह दण्ड प्रक्रिया संहिता के विरूद्ध है और जब तक इसे राष्ट्रपति की स्वीकृति नहीं मिलती तब तक यह वैद्य नहीं होगा । राज्यपाल को इसे सुरक्षित रखना होगा और राष्ट्रपति की स्वीकृति हेतु केन्द्र के पास भेजना होगा । तत्पश्चात इस सम्पूर्ण मामले में न्यायिक निर्णय देने तथा स्वीकृति देने अथवा स्वीकृति न देने का काम सरकार का होगा । वह स्थिति अभी नहीं आई है । विधेयक पारित कर दिया गया है स्थिति यह है ।

प्रो० पी० जे० कुरियन (मवेलीकारा) : मैंने माननीय गृह मन्त्री के वक्तव्य का अध्ययन किया है मैंने देखा है कि उन्होंने बहुत ही चतुराई से इसे तैयार किया है। उन्होंने कहा है कि भारत सरकार समाचार-पत्रों की स्वतन्त्रता में विश्वास रखती है । उन्होंने बिहार सरकार अथवा उस विधेयक के सम्बन्ध में कोई टिप्पणी नहीं की है। सौभाग्यवश उन्हें वह विधेयक प्राप्त नहीं हुआ है, इसीलिए उन्होंने इस पर अपने विचार व्यक्त नहीं किए हैं। मुझे विश्वास है कि हमारे माननीय मन्त्री महोदय श्री वेंकटरामन जैसे वरिष्ठ तथा निष्पक्ष सज्जन व्यक्ति को जब यह विधेयक प्राप्त होगा तब वह निश्चय ही न्यायपूर्वक और निष्पक्ष निर्णय देंगे तथा बिहार सरकार को विधेयक वापस लेने की सलाह देंगे उन्होंने अपने विचार व्यक्त इसीलिए नहीं किए हैं क्योंकि उनकी पहले से ही यही राय है···

(व्यवधान)

उनकी राय यह हो सकती है। मैं उनके दल की राय के बारे में नहीं कह रहा हूं अपितु उनकी व्यक्तिगत राय के बारे में कह रहा हूं। मैंने कहा है कि उनकी निष्पक्षता, उनके दीर्घ प्रशासकीय अनुभव उनकी वरिष्ठता (व्यवधान) के कारण मैं उनमें सभी गुण देखता हूं।

श्री बाग को अपने उत्तर में उन्होने कहा है कि समाचार-पत्रों की स्वतन्त्रता को कम करने का संविधान में उपबन्ध है। परन्तु मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार मनमाने ढंग से इसे कम करने का दण्ड दे सकती है। यहाँ प्रश्न यह है कि बिहार में दण्ड प्रक्रिया संहिता संशोधन विधेयक के उपबन्ध हैं मैं कोई कानूनी पंडित नहीं हूं, अतः मैं इस या उस बारे में प्रश्न नहीं कर सकता। परन्तु एक बात आप अच्छी तरह जानते हैं। इसके अनुसार उन्होंने कुछ मामलों में न्यायिक मजिस्ट्रेट और कार्यकारी मजिस्ट्रेट के अन्तर को समाप्त कर दिया है। और विचाराधीन इस विधेयक के अनुसार कोई भी मजिस्ट्रेट मामलों को निपटा सकता है। अतः यदि किसी समाचार पत्र में कुछ प्रकाशित होता है तो सम्बन्धित व्यक्ति पर आरोप लगाकर उसे किसी भी मजिस्ट्रेट, जो सिविल कर्मचारी, कार्यकारी मजिस्ट्रेट हो सकता है, के समक्ष पेश किया जा सकता है और दण्ड दिया जा सकता है और यह कार्यकारी मजिस्ट्रेट निश्चय ही सरकार के अधीन होगा। क्या आप यह सोचते हैं कि पश्चिम बंगाल की भाँति सरकार हमेशा ही कांग्रेस (इ) अथवा मार्क्सवादी होगी ? यह बदलेगी।

(व्यवधान)

नहीं, नहीं। परिवर्तन होगा। अतः मेरा मुद्दा यह है कि कानून द्वारा भले ही कोई प्रतिबन्ध लगाये जाए परन्तु प्रश्न का समाधान न्यायिक होना चाहिए न कि सरकारी कार्यवाही द्वारा बिहार में इस विधेयक के उपबन्धों के अनुसार कार्यकारी मजिस्ट्रेट का राजनीतिक प्रमुख व्यक्तियों अथवा मन्त्रियों द्वारा मार्गदर्शन किया जाएगा और वही उसके परामर्श देंगे मैं किसी मन्त्री का अपमान नहीं करता हूं। मेरा मुद्दा यह नहीं है, मैं केवल इसका सामान्यीकरण कर रहा हूं—पत्रकार को कौन दण्ड दे सकता है। अतः इस कानून पर आपत्ति की जाएगी और यह हानिकर है वास्तव में विचाराधीन मामला कोई दलगत मामला नहीं है इसे राजनीति से ऊपर उठकर समझना होगा इस मामले का सार यह है —क्या हमें, जैसा कि उस ओर बैठे मेरे मित्र ने कहा है, प्रेस को

इसी भाँति चलने दे और समाचार प्रकाशित करने दें अथवा प्रेस की स्वतन्त्रता पर कोई प्रतिबन्ध लगाने चाहिए ? इस साधारण प्रश्न का उत्तर दिया जाना है । यह कोई दलगत विषय नहीं है क्योंकि मैं महसूस करता हूं 1977 से 1979 तक इस देश पर जनता पार्टी का शासन था और आप जानते हैं तब क्या हुआ । तत्पश्चात काँग्रेस (इ) सत्ता में आई । यह भी बदल सकती है । अतः इस कानून के दूरगामी परिणाम होंगे । अतः इसका निर्णय दलगत राजनीति से ऊपर उठकर किया जाना है माननीय मन्त्री महोदय से यह मेरा प्रथम अनुरोध है । अब माननीय मन्त्री महोदय को यह बताना चाहिए कि क्या उन्होंने बिहार सरकार से तथ्यों का पता लगाया है । उन्होंने बिहार सरकार के कुछ प्रतिवेदनों को पढ़ा था । अतः मैं यही समझ लेता हूं कि उन्होंने तथ्यों का पता लगाया है । इस विधेयक को अब लाने की क्या आवश्यकता थी ?

इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी ? और यदि प्रेस में मैंने जो कुछ पढ़ा है, वह सही है तो इस विधेयक को पांच मिनटों में अथवा उससे कम समय में पारित किया गया था ।

(व्यवधान)

इसे बहुत ही जल्दबाजी में पारित किया गया और 60 संशोधन भी जल्दबाजी के पारित किए गए । इसकी जल्दी क्या थी ? क्या कोई राष्ट्रीय विपदा आई थी ? अथवा कोई विदेशी आक्रमण या अन्य कोई ऐसी ही बात हुई थी ? अतः यदि सरकार यह अनुभव करती है कि ऐसी कोई आवश्यकता थी तो सरकार उसे यहां स्पष्ट कर सकती है अब एक बहाना यह भी है कि तमिलनाडु और उड़ीसा सरकारों दे पहले ही ऐसे विधेयक पारित किए हैं । तो इससे क्या हुआ ? यदि 'क' ने कोई अपराध किया है तो क्या हम 'ख' के उसी प्रकार के अपराध को उचित ठहरा सकते हैं ? यदि अन्य राज्यों में ऐसे आपत्तिजनक कानून हैं तो मैं यही कहूंगा कि उनको भी वापस लिया जाना चाहिए । क्या इस तर्क से कि अन्य राज्यों ने पहले ही ऐसा कर रखा है और इसलिए उन्होंने भी ऐसा कर दिया है उन्हें अपराध मुक्त किया जा सकता है ?

(व्यवधान)

बहाना तथाकथित पीत-पत्रकारिता के बारे में है । माननीय मन्त्री महोदय ने उन पीत-पत्रकारों का उल्लेख किया है, जो फूहड़, अश्लील, मद्दा लिखते हैं अथवा वे जो व्यक्तिगत आक्षेप करते हैं और लोगों के व्यक्तिगत जीवन पर लिखते हैं ? आपको पीत-पत्रकारों से क्यों भयभीत होना चाहिए ? इसमें डरने की कोई बात नहीं है । क्योंकि लोग मूर्ख हैं जो पीत-पत्रकारिता पर विश्वास करेंगे ?

मैं आपके विचारार्थ एक मुद्दा रखता हूं । इस देश में जनता शासन के दौरान प्रेस की क्या भूमिका थी ? जनता शासन के दौरान में केरल में था, दिल्ली में नहीं था । मैं कुछ समाचार पत्र पढ़ा करता था । प्रत्येक समाचार-पत्र श्रीमती इन्दिरा गाँधी द्वारा किए गए अत्याचारों के बारे में लेख प्रकाशित कर रहा था । क्या लोग उन प्रभाव में आ गए ? आप इस बात से डरते क्यों हैं ? लोग पीत-पत्रकारिता अथवा पत्रकार यदि गलत समाचार भी देंगे तो उसके प्रभाव में नहीं आऐंगे । लोगों में निर्णय लेने की बुद्धि है सरकार को उस निर्णय में विश्वास रखना चाहिए मुझे सरकार को इसी बात की सूचना देनी है ।

मैं एक बात पूछना चाहता हूं यदि आप अब भी यह महसूस करते हैं कि बिहार प्रेस विधेयक जैसे कानून जनहित में आवश्यकता है तो क्या वर्तमान कानून अश्लील लेखन को हतोत्साहित करने तथा अपराधियों को दण्ड देने के लिए पर्याप्त नहीं है। यदि माननीय मन्त्री महोदय और भारत सरकार की राय में मौजूदा कानून काफी हैं और अपराधी को दण्ड दिलाने में सक्षम हैं तो आपको बिहार सरकार को इस विधेयक को वापस लेने की सलाह देनी चाहिए। यदि आप ऐसा नहीं करते तो आप ऐसे सक्षम विधेयक को न लाने के दोषी बनते हैं। यदि मौजूदा कानून शरारती तत्वों से निपटने के लिए पर्याप्त नहीं है तो आपको ऐसा विधेयक बहुत पहले लाना चाहिए था।

मैं यह सोच भी नहीं सकता कि आप यह कह सकते हैं कि इस प्रकार की स्थिति से निपटने के लिए मौजूदा कानून पर्याप्त नहीं हैं। मेरी राय यह है कि आप स्वयं ऐसा विधेयक इसलिए नहीं लाये क्योंकि आपकी राय में मौजूदा कानून पर्याप्त हैं।

मैं किसी पर कोई आक्षेप नहीं कर रहा हूं में कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं। जिस आम जनता ने हमें वोट दिए हैं उनकी आम राय यही है कि इस विधेयक को बिहार सरकार के गलत कामों को छुपाने के लिए लाया गया है बिहार की जेलों में क्या हुआ? वहां हरिजनों आदि की हत्या की घटनायें होती रहती हैं लोग यह महसूस कर रहे हैं कि यह विधेयक ऐसे गलत कामों को छुपाने हेतु तथा उन उत्साही पत्रकारों को दण्डित करने के लिए लाया जा रहा है जिन्होंने इन मामलों की गहराई से जांच की और उन्हें प्रकाशित किया भारत सरकार के भी यह हित में है कि लोगों के दिलों से इस गलत फहमी को निकाला जाए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न क्या है।

प्रो० पी० जे० कुरियन : मैं पहले ही तीन प्रश्न पूछ चुका हूं। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं ये प्रेस की स्वतन्त्रता से सम्बन्धित है। महोदय, प्रेस लोकतन्त्र का पहरेदार है। यदि आप कोई ऐसा कार्य करें जो लोकतन्त्र के लिए हानिकर हो तो यहाँ कैसे हो सकते हैं? आप स्पीकर कैसे हो सकते हैं?

अध्यक्ष महोदय : यह बात तो बिल्कुल सही है।

प्रो० पी० जे० कुरियन : अतः यदि लोकतन्त्र नहीं होता तो हम भी यहाँ नहीं हो सकते थे। आप मुझे पर्याप्त समय दीजिए क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण विषय है। बिहार विधेयक प्रेस की स्वतन्त्रता पर प्रचार कर रहा है और इसके परिणामस्वरूप यह समाज के लोकतान्त्रिक कार्यचालन पर प्रहार है। मैं अब प्रेस के बारे में भी एक बात कहूंगा। मेरी उससे कोई असहमति नहीं है। प्रेस को आत्म-नियन्त्रण रखना चाहिए। यह प्रेस का काम है कि वह जनहित में सरकार अथवा मन्त्रियों अथवा संसद सदस्यों अथवा अन्य किसी सार्वजनिक व्यक्ति के गलत कामों की जाँच करे और उन्हें प्रकाशित करे परन्तु इसके साथ-साथ उसे इन तथ्यों की सत्यता का भी पता चाहिए और व्यक्तियों का चरित्र हनन अथवा उनकी निन्दा नहीं करनी चाहिए।

प्रेस को निष्पक्ष भी होना चाहिए। जहाँ प्रेस नेताओं के बुरे कार्यों को प्रकाश में लाती है वहीं उसे उनके द्वारा किए गए उचित तथा अच्छे कार्यों का भी प्रचार करना चाहिए। कभी-

ऐसा होता है कि प्रेस का कोई वर्ग जाकर बुरे पक्ष को देखता है इसका समाज पर बुरा प्रभाव पड़ेगा क्योंकि लोग यह अनुभव करते हैं कि सभी राजनीतिज्ञ सभी नेता और सभी मन्त्री भ्रष्ट हैं। तब लोग लोकतन्त्र में विश्वास खो देंगे और लोगों द्वारा लोकतन्त्र में विश्वास खो देना देश, लोकतन्त्र तथा हमारे लिए हानिकर है। अतः प्रेस पर नियन्त्रण होना चाहिए परन्तु यह उसे स्वयं रखना चाहिए इस सभा में भी यदि कोई शून्य काल में हल्ला-गुल्ला करता है तो वह सुर्खी बन जाता है।

(व्यवधान)

मेरा मुद्दा यह है कि प्रेस पर आत्म नियन्त्रण होना चाहिए न कि कानून द्वारा मैं अपनी बात को स्पष्ट कर रहा हूं मेरा मुद्दा यह है कि निष्पक्षता कानून द्वारा नहीं पायी जा सकती। यह स्वतः होनी चाहिए। अतः हम यह आशा करते हैं कि प्रेस निष्पक्ष रहेगी और इसी आशा में हमें बिहार सरकार से विधेयक को वापस लेने के लिए कहना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : बस ?

प्रो० पी० जे० कुरियन : महोदय, एक और बात जो मैं कहना चाहता हूं यह है कि मान लीजिए प्रेस सरकार के बुरे कारनामों को प्रकाशित नहीं करती·····

(व्यवधान)

मान लीजिए, प्रेस सरकार के इन बुरे या गलत कामों को प्रकाशित नहीं करता तो क्या होगा ? देश में अफवाहें फैल जाएगी। आपातकाल के दौरान प्रेस पर से सेंसरशिप लागू था। उस देश में क्या हुआ बहुत-सी अफवाहें फैल गई। किसी को यह पता भी न चला कि ये अफवाहें सही थी या गलत अतः यदि प्रेस इन बातों को प्रकाशित नहीं करता है तो अफवाहें फैल जायंगी। लोगों की प्रवृत्ति अधिकाधिक अफवाहों में विश्वास कर ने की है। अतः प्रेस को सरकार के गलत कार्यों के बारे में लिखने से मना करना खतरनाक है यदि प्रेस इन सब बातों के बारे में लिखता और उन्हें प्रकाशित करता है तो सरकार उन्हें देख सकती है तो सरकार उन कमियों को दूर कर सकती है तथा उनका उत्तर दे सकती है, इससे लोग सही निर्णय कर सकेंगे।

अध्यक्ष महोदय : संक्षेप में कहिये। आप कोई प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं। अब मुझे आपको रोकना पड़ेगा।

प्रो० पी० जे० कुरियन : मैं भी एक उदाहरण देता हूं। मेरा मुद्दा यह है कि प्रेस को स्वतन्त्र रहने दिया जाना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : प्रोफेसर, इसके बारे में कोई भी गम्भीर नहीं लगता है। मैंने आपको पर्याप्त समय दिया है। मैं आपको और अधिक समय नहीं दे सकता हूं।

प्रो० पी० जे० कुरियन : मैं अपना भाषण समाप्त कर रहा हूं।

मेरा कहना यह है कि ऐसा विधेयक लाने से और प्रेस की स्वतन्त्रता पर पाबन्दी लगाने

से वास्तव में अफवाहों के फैलने में सहायता मिलेगी और अफवाहों का फैलाना लोकतन्त्र के लिए घातक है।

मैं सरकार को यह बता देना चाहता हूं कि बिहार विधान सभा ने यह जो विधेयक पारित किया है वह असंवैधानिक और अलोकतन्त्रीय है।

इस बात को ध्यान में रखते हुए क्या केन्द्रीय सरकार बिहार सरकार से इस विधेयक को वापिस लेने के लिए या बिहार के राज्यपाल से इस विधेयक को अपनी स्वीकृति प्रदान न करने की सलाह देगी ?

मैं यह भी पूछना चाहूंगा कि क्या बिहार सरकार ने ऐसा विधेयक पारित करने से पूर्व भारत सरकार से सलाह-मशविरा किया था।

श्री गडुआर्डो फैलारो (मारमत्राओ) : इस प्रकार के मामले में भारत सरकार और राज्य सरकार के बीच विचार-विमर्श का प्रश्न नहीं उठता है।

(व्यवधान)

प्रो० पी० जे० कुरियन : मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या सरकार को राज्यों के रवैये का पता है ? प्रेस की स्वतन्त्रता को दबाने के लिए एक के बाद एक राज्य विधेयक पारित कर रहे हैं।

इस बात को ध्यान में रखते हुए, क्या सरकार इन तीन राज्यों को जो पहले ही ऐसा विधेयक पारित कर चुके हैं और अन्य राज्यों को भी यह निर्देश देगी कि वे ऐसी कार्यवाही न करे जिससे प्रेस स्वतन्त्रता छिनती हो ?

अध्यक्ष महोदय : प्रोफेसर, अब आपको उस अतिरिक्त समय का सदुपयोग करना चाहिये जोकि मैंने आपको दिया है।

प्रो० पी० जे० कुरियन : सभी राज्य सरकारों को प्रेस की स्वतन्त्रत को बनाए रखने का समर्थन करना चाहिए और यह सूचित करना भारत सरकार का काम है कि प्रेस की स्वतन्त्रता को बनाए रखी जाये।

अध्यक्ष महोदय : आप अब अपनी स्वतन्त्रता का दुरुपयोग कर रहे हैं। अब मन्त्री महोदय उत्तर देंगे।

श्री आर० वेंकटरामन : एक बड़ी सीमा तक तो मैं माननीय सदस्य से सहमत हूं।

जब माननीय सदस्य ने यह कहा कि प्रेस को आत्म-नियंत्रण रखना चाहिये तो वास्तव में ही उन्होने एक प्रोफेसर की सी बात कही "लोका: समस्ता: सुखिनो भवन्तु"

ठीक है, समस्या तब खड़ी होती है जबकि आत्म-नियंत्रण का अभाव होता है और कानून को व्यवहार विनियमित करना पड़ता है। यहीं पर समस्या खड़ी होती है।

माननीय सदस्य ने एक दो मुद्दे उठाए जिनका मैं संक्षेप में उत्तर दूंगा।

माननीय सदस्य ने प्रथम मुद्दा तो यह उठाया है कि बिहार सरकार ने कार्यकारी और न्यायिक मजिस्ट्रेटों के बीच के भेद को मिटाने के लिए प्रक्रिया संहिता को संशोधित करने के लिए एक विधेयक पुनःस्थापित किया है या दण्ड विधेयक ला रही है। हमें इसका पता नहीं है। हमारे समक्ष ऐसा कोई विधेयक नहीं है।

इसके बाद माननीय सदस्य का कहना था कि विधेयक में प्रयोग की गई भाषा में कहा गया है कि 'कोई भी मजिस्ट्रेट' जिसका अर्थ उनके अनुसार, एक कर्मचारी मजिस्ट्रेट भी निकल सकता है। इसके विपरीत, जिस सन्दर्भ में "कोई भी मजिस्ट्रेट" शब्दों का प्रयोग किया जाता है, उसका अर्थ यह होता है कि अथवा वह प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट है या द्वितीय श्रेणी मजिस्ट्रेट है। इसी उद्देश्य से "कोई भी मजिस्ट्रेट" शब्दों का प्रयोग किया जाता है।

उसके बाद माननीय सदस्य ने तीसरा मुद्दा यह उठाया था कि इस कानून को, जिसे अन्य राज्यों में पारित किया गया है, एक अध्यादेश के रूप में प्रयोग में नहीं लाया जाना चाहिये। मैंने जो कुछ भी कहा है वह यह है कि ऐसा कानून पहले भी रहा है परन्तु उसका अधिक विरोध नहीं किया गया है। आज से 20 वर्ष पहले तमिलनाडु और उड़ीसा सरकारों ने ऐसा अधिनियम बनाया था, परन्तु उनका अधिक विरोध नहीं हुआ या उसका कोई गम्भीर दुरुपयोग नहीं किया गया है। सभा को इस बात को अवश्य ध्यान में रखना चाहिये।

उन्होंने अगला मुद्दा यह उठाया था कि यदि सरकार की दृष्टि में यह सही कार्य था तो उन्हे स्वयं ऐसा विधेयक प्रस्तुत करना चाहिये था। मैं माननीय सदस्य को यह याद दिलाना चाहूंगा कि जनता सरकार ने राज्य सभा में भारतीय दण्ड संहिता संशोधन विधेयक, 1970 पारित किया था, जिसमें उन्होंने भारतीय दण्ड संहिता की धारा 292 को संशोधित किया था 292 क ठीक उन्ही शब्दों में जो कि .....

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : उसकी निन्दा की जानी चाहिये। आपका अनुसरण करने की आवश्यकता नहीं है।

श्री रामावतार शास्त्री : आप उसका अनुसरण क्यों कर रहे हैं ? (**व्यवधान**)

डा०सुब्रह्मण्यम स्वामी : मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मैंने उस समय भी इसका विरोध किया था। (**व्यवधान**)

श्री आर० वेंकटरामन : मुझे ऐसी प्रतिक्रिया की आशा थी और इसीलिए मैंने यह बात कही है।

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : उस समय राज्य सभा में आपका दल बहुमत में था। (**व्यवधान**)

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : सत्तारूढ़ जनता पार्टी और सत्ताच्युत चीज जनता पार्टी दो भिन्न चीजें हैं।

श्री आर० वेंकटरामन : ऐसी बात नहीं है इस पर वाद-विवाद में कोई जीत हासिल करना चाहता हूं। मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार ने किसी समय इस प्रकार के विनियम की आवश्यकता का अनुभव किया हैं और यही बात में कह भी रहा हूं। चाहे यह जनता सरकार रही हो या काग्रेंस सरकार अथवा कोई अन्य सरकार उन्होंने अश्लील लेखों का विनियम करने की आवश्यकता का अनुभव किया है।

डा० सुब्रह्मण्यम : परन्तु आपने यह नहीं बताया है कि यह विधेयक लोकसभा में क्यों नहीं पारित किया गया था।

श्री आर० वेंकटरामन : क्या मुझे आपको यह बताना पड़ेगा कि क्यों? आपकी स्मृति वहुत ही कमजोर है।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : मैंने आपसे अच्छी स्मृति पाने की कभी चाह नहीं की।

श्री आर० वेंकटरामन : आपको इससे अच्छी कभी मिलेगी भी नहीं। विधेयक को लोक सभा में इसलिए पारित नहीं किया जा सका क्योंकि लोकसभा भंग हो चुकी थी।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : नहीं। राज्य सभा में उसे 1978 में पारित कर दिया गया था। यह संसद को गुमराह करने वाली बात है। जब आप यहां विपक्ष में थे। इसलिए यह यहां नहीं लाया जा सकता था।

श्री आर० वेंकटरामन : मैं डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी के स्पष्टीकरण को स्वीकार नहीं कर सकता हूं, क्योंकि वह सरकार में नहीं थे। यदि प्रो० मधु दण्डवते कहें तो मैं इसे स्वीकार कर सकता हूं, परन्तु यदि डा० स्वामी कहते हैं तो स्वीकार नहीं कर सकता हूं क्योंकि वह सरकार में नहीं थे और वह सरकार की ओर से स्पष्टीकरण देने के अधिकारी नहीं हैं।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : उस स्थिति में वह यह आरोप लगा सकते हैं कि मैं मंत्री परिषद का भेद खोल रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : आजकल तो आप सभी तेज-तर्रार बनते जा रहे हैं।

श्री आर० वेंकटरामन : मैं भेद खोलने पर प्रो० दण्डवते को चुनौती नहीं देता।

श्री सोमनाथ चटर्जी : आपके दल ने उसे विधेयक का राज्य सभा में स्वागत किया था।

श्री आर० वेंकटरामन : क्या मैं यह बता दूं कि क्यों? कांग्रेस सरकार पहले भी एक ऐसा विधेयक लेकर आई थी जिसमें यह खण्ड था। वे परस्पर-विरोधी कार्य नहीं कर सके।

अतः, मैं जो मुद्दा उठा रहा हूं और जिसे आप चूक गये हैं वह यह है कि चाहे कांग्रेस सरकार रही हो या जनता सरकार, उसने कुछ इस प्रकार के विनियम की आवश्यकता अनुभव की थी। अतः जैसा कि अब इसे बताया जा रहा है इसमें कुछ भी ऐसा नहीं जोड़ा जा रहा है जो कि नया हो या अत्याचार पूर्ण घृणित हो।

माननीय सदस्य ने अन्तिम मुद्दा यह उठाया था···

श्री एम० एम० लारेंस (इडुक्की) : ऐसी बात नहीं है कि देश में कांग्रेस (इ) और जनता पार्टी ही रह गई हैं। अन्य दल भी हैं (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : डा० स्वामी, क्या आप सहमत हैं ?

श्री आर० वेंकटरामन : जब अन्य दल सरकार बना लेंगे तब उन्हें सिद्ध करना होगा। वे ऐसा केवल तभी कहेंगे जबकि वे विपक्ष में हों या बाहर हों।

अन्तिम मुद्दा यह था कि क्या मैं इस बारे में सलाह दूंगा। इन मामलों पर सरकार को सलाह नहीं देते हैं क्योंकि केन्द्रीय सरकार का कर्तव्य राष्ट्रपति को यह सलाह देना हैं कि सभी बातों पर विवेकपूर्वक विचार करते हुए स्वीकृति दें या नहीं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : क्या आप राष्ट्रपति महोदय को इस पर अपनी स्वीकृति न देने की सलाह देंगे ?

श्री आर० वेंकटरामन : उनके बारे में हम इस समय कुछ नहीं कह सकते हैं।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : उन्होंने एक प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है।

प्रो० पी० जे० कुरियन : क्या वर्तमान कानून को अपराधियों से निपटने के लिए काम में नहीं लाया जा सकता है ? इस प्रश्न का उत्तर भी उन्हें देना है।

श्री मूलचन्द डागा : अध्यक्ष महोदय, गृह मंत्री जी ने जो जवाब दिया है, उसमें उन्होंने कहा है कि अभी इस बिल को हमने देखा ही नहीं है। यह इनका सीधा जवाब है। गृह मंत्री जी ने एक जवाब दे दिया और वह जवाब यह है :

"सरकार को बिहार विधेयक नहीं मिला है।"

लेकिन ऊपर यह लिखा है :

"माननीय सदस्य सम्भवतया भारतीय दण्ड संहिता और दण्ड प्रक्रिया संहिता (बिहार संशोधन) विधेयक, 1982 जैसा कि बिहार विधान-सभा ने उसे पारित किया है का उल्लेख कर रहे हैं।"

एक जवाब में दो बातें हैं। ठीक है, जो उनकी इच्छा है, वह करें लेकिन एक बात जरूर है। सबसे ज्यादा प्यारी चीज अगर दुनिया में कोई है, तो वह आजादी है और इस सम्बन्ध में मैं डिजरेली का एक कोटेशन आपके सामने रखना चाहता हूं :

"प्रेस केवल स्वतन्त्र ही नहीं, शक्तिशाली भी है। वह शक्ति हमारी है। मानव द्वारा योग्य यह सर्वाधिक गौरवशाली स्वतन्त्र है। इसे राजाओं ने प्रदान नहीं किया, इसे हमारे लिए कुलीनों ने भी नहीं प्राप्त किया, परन्तु यह जनता में से ही फूट निकली और एक अनश्वर भावना के साथ इसने सदैव ही लोगो के लिए कार्य किया है।"

हिन्दुस्तान की जनता की बुद्धिमत्ता की तारीफ सब करते हैं चाहे इधर बैठने वाले हों और चाहे उधर बैठने वाले हों। हिन्दुस्तान की जनता में विवेक ज्ञान और समझदारी बहुत है। उसका निर्णय आप उस पर छोड़ दीजिए लेकिन आप जिस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं, तो मैंने जब मिश्र जी की

स्पीच अखबारों में पढ़ी, जो उन्होंने इस छोटे से बिल को रखने के समय दी थी, तो मैं यह नहीं समझ पाया कि ब्लैकमैलिंग का मतलब क्या होता है। कहीं इन्होंने डिफाइन किया है कि ब्लैक मैलिंग चीज क्या है। इसकी स्टोरी जो अखबारों में निकली है, यह यह है :

"इसमें जन-हित से असम्बद्ध रहकर व्यक्ति-विशेषों के व्यक्तिगत जीवन के सनसनी खेद रहस्योद्घाटन को भी सम्मिलित किया जायेगा।"

एक आदमी अच्छे पद पर बैठा हुआ है और जनता उस पद की गरिमा को समझती है और अगर वह उसके बारे में कुछ बातें करती है, तो इसका मतलब क्या हुआ, यह आप समझ सकते हैं। जो व्यक्ति अपने निजी जीवन में कमजोर है उससे सार्वजनिक आचार में नेक होने की आशा नहीं की जा सकती है···

श्री रतनसिंह राजदा : ठीक।

श्री मूलचन्द डागा : ऐसी बात नहीं है कि जिस व्यक्ति ने स्थान बदल लिया है, वह बदल गया है।

ठीक है, आज सारी बातें गृह मंत्री जी कहने को तैयार नहीं हैं और उन्होंने बड़ी तरकीब से यह सोचा है और कहा है कि इस बिल पर विचार सरकार करेगी। मैं आपको आर्टीकिल 105 पढ़ कर सुनाना चाहता हूं।

'संसद में या उसकी किसी समिति में कही हुई किसी बात अथवा दिये हुए किसी मत के विषय में संसद के किसी सदस्य के विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई कार्यवाही न चल सकेगी और न किसी व्यक्ति के विरुद्ध ···।"

तो इस पार्लियामेंट का सदस्य 105 धारा के अन्तर्गत इस सदन के पवित्र स्थल पर कुछ भी कह सकता है लेकिन उसके खिलाफ कोर्ट में कोई कार्यवाही नहीं हो सकती है। अच्छी है, फ्रीडम आफ स्पीच औ फ्रीडम आफ राईटिंग है। मैं यह बात सिद्धांतः कहना चाहता हूं कि आपने इसमें लिखा है जगह जगह पर क्लाज के अन्दर, हर एक क्लाज में, यह जो बिल निकला है, जिसके बारे में गृह मंत्री ने कहा है कि वह अभी तक हमारे पास नहीं भेजा गया है, उसमें एक शब्द बार बार लिखा गया है, ब्लैकमेल ओर इन्टेडेड टू ब्लैकमेल। इसका क्या परपज है ?

अब एक पेपर सरकुलेशन में है। उसमें एक कार्टून निकलता है जो पसन्द नहीं आता तो उसको बेचने वाला भी गुनहगार है, उसका एडीटर भी गुनहगार है और जिस संवाददाता ने एजेन्सी ले रखी है वह भी गुनहगार है। मैं यह मानता हूं कि आप आजादी की सुरक्षा के लिए यह चाहते हैं कि कोई दुर्भावनापूर्ण तरीके से इस आजादी का उपयोग न करे। लेकिन मैं पूछता हूं कि इसकी जरूरत क्या पड़ी ? अभी हमारी प्रधान मंत्री जी ने कहा था कि हम हिन्दुस्तान में प्रेस की आजादी पर अंकुश लगाना नहीं चाहते हैं और प्रैस की आजादी में विश्वास करते हैं।

सब लोग कहते हैं कि प्रेस हमारी आंख और कान है। यदि आप इन बातों को सोचते हैं और मानते हैं और आर्टिकल 19 को मानते हैं जिसमें की आजादी की बात कही गयी है तो जो लेजिस्लेशन बना है वह इस पर प्रतिबंधन है या नहीं? वह जमाना आज तो खड़ा होता नहीं है क्योंकि वह लेजिस्लेशन आपने देखा नहीं है जिनके बारे में कि हमने कालिंग अटेंशन मोशन दिया है। आज यह जो बहस हो रही है उस लेजिस्लेशन पर नहीं हो रही है. आज हम बहस कर रहे हैं दूसरे विषय पर।

फ्रीडम आफ प्रेस और फ्रीडम आफ स्पीच की सब बात कहते हैं। हिन्दुस्तान की जनता को अपने में बहुत विश्वास है। एक राज से दूसरा राज पलट जाता है और एक राज दूसरे राज के खिलाफ बहुत कुछ कहता है लेकिन जनता अपने विश्वास के बल पर निर्णय करती है। यलो जरनलिज्म की बात कही जाती है, कितनी ही पीत पत्रिकाएं निकलती हैं, भगवान जाने कितनी निकलती होंगी लेकिन उनके पढ़ने के बावजूद हर आदमी अपना दिमाग रखता है। हमें हिन्दुस्तान के वोटर में विश्वास रखना होगा।

श्रीमान मैं आपकी आज्ञा से दो-चार प्रश्न पूछना चाहता हूं। जब आप आर्टिकल 19 की दुहाई देते हैं कि हम तो प्रेस का आजादीमें विश्वास करते हैं तो इस कानून की क्या जरूरत थी? आपके जो कानून बने हुए हैं, उन कानूनों के होते हुए फिर इस बिल को लाना क्या जरूरी था? एक आप इस प्रश्न का उत्तर दें।

दूसरे क्या ब्लेक मेलिंग की कोई डेफिनिशन है? अगर कोई पदासीन है उसके बारे में प्राइवेटली कुछ देखा है, पब्लिकली नहीं देखा है क्योंकि कुछ लोग अलमारी में तो कोकशास्त्र रखते हैं और हाथ में रामायण रखते हैं तो ऐसी बातों के बारे में आप क्या करेंगे। अगर इस पर कोई टीका-टिप्पणी करे तो श्रीमान इसको क्या आप ब्लेकमेल करना कहेंगे? इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि ब्लेकमेलिंग की परिभाषा क्या है। यह नहीं कि आप जो चाहें कह दें मैं फिर से आपसे आग्रह करुंगा कि आप फ्रीडम आफ प्रेस को खत्म नहीं करना चाहते हैं, जिनको कि आपने ही सेन्टेन्श में कह तो क्या आप यह बतायेंगे कि आर्टिकल 15 के अन्दर जो अपने जुडिशियली और एक्जीक्युटिव को पावर्स दिये हैं वे पावर्स मैजिस्ट्रेट को नहीं दिये हैं यह क्या है?

तीसरी बात यह है कि पब्लिक लाइफ और प्राइवेट लाइफ के बारे में जो भाषण दिया है, उस पर आप कृपा करके प्रकाश डालें। हम कब कहते हैं किसी की जिन्दगी के बारे में दुर्भावनापूर्ण प्रचार किया जाए और अगर किया जाता है तो क्या वर्तमान कानून उसके लिए सफीशिएट है या नहीं और इसको बनाने की जरूरत क्यों पैदा हुई?

श्री आर० वेंकटरामन : अध्यक्ष महोदय, श्री डागा जी एक चैम्पियन गोलकीपर हैं जो अपनी ओर गोल करते हैं।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : ऐसा करना कोई प्रशंसा की बात नहीं है। हम सभी पर बिना किसी दल के लगाव के संसद सदस्य हैं कभी हम आपकी सराहना करते हैं और कभी-कभी आपकी सराहना करते हैं और कभी-कभी आपके सदस्य भी आपकी आलोचना कर सकते हैं।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री (सैदपुर) तो गोल हुआ या नहीं हुआ ?

श्री आर० वेंकटरामन : यदि आप किसी मजाक को समझ नहीं सकते हैं तो कृपया बैठ जाइए ।

महोदय, उन्होंने अनुच्छेद 19 का प्रश्न उठाया परन्तु वह यह भूल गये कि अनुच्छेद 19 में खण्ड 2 भी है जो विधान मण्डल को उचित पाबन्दिया लगाने की अनुमति देता है और ये उचित पाबन्दियां ही हैं ।

एक माननीय सदस्य : वे उचित नहीं हैं ।

श्री आर० वेंकटरामन : वे उचित हैं या अनुचित यह निर्णय लेना न्यायालय का काम है । महोदय, प्रेस की स्वतन्त्रता और अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता के नष्ट होने की उनकी यह सब वाग्मिता कतई असंगत है । वह यह भूलकर कि हम विधेयक पर विचार नहीं कर रहे हैं विधेयक के उपबन्धों पर ही बोलते रहे हैं । हम विधेयक के खण्डों पर चर्चा नहीं कर रहे हैं । हम इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि क्या केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति प्रदान की जाए या नहीं और यदि की जाए तो किन आधारों पर परन्तु वह खण्ड वार विस्तार से बोलते रहे जैसे कि विधान सभा के सदस्य हों मैं उन्हें यह याद दिलाना चाहता हूं कि वह संसद सदस्य हैं ।

अध्यक्ष महोदय : आपका मतलब है एक गलत जगह पर रखा गया चैम्पियन ।

श्री आर० वेंकट रामन : श्रीमन, मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता ।

श्री राम स्वरूप राम (गया) : अध्यक्ष महोदय, हमारे पूर्व-वक्ताओं ने आजादी की बड़ी बड़ाई दी है कि आजादी बड़ी कीमती है ।

(माननीय उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

श्री रामस्वरूप राम : उपाध्यक्ष जी, यह हम सभी मानते हैं । हम तो इतना तक कहने को तैयार हैं कि प्रेस लोकतन्त्र की रक्षक है, लोकतन्त्र की प्रहरी है और इसको आजादी मिलनी चाहिए, क्योंकि सरकार के कार्यक्रमों और जनता की समस्याओं के बीच प्रेस एक कड़ी का काम करती है, इसलिए प्रेस की आजादी होनी चाहिए । लेकिन आजादी का कभी-कभी दुरुपयोग भी होने लग जाती है और तरह-तरह की बातें बनाकर जन मानस को गुमराह करने की कोशिश भी की जाती है । वैसी आजादी, मैं समझता हूं, न आपको प्यारी लगेगी और न पत्रकार बन्धुओं को लगेगी, जो देश प्रेमी हैं, और देश के विकास में विश्वास रखते हैं ।

जनतांत्रिक समाज में विचार की अभिव्यक्ति आवश्यक है । हर तरह को विचार स्वतन्त्र रूप से जनता के सामने आना चाहिए और उसे जनता के सामने आना चाहिए और उसे जनता के सामने आने दिया जाना चाहिए लेकिन यहाँ एक बात पर जोर देना बहुत आवश्यक है । विचार प्रकट करने की स्वतन्त्रता जन-साधारण के लाभ के लिए होनी चाहिए और इसमें जो उत्तरदायित्व निहित है उसको भी स्वीकार करना चाहिए । यह एक मौलिक सिद्धान्त की बात है प्रेस की स्वतन्त्रता का अभिप्राय यह नहीं हो सकता है कि मनगढ़न्त समाचार देकर साम्प्रदायिकता

जो बढ़ावा दिया जाए, प्रेस की स्वतन्त्रता का मतलब यह नहीं होता है कि मनगढन्त समाचार देकर जातीयता को बढ़ावा दिया जाए या गलत समाचार देकर इस प्रकार के कार्यक्रम को चलाया एका जिससे देश की अखंडता, देश की इंटेग्रेटी या उसकी सावरेनटी खतरे में पड़ती हो तब इस प्रकार की स्वतन्त्रता पर क्वेश्चन मार्क लग जाता है। इसकी जवाब दे ही इन लोगों पर है।

जुलाई 1954 के अपने प्रतिवेदन में पत्रकारिता के सम्बन्ध में प्रेस कमिशन सत्रह सिद्धान्तों का निरूपण किया था। इन सत्रह प्वाइंट्स से जनता से पत्रकार बन्धु कमिटेड हैं। पहला प्लाइंट था :

(1) चूंकि प्रेस जनमत सृजन का एक मुख्य माध्यम है पत्रकार अपने को पत्रकार कहने के लिए हमेशा तैयार एवं इच्छुक रहे ताकि वे जनता के अधिकारों की रक्षा कर सकें।

दूसरा था :

(2) पत्रकार अपने कर्तव्यों के सम्पादन में मानवीय एवं सामाजिक अधिकारों को समुचित महत्व दें तथा समाचार रिपोर्टों एवं आलोचनाओं में अपने विशिष्ट उत्तरदायित्वों का विश्वास के साथ सम्पादन करें।

उपाध्यक्ष महोदय : आपको सभी 17 स्वाइंटस पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आपने पहले ही इसे वप दिया है सभी ने इसे पढ़ लिया होगा अगर आप सभी प्लाइंट्स पढ़ेंगे तो इससे अधिक समय लगेगा।

श्री राम स्वरूप राम : आपने औरों को आधा-आधा घंटा दिया है। मुझे भी आप पूरा कर कर लेने दीजिए।

तीसरा प्लाइंट है :

(3) प्रत्येक पत्रकार को समाचारों के संकलन एवं प्रकाशन में पूरी स्वतन्त्रता होनी चाहिए तथा इसकी सुरक्षा इनका प्रमुख लक्ष्य होना चाहिए।

(4) पत्रकारों को समाचार संकलन तथा आलोचनाओं के बारे में, जिससे तनाव में वृद्धि एवं दंगा होने की सम्भावना हो, स्वयं अंकुश रखना चाहिए।

आप जानते हैं हमारे माननीय गृह मन्त्री जब जवाब दे रहे थे तो बिहार शरीफ के पेपर्स की कतरनों को उन्होंने सदन में रखा जिन से पता चलता था कि वहाँ के साम्प्रदायिक वातावरण में विषाक्त बनाने की किस तरह से कोशिश की गई थी। पाँचवां है :

(5) पत्रकारों को यह प्रयास करना चाहिए कि सूचनाओं का प्रसारण तथ्यों पर आधारित हो। किसी आवश्यक तथ्य को दबाया जाए। कोई भी सूचना, जिसकी सत्यता संदिग्ध हो, अथवा गलत हो, उसे प्रकाशित नहीं किया जाए।

इस तरह से सतरह प्वाइंट है जिनसे हमारे देश के पत्रकार बन्धु कमिटेड हैं।

इस कमिटमेंट को देखते हुए में बिहार प्रेस बिल की अहमियत में जाता हूं। प्रेस कमिशन की रिपोर्ट का जो पंद्रहवां प्लाइंट है, जिसको इन्होंने स्वयं स्वीकार किया हुआ है इस प्रकार है।

(15) कलंक मढ़ना अथवा निराधार आरोप लगाना पत्रकारिता विरोधी एवं गम्भीर अपराध है।

यह मेरा बनाया हुआ नहीं है। इन लोगों का अपना बनाया हुआ है जो प्रेस की आजादी के नाम पर कभी-कभी देश को नुकसान भी पहुंचाते रहे हैं, समाज को नुकसान भी पहुंचाते रहे हैं और हमारे जो मौलिक सिद्धान्त हैं उन पर कुठाराघात भी करते रहे हैं। इसलिए 15वां जो इनका पौइंट है कि कलंक पढ़ना अथवा निराधार आरोप लगाना पत्रकारिता विरोधी एवं गम्भीर अपराध है। यह 17 पौइंट प्रेस कमीशन के सामने 1954 में लाये गए। इसी के आलोक में लोगों ने कहा आजादी हमको मिलनी चाहिए। ठीक है, आजादी हम सबको प्यारी है। रोड पर चलना सबका अधिकार है लेकिन रोड पर बायें चलना यह हमारा उत्तरदायित्व है। ट्रेन में सफर करने का हमारा अधिकार है,लेकिन टिकट लेकर हमारा उत्तरदायित्व है। इसलिए आजादी के नाम पर इन्होंने जो चीजें मांगी और जोसमस्यायें रखी उनको तोड़ मोड़ कर जिस दिन प्रेस दायरे से बाहर जाएगा तो उनकी आजादी पर अंकुश लगाना सरकार का धर्म है। बिहार सरकार ने कोई नई बात नहीं की।

अभी कुछ लोग कह रहे थे कि बिहार के मुख्यमन्त्री बकरे के खून से नहाये। मैं उनको बताना चाहता हूं कि वह तो मांस मछली तक नहीं खाते, शुद्ध शाकाहारी हैं।...(**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया उन्हें बोलने दें अन्य कुछ भी कार्यवाही वृतान्त में शामिल न करें। (**व्यवधान**)**

श्री रामस्वरूप राम : यह मनगढ़न्त बातें हैं हमारे मुख्य मन्त्री शुद्ध शाकाहारी हैं, बकरे के खून से नहाने वाली बात झूठ है, और उस तरह से प्रैस आजादी के नाम पर अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह प्रैस वाले नहीं कर रहे हैं। मुझे इनसे प्रैम है लेकिन आजादी के जो सर्टन नौर्म्स हैं उन पर इनको आचरण करना होगा। आजादी के नाम पर पिछले सत्र में एक काल अटेंशन आया था हिन्दुस्तान समाचार एजेन्सी के बारे में जिसमें मैंने हिस्सा लिया था। तो वहां से श्री बालेश्वर अग्रवाल ने एक लम्बी चौड़ी चिट्ठी लिखी कि आपने गलत काम किया है क्या वह हमारी आजादी को कर्ब कर रहे थे उनको ऐसा नहीं लिखना चाहिए था। हमको यहां पर बोलने का अधिकार है। लेकिन यह अधिकार है। लेकिन यह अधिकार नहीं है कि हम ऐसी बात बोलें जिससे देश की अखंडता और संविधान को खतरा हो। पर इस तरह की बातें ये लोग करते हैं।

प्रेस की आजादी के नाम पर बहुत टीका टिप्पणी हुई। एक ऐडीटोरियल अखबारों में आया कि पूरी बहस की अनुमति नहीं दी गई।

इस संदर्भ में मैं कहना चाहता हूं कि कार्य मंत्रणा समिति की 27 जुलाई की बैठक में विरोधी पक्ष के नेता श्री कर्पूरी ठाकूर, श्री इन्द्र सिंह नामधारी, नेता भारतीय जनता पार्टी, श्री राजमंगल मिश्र, नेता जनता पार्टी, और श्री गणेश शंकर विद्यार्थी, भारतीय पार्टी के नेता

**कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : इतना भी नहीं जानते हैं आप कि श्री गणेश शंकर विद्यार्थी मार्किसस्ट दल के नेता है, न कि कम्युनिस्ट पार्टी के।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री शास्त्री, हर दफा आप उनके भाषण में व्यवधान डालते हैं। यह ठीक नहीं है। श्री राम स्वरूप, आप उनके प्रश्नों का उत्तर न दें। आप अपना भाषण जारी रखें ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा के समय आपको बीच के उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है।

(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आप अपना भाषण जारी रखें, आपको बीच में आये व्यवधानों का उत्तर देने की जरूरत नहीं है। आपकी सूचना के लिए बता दूं कि ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में आये व्यवधान कार्यवाही वृतान्त में शामिल नहीं किये जाते। इसलिए आपको, उनको उत्तर देने की जरूरत नहीं है। इसकी अनुमति नहीं है। व्यवधानों को कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं किया जाता। श्री राम स्वरूप आप अपना भाषण जारी रखें। केवल आपका और मंत्री महोदय का भाषण ही कार्यवाही वृतान्त में शामिल किया जायेगा।

(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : इन व्यवधानों में से किसी को भी कार्यवाही वृतान्त में शामिल न करें इस तरह के व्यवधान, विषय को बिगाड़ देंगे।

श्री रामस्वरूप राम : इस विधेयक को कार्यसूची में रखने का निर्णय कार्य मंत्रणा समिति की 27 जुलाई की बैठक में लिया गया था, जिसमें सत्ता पक्ष के प्रतिनिधियों के अतिरिक्त विरोधी पक्ष से श्री कर्पूरी ठाकूर, नेता विरोधी दल, श्री इन्दरसिंह नामधारी, नेता भारतीय जनता पार्टी श्री राजमंगल मिश्र, नेता जनता पार्टी, श्री गणेश शंकर विद्यार्थी, नेता भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी), श्री सूरज मंडल, नेता झारखंड मुक्ति मोर्चा, तथा श्री तुलसी सिंह, नेता लोक दल उपस्थित थे। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : इन व्यवधानों को कार्यवाही वृत्तांत में शामिल न करें···आप इस तरह बाधा नहीं डाल सकते। आपको नियमों का पता है। खेद है कि मैं आपको अनुमति नहीं दे सकता हूं।

श्री राम स्वरूप राम : उपाध्यक्ष महोदय, ये लोग मेरे बोलने की आजादी का हनन कर रहे हैं।

(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : किसी भी व्यवधान को कार्यवाही वृत्तांत में शामिल न करें इसको कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया जा रहा। आप कल कार्यवाही वृत्तांत को देखकर, अगर कोई आपत्ति पेश करना चाहे या व्यक्तिगत स्पष्टीकरण देना चाहें, तो दे सकते हैं। आप हर दफा इस तरह व्यवधान क्यों डाल रहे हैं ? यह सही नहीं है।

(व्यवधान)**

** कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : इनमें से किसी भी व्यवधान को कार्यवाही वृत्तांत में शामिल न करें।

श्री रामस्वरूप राम : बिजिनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक की कार्यवाही को सदन मैंयूनैनिमसली पास किया गया। उस समय विधान सभा के सचिवालय से इस विधेयक के लिए जो संशोधन प्रसारित किए गए, उनमें श्री इन्दर सिंह नामधारी, भारतीय जनता पार्टी, श्रीजनार्दन तिवारी, भारतीय जनता पार्टी, श्री नारायण यादव, साम्यवादी पार्टी, श्री रमेन्द्र कुमार, साम्यवादी पार्टी, श्री तुलसी सिंह, लोक दल और श्री रघुवंश प्रसाद सिंह, लोक दल आदि सदस्यों का विधेयक को जनमत जानने के लिए प्रसारित करने सम्बन्धी संशोधन भी था। मतलब यह है कि सबको कान्फिडेंस में लेकर यह बिल लाया गया और उसमें संशोधन दिए गए।

उपाध्यक्ष महोदय : आपने काफी भूमिका बना ली है, अब आप प्रश्न पूछें।

(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : श्री राम स्वरूप के भाषण के अलावा कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में शामिल न करें। कृपया अपना भाषण समाप्त करें और प्रश्न पूछें। आपने काफी भूमिका बना ली है, अब आप प्रश्न पूछें। क्या आपने अपने प्रश्न तैयार नहीं किये हैं ?

(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : हम प्रैस की स्वतन्त्रता पर चर्चा कर रहे हैं। क्या आप ससद में बोलने की स्वतन्त्रता नहीं देंगे ? आप हर दफा व्यवधान क्यों डाल रहे हैं ? क्या संसद में हमें बोलने की स्वतन्त्रता नहीं है ?

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : जब आप अगले दिन बोलेंगे तो आप इसका जवाब दे सकते हैं।

श्री रामस्वरूप राम : प्रैस की आजादी के सम्बन्ध में बैंजामिन फ्रैंकलिन ने कुछ नार्म्ज बनाए। उन्होंने कहा :—

> "अगर प्रेस की स्वतन्त्रता से अभिप्राय केवल सार्वजनिक उपायों के औचित्य और राजनैतिक राय पर चर्चा करना ही है, तो इसका आप खुलकर इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर इसका प्रयोग किसी को अपमानित करना, आक्षेप लगाना या बदनाम करना है तो मैं इसका समर्थन नहीं कर सकता। और मैं दूसरों को अपशब्द कहने की अपनी स्वतन्त्रता को त्यागने के लिए तैयार हूं। 'दूसरों को अपशब्द कहने की अपनी स्वतन्त्रता मैं सहर्ष छोड़ दूंगा ताकि दूसरों से मुझे अपशब्द न सुनने पड़े।"

इन्होंने एक यह नाम बताया। हमने कोई नयी बात नहीं कही है। हमने पत्रकार बन्धुओं को

** कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

उत्तरदायित्व का ज्ञान कराया है। इस बिल के माध्यम से उनको इसका बोध कराया है कि उनका देश के प्रति क्या उत्तरदायित्व है ? तो इसके लिए इतना क्यों चिल्ला रहे हैं ? अपने उत्तरदायित्व को भी उन्हें समझना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : अब आप प्रश्न पूछ सकते हैं। श्री रामस्वरूप राम प्रश्न पूछने का यही सबसे अच्छा अवसर है।

श्री रामस्वरूप राम : अभी येलो जर्नलिज्म देश में बढ़ रहा है उसको देखें। आप भी पब्लिकमेन हैं, तमाम सदन के लोग पब्लिक मैन हैं। आज हम अखबारों और पत्र-पत्रिकाओं को उठा कर देखें, अश्लील से अश्लील चित्रों का प्रदर्शन उनमें रहता है। यह तो आज एक प्रोफेशन बन गया है। देश की समस्याओं का वह नहीं रखते हैं। आप किसी भी मैगजीन को उठाकर देख लीजिए अश्लील से अश्लील चित्र उसमें मिलेंगे। जो हिन्दुस्तान की नारियों की एक गरिमा है, उनका महत्व है उसो वह समाप्त कर रहे हैं इस प्रकार के अश्लील चित्रों के माध्यम से। उनकी किताबों और पत्रिकाओं की बिक्री बहुत ज्यादा बढे, बड़े बड़े पूंजिपति जो इन अखबारों को चला रहे हैं उनकों पैसे मिलें, पैसे कमाने के लिए वह लोग ये सारे काम कर रहे हैं चाहे उससे देश की अखण्डता को खतरा हो, देश की कम्यूनल हार्मनी को खतरा हो, इसकी परवाह किए वगैर इस तरह के पत्र और पत्रिकाएं आज छापी जा रही हैं और हमारे ये विरोधी लोग अन्धाधुन्ध इस येलों जर्नलिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं। (व्यवधान)

इसके द्वारा चारित्रिक हनन हो रहा है हम केवल बिहार की बात नहीं कर रहे हैं, आप सारे देश केअन्दर देख लीजिए, सारी पत्र-पत्रिकाओं को पढ़ि ए, कितना स्टैंडर्ड गिर रहा है। स्टैंडर्ड को ऊंचा करें यह देश के सामने एक क्वेश्चन मार्क बन गया है। हमारे पत्रकार बन्धुओं का क्या यही कर्तव्य है कि अश्लील तस्वीर छापें, देश की गरिमा को कम करें, कम्यूनल हार्मनी को डिस्टर्ब करें समाज-विरोधी बातों को बढ़ा चढ़ा कर रखें ? हम यह चाहेंगे कि येलो जर्नलिज्म नहीं होना चाहिये। मैं गृहमंत्री से कहना चाहूंगा कि वह टीका टिप्पणियों से घबड़ाये नहीं। ये लोग देश को रसातल में ले जाना चाहते हैं। ये देश की कम्यूनल हार्मनी को खत्म करना चाहते हैं प्रेस की आजादी के नाम पर। इस बिल के द्वारा उन्हें उनके उत्तरदायित्व का ज्ञान कराया जा रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री राम स्वरूप राम, मैं समझता हूं कि आपने काफी प्रश्न रखे हैं मैं मंत्री महोदय से कहूंगा कि वह इनका उत्तर दें। कृपया भाषण समाप्त करें। अब आखरी प्रश्न पूछें।

श्री राम स्वरूप राम : मैं क्वेश्चन पर ही हूं। इस प्रकार के येलो जर्नलिज्म और मनगढ़ंत समाचारों के बढ़ते हुए चरण को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार कोई बिल अगले सत्र में लाएगी जिससे इस तरह की चीजों पर पावन्दी लगे ? ·····(व्यवधान)

श्री आर० वेंकटरामन : श्रीमान, माननीय सदस्य ने कई एक विषयों पर चर्चा की है। उन्होने प्रेस को खासकर रोमांचकारी समाचार पत्रों को नियंत्रत करने की बात कही है, असल में जो कुछ मुझे एक गृह मंत्री के रूप में कहना चाहिए था, वह उन्होने कह दिया है। मैं इसके लिए उनको धन्यवाद देता हूं। और सही समय पर, मैं उनकी राय पर अमल करूंगा।

श्री जयपाल सिंह कश्यप (आंवला) : उपाध्यक्ष महोदय, प्रेम की आजादी पर कुठाराघात मारने वाले इस काले कानून को जो बिहार को सरकारने विधान सभा ने पारित किया है और जिस तरह से प्रेस की आजादी को नष्ट करने की योजना बनाई गई है। यहां पर बहुत पहले से ही योजना बद्ध तरीके से, किस तरह से प्रेस को कमजोर किया जाए और यहां के लोग यहां की जनता अस्लियत को न जान पाए, इसके लिए इस तरह के काले कानून बनाए जा रहे हैं,। बिहार के मुख्य मंत्री और बिहार की सरकार ने कहा है कि हम प कारों और प्रेस का ब्लैकमेल रोकने के लिए ऐसा कर रहे हैं लेकिन यह कानून जो है (बिहार सरकार का) वह प्रेस को ब्लेकमेल कर रहा है। (**व्यवधान**)

जहां तक प्रेस के महत्व का सम्बन्ध है, इस देश में विधायिका, न्यायपालिका और कार्य-पालिका के बाद प्रेस ही चौथा स्थान रखता है। भारत जैसे देश में, जहां पर विरोधी दल कमजोर हों वहां पर प्रजातन्त्र के लिए प्रेस का महत्व और भी बढ़ जाता है। लेकिन इस देश में इस सरकार द्वारा जितने भी कदम बढ़ाए जा रहे हैं वह इस देश से प्रजातन्त्र को समाप्त करने के लिए, तानाशाही लाने के लिए, राष्ट्रपतीय ंग की प्रणाली इस देश में लाने के लिए तथा इमर्जेन्सी की ओर बढ़ते हुए कदम हैं, जिनकी शुरुआत इस ढंग से की जा रही है। बिहार के अखबारों को बहुत पहले से ही बिहार की सरकार से डर रहा है। यह मेरे पास जनवरी महीने का अखबार है जिसमें लिखा है "आर्यवर्त को बन्द कराने की साजिश"। यही नहीं, "हिन्दुस्तान" ने भी लिखा था "समाचार पत्र उद्योग संकट में"। यह भी जनवरी में छपा था। "हिन्दुस्तान" मैंही जनवरी के महीने में ही छपा था "प्रेस की चिन्तापूर्ण स्थिति"। इसी प्रकार से छपा है " सम्पादकों द्वारा मिश्र के विरुद्ध इन्दिरा जी को ज्ञापन"। इस तरह के बहुत से समाचार -पत्रों में छपे है। "समाचार-पत्रों का गलत रवैया" यह साठे ी ने कहा है। इसके विपरीत अभी तक हमारे देश के जो राष्ट्रपति थे, श्री नीलम संजीव रेड्डी, उन्होंने समाचार-पत्रों की सराहना की। इस देश का राष्ट्रपति, जोकि इस देश की सर्वोच्च सत्ता है, उनकी जब मोहर लगती है तो उस पर हमें ज्यादा ध्यान देना चाहिए। मैं भी समझता हूं कि फ्री प्रेस का जो महत्व इस देश में और दुनिया में रहा है, उससे प्रजातन्त्र को बहुत बड़ा बल मिला है। अगर अमरीका में प्रेस ने वाटरगेट काण्ड न उठाया होता····· (**व्यवधान**)

एक माननीय सदस्य : उसका यहां पर क्या सम्बन्ध है ?

श्री जयपाल सिंह कश्यप : जिस तरह से अमरीका में वाटरगेट काण्ड को प्रेस ने उठाया उसी तरह से यहां पर प्रेस ने अन्तुले काण्ड को उठाया जिसके बारे में पहले यहां पर हर कोने से कहा जाता था कि वह गलत है। आज न्यायालय ने भी उस पर अपनी मोहर लगा दी है। अगर अन्तुले काण्ड प्रेस सही ढंग से न उठाता, अगर भारुति काण्ड को प्रेस सही ढंग से न उठाता और यहां के जनमानस को जाग्रत न करता, अगर किस्सा कुर्सी का और बिहार सरकार के कारनामे··· (**व्यवधान**) अगर आपकी भी आखें निकाल ली गई होतीं तब आपको मालूम होता। बिहार के मुख्य मंत्री ने भी कहा था कि ऐसा नहीं हुआ लेकिन सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप और प्रेस द्वारा इस सम्बन्ध में प्रकाशन न होता तो इस देश के लोगों को पता ही नहीं चलता कि बिहार की जेलों में इस तरह से लोगों की आखें निकाली जा रही हैं और हत्यायें की जा रही हैं। अभी-अभी मुझसे पहले एक

माननीय सदस्य यहां पर कह रहे थे कि वहां के हरिजन सदस्य कितने असन्तुष्ट हैं। जो सरकार के विरोध में लगे हुए हैं, उनसे चिन्ता है कि हमारा भण्डाफोड़ हो रहा है, हमारी असलियत खुल रही है और ये लोग हमारा साथ छोडने वाले हैं, इसलिए अखबारों पर पाबन्दी लगाकर इन सारी खबरों को छपने से रोको। इसलिए यह काला विधेयक लाया गया है।

बिहार में और भी मामले उठ रहे हैं। बिहार शरीफ के मामले को लेकर जो कुछ हुआ है वह सब जानते हैं। वहाँ पर मुसलमानों के साथ जो कुछ हुआ है और फर्जी एनकाउन्टर्स जो पूरे देश में दिखाए जा रहे हैं, उनके बारे में प्रेस ने एक विशेष भूमिका अदा की है और अगर प्रेस अपनी यह भूमिका अदा न करता, तो प्रशासन बड़े बड़े मामलों को उठाकर ठप्प कर देता और जनता की कौन कहे, लोक सभा तक को इसका पता न लगता। इसलिए हम सारी की सारी प्रेस के आभारी हैं, हम इस देश की प्रेस के प्रति आभार व्यक्त करना चाहते हैं। जो चीज सरकार छिपाती है, प्रेस उसका प्रकाशन करके जन-मानस और जन भावना को बताने की पूरी कोशिश करती है और उसका अंजाम देखने को मिल रहा है। अगर प्रेस पर इस तरह की पाबन्दी पहले लगा दी गई होती तो इस देश से प्रजातंत्र बहुत पहले समाप्त हो गया होता।

और आपका तेल का मामला कैसा उजागर हो रहा है, यह प्रेस की वजह से ही है। मैं फाइल की चर्चा नहीं करना चाहता, मैं केवल प्रेस की चर्चा करना चाहता हूं। अगर प्रेस की स्वतन्त्रता नष्ट हो गई, तो क्या ये सारी बातें हमको या देश को पता लग पांएगीं ?

सुब्रह्मण्यम स्वामी : यही तो वे चाहते हैं।

श्री जयपाल सिंह कश्यप : क्या नहीं हुआ ? बिहार में गाँधी मैदान, रेलवे स्टेशन सेक्यूरिटी पर गिरवी रख कर कर्जा ले लिया और जब इह चीज को प्रेस लेकर आता है, तो मंत्रियों की आखें लाल-पीली हो जाती हैं और यह कहा जाता है कि यह कैसा अभद्र समाचार है, समाचार-पत्रों ने झूठा समाचार दिया है और ये इतना गन्दा समाचार छापते हैं।

श्री रामस्वरूप राम : उपाध्यक्ष महोदय, इन सारी चीजों का इससे क्या मतलब है। ···(**व्यवधान**)

श्री जयपाल सिंह कश्यप : नक्सलवाद के नाम पर दमन हो और फर्जी एनकाउन्टर दिखाए जाते हैं और मैं तो कहूंगा कि बिहार की सरकार में जिस तरह का भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, उसको देखते हुए मैं माननीय गृह मंत्री जी से यह प्रश्न करूंगा कि क्या वे सारे भ्रष्टाचार के मामलों को लेकर के बिहार की सरकार को, वहां के मुख्य मंत्री को बर्खास्त करेंगे और कोई ऐसी पार्लियामेंटरी कमेटी बनाऐंगे जो इन भ्रष्टाचार के मामलों को लेकर उसको बर्खास्त कर सके जो प्रेस की आजादी का हनन कर रही है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में जो प्रेस की स्वतन्त्रता है, उसका हनन वहां की सरकार कर रही है। तो क्या आप उस सरकार को डिसमिस करने जा रहे हैं ? क्या उस सरकार को आप बर्खास्त करेंगे ? ···(**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : आप अपना प्रश्न जारी रखें। आपने अपनी बात कही है

श्री जयपाल सिंह कश्यप : ये सारे तो सरकार को मक्खन लगा रहे हैं मुझे तो पब्लिक के हित की बात कहने दीजिए ।

बिना मुकद्दमे चलाए कितने ही कैदी बिहार की जेलों में सड़ रहे हैं। अगर इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप न किया होता, तो क्या इसके बारे में देश के लोगों को पता लगता। इसलिए हम प्रेस के आभारी हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप प्रेस की स्वतन्त्रता पर बोल रहे हैं या बिहार के मुख्य मंत्री पर ?

श्री रामावतार शास्त्री : वह इसको उससे जोड़ रहे हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : वह एक समझदार व्यक्ति हैं । वह जो कुछ भी कहना चाहते हैं उसे कहेंगे ही ।

श्री जयपाल सिंह कश्यप : वे * *

हत्यारे हैं, प्रेस की स्वतन्त्रता के हत्यारे हैं, * *

मैं मंत्री जी से यह पूछूंगा कि यह जो बिल है, इस पर अपनी राय देने से पहले क्या आप इसको .....

उपाध्यक्ष महोदय : अगर आपने मुख्य मंत्री के विरुद्ध कोई आरोप लगाये हैं तो मैं कार्यवाही वृतांत देखूंगा ।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : उन्होंने तारीफ ही की है ।

श्री जयपाल सिंह कश्यप : क्या इस बिल को प्रेसीडेंट की एसेंट से पहले आप सुप्रीम कोर्ट के हो जजों और पार्लियामेंट के कुछ मेम्बरान की एक कमेटी बना कर, उनके सामने भेजेंगे ताकि इस पर पुनर्विचार हो सके और सही तरीके से भारतीय संविधान में जो हमने प्रेस की स्वतन्त्रता की सुरक्षा की व्यवस्था की है, उसके बारे में सही जानकारी प्राप्त हो सके ।

मैं यह भी बताना चाहूंगा कि जातिवाद फलाने की जिम्मेदारी क्या वहां की प्रेस की है या स्वयं मुख्य मंत्री जी की है । जातिवाद स्वयं मुख्य मंत्री जी ने फैलाया है, क्या आप इस झूठे लांछन और आरोप के लिऐ जो प्रेस पर लगाया जा रहा हैकि जांच करायेंगे कि जातिवाद बिहार के अन्दर फैलाने वाले मुख्य मंत्री जी हैं या प्रेस है ?

मैं भी यह जानना चाहूंगा कि बिहार में अब तक ऐसे कितने मामले सामने आये जिसमें प्रेस ने गलत बातों का उल्लेख किया और आपकी सरकार ने आई० पी० सी० और सी०आर०पी० सी० के अन्दर कार्यवाही की और सेक्शन 99 के ए० और बी० के अन्तर्गत कितने प्रकाशनों को जब्त किया और उन पर मुकद्दमा चलाया ? आई०पी० सी० में सेक्शन 153 बी से लेवर 500

* अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया गया ।

तक बहुत से प्रोविजन हैं जिनके आधार पर सारे मुकदमे चलाये जा सकते हैं। क्या अब तक बिहार की सरकार ने कोई मामला चलाया है और चलाया है तो उनकी संख्या कितनी है और उनके नतीजे क्या निकले, उनका प्रभाव क्या पड़ा ? क्या आपने इस प्रकार की कोई कार्रवाही की जिसके आधार पर उनको यह पता चला हो कि प्रेस इस तरह का काम कर रहा है और आप बिल ले आये ?

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : कांग्रेस में जो विरोधी है उनके खिलाफ भी इसका इस्तेमाल होगा।

श्री जयपाल सिंह कश्यप : तमिलनाडु में डी० एम० के० एक एम० एल० सी० जो कि पेपर निकालते थे, उसके एडीटर थे, उनको तमिलनाडु की सरकार ने गिरफ्तार किया, महज वैमनस्य की भावना से गिरफ्तार किया। क्या इसी तरह से इसका प्रयोग सरकार द्वारा उन पत्रकारों के खिलाफ जो कि विरोधी दल के रूप में जनता की सही तस्वीर ला करके सामने रखेंगे, किया जायेगा ? क्या इस पीनल कोड का इस्तेमाल इस प्रकार से किया जायेगा, या किस प्रकार से किया जायेगा ?

संविधान के अनुसार आर्टिकल 19 में प्रेस को स्वतन्त्रता प्राप्त है। जब केन्द्र के पास आर्टिकल 19 रहेगा और स्टेट के पास दूसरा कानून होगा तो प्रेस की स्वततंत्रता को लेकर क्या भविष्य में कंफ्लीक्ट पैदा नहीं होगा, मतभेद उत्पन्न नहीं होगा ? उस मतभेद को रोकने की व्यवस्था आपकी सरकार क्या करेगी ?

इस तरह से स्वततंत्र पत्रकारिता खत्म हो जायेगी। जब यह हो जायेगा तो देश के लोगों को सही समाचार किस तरह मिलेंगे ? सरकार तो अपनी गलती को दबाती है। अभी हरिजनों और बालमीकियों पर जुल्म का मामला आया। प्रेस ने एक हफ्ते पहले समाचार दे दिया। सिसवा कांड में महिलाओं पर अत्याचार और बलात्कार का मामला खड़ा हुआ। माया त्यागी जैसा दर्दनाक कांड आपके सामने आया। अगर प्रेस ने वह समाचार न दिया होता तो मंत्री जी के सामने वह बातें क्या आ पातीं ?

क्या इस तरह से आप प्रेस पर प्रतिबन्ध लगा कर डेमोक्रेटिक पद्धति को खत्म कर रहे हैं और डिक्टेटरशिप ला रहे हैं ? क्या एमर्जेन्सी को लाने के लिए आप धीमी रफ्तार से कदम उठा रहे हैं ?

श्री आर० वेंकटरामन : माननीय सदस्य ने कहा कि प्रेस की आजादी को नहस नहस करने के लिए षड़यंत्र चलाया जा रहा है।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : यह सही है।

श्री आर० वेंकटरामन : अगर यह षड़यंत्र है, मैं समझता हूं कि इस षड़यंत्र में जनता पार्टी भी भागीदार है

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : हम इसे नहीं मानते। आप जनता पार्टी के उदाहरण पर क्यों नहीं चलते .....

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में व्यवधानों को कार्यवाही वृतांत में शामिल नहीं किया जाता । मंत्री महोदय को इसका जवाब देने की आवश्यकता नहीं है ।

श्री आर० वेंकटरामन : मैंने पहले ही इसे समझा दिया है । शायद माननीय सदस्य ने मुझे सावधानीपूर्वक नहीं सुना । जब कभी भी आवश्कयता महसूस हो इसे नियंत्रित किया ही जाना चाहिए । जो कोई भी सरकार हो, उसके लिए यह आवश्यक होता है कि आवश्यकता पड़ने पर प्रेस की स्वतंत्रता को, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, राय की स्वतंत्रता आदि को संविधान के अनुसार नियमित करें । इसलिए संविधान निर्माताओं ने अनुच्छेद 19(2) का उपबन्ध किया था; नहीं तो वह यह कहकर कि प्रेस की स्वतंत्रता जरुरी है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जरुरी है अनुच्छेद 19 पर ही खत्म कर देते, इसलिए मैंने कहा था कि जो भी सरकार सत्ता में होती है उसके लिए यह आवश्यक होता है कि आवश्यकता पड़ने पर प्रेस की स्वतन्त्रता को नियमित करें, और उसे ऐसा करना भी चाहिए । (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आपको अनुमति नहीं दी जाती । वह आपने प्रश्नों का उत्तर नहीं देंगे आप अपनी शक्ति का अपव्य क्यों कर रहे हैं ।

श्री आर० वेंकटरामन : अगर आप यह कहना चाहते हैं कि सरकार सूचना को दबा रही है, तो यह ठीक नहीं है । लेकिन माननीय सदस्य के सारे आरोप इस अधिनियम के ठीक से न पड़ने और गलत प्रवधारणाओं पर आधारित हैं, विधेयक में यह प्रावधान है कि में किसी सरकारी कर्मचारी का अपने सरकारी कार्यों के निपटारे में अथवा उसके चरित्र के सम्बन्ध में यहाँ तक कि वह इसके अनुरूप है अधिक नहीं है का सद्भावना में उल्लेख किया जाना अश्लींल नहीं है । मतलब है कि आपको सरकारी कर्मचारी द्वारा किये गये सरकारी कार्य से संबंधित आलोचना की प्रेस को पूरी स्वतन्त्र है । माननीय सदस्य द्वारा उल्लेख की गई घटनाओं इसी प्रावधान द्वारा कवर हो जाती हैं और इसे निकाला नहीं जा रहा है ।

एक अन्य परन्तुक है , जिसमें कहा गया है कि : यदि कोई व्यक्ति किसी सरकारी सेवक पर प्रहार करता है, और उसके उस कृत्य का सम्मान करता है जिससे संबन्धित है तो आप उस व्यक्ति के चरित्र पर उस सार्वजनिक कृत्य के संदर्भ में चर्चा कर सकते हैं, जिनका वह निर्वाह करता है । इसी सीमा तक आप उस पर चर्चा कर सकते हैं । यही इसकी सीमा है । अतः किसी सरकारी सेवक द्वारा किये गये किसी कार्य की सार्वजनिक आलोचना पर प्रतिबन्ध नहीं होगा, बशर्ते कि यह (क) सद्भावना से की गई हो (ख) यह सार्वजनिक कृत्यों के निर्वहन से तक सीमित हो । यह सुप्रसिद्ध प्रतिबन्ध हैं और इसमें कुछ भी नया नहीं है ।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : क्या आप इस विधेयक के पक्ष में बोल रहे हैं ?

श्री आर० वेंकटरामन : उन्होंने प्रश्न पूछा है इसलिए मैं उत्तर दे रहा हूं । असल में, अगर आप ज्यादा प्रश्न पूछेंगे तो आपको ज्यादा जवाब मिलेंगे । यही इसका खेद जनक अंश है । अगला प्रश्न है : क्या आप इसे उच्चतम न्यायालय को सोपेंगे ? यह बिल्कुल जरूरी नहीं है । जब

यह पास हो जायेगा तो कानून के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति इस अधिनियम की वैधता को चुनौती दे सकता है। वह यह कह कर कि, यह संविधान की भावना के विरुद्ध है, इससे मूलभूत अधिकारों का हनन होता है, इसे न्यायालय में चुनौती दे सकता है। इस तरह कोई भी व्यक्ति जो इससे प्रभावित है या किसी अन्य व्यक्ति को भी न्यायालय में जाने का अधिकार है। सरकार को इस मामले को न्यायालय को सोंपने की आवश्यकता नहीं है।

अगला प्रश्न है। क्या आप विहार सरकार को बरखास्त करेंगे ? मैं असंगत प्रश्नों का उत्त देने के लिए तैयार नहीं हूं।

आगे उन्होंने यह पूछा कि इस बात की क्या गारन्टी है कि इस उपबन्ध का दुरुपयोग नहीं किया जायेगा ? हमारी कानूनी व्यवस्था में इस बात का पूरा ध्यान रखा जाता है कि कानून के किसी उपबंध का दुरुपयोग न हो। मांग किसी व्यक्ति द्वारा कानून का दुरुपयोग किये जाने से ह कानून का निरसन नहीं किया जा सकता। उस हालत में सवसे पहले भारतीय दंड संहिता का ही निरसन करना होगा, क्योंकि इसका काफी दुरुपयोग हो सकता है। अगर आप सही अर्थ में इसकी व्याख्या करेंगे तो, सारे भारतीय दंड संहिता का ही दुरुपयोग किया जा सकता है। असली में श्री मकेलै ने खुद ही लिखा था कि दूसरे की दवात से पेन में स्याही भरना भी चोरी है। इस तरह, परिभाषा इतनी कठोर हैं कि किसी का भी दुरुपयोग किया जा सकता है।

परन्तु क्योंकि इसका दुरुपयोग हो सकता है केवल इसीलिए उस कानून का निराकरण किया जाना चाहिए किसी ऐसे विधिशास्त्र का सिद्धांत है जिससे मैं परिचित नहीं हूं, शायद दूसरे लोग परिचित हों। अतः वह भी प्रमाणिक तर्क नहीं है।

फिर उन्होंने पूछा जब राज्य विधान तथा केन्द्र विधान में मैं विरोध हो तो हमें क्या करना चाहिए ? इसके बारे में, मैं अपने पहले उत्तर में ही उल्लेख कर चुका हूं। मैं अपने माननीय मित्र का ध्यान संविधान के अनुच्छेद 254 की ओर दिलाता हूं और संक्षेप में कहूंगा कि यदि समवर्ती सूची में दिये गये किसी विषय के मामले में राज्य विधान केन्द्रीय विधान से टकराता है और यदि राज्य विधान को राष्ठ्रपति की सहमति मिल जाती है तो राज्य विधान केन्द्रीय विधान पर अभिभावी होगा।

तत्पश्चात लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए दो बजे तक के लिए स्थगित हुई।

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात दो बजकर छः मिनट पर पुनः समवेत हुई।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

सभा का कार्य

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : महोदय, मैं

आपकी अनुमति से घोषणा करता हूं कि 9 अगस्त 1982 से आरम्भ होने वाले सप्ताह के लिए निम्नलिखित सरकारी कार्य लिया जायेगा ।

(1) आज की कार्य सूची से बचे हुए सरकारी कार्य के किसी भी मद पर विचार किया जाना तथा पारित किया जाना

(2) (क) औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक 1982

(ख) मोटरयान (संशोधन) विधेयक 1982 पर विचार किया जाना तथा उन्हें पारित किया जाना ।

(3) राज्य सभा द्वारा पारित रूप में निम्नलिखित विधेयकों पर विचार किया जाना तथा उन्हें पारित किया जाना ।

(क) विक्रय संवर्धन कर्मचारी (सेवा शर्त) संशोधन विधेयक, 1982

(ख) रबड (संशोधन) विधेयक 1982

(ग) राष्ट्रीय जल मार्ग (गंगा-भागीरथी-हुगली नदी का इलाहाबाद हल्दिया भाग) विधेयक 1982,

(4) मानसिक स्वास्थ्य विधेयक, 1981 को संयुक्त समिति को सौंपने संबंधी राज्य-सभा की सिफारिश के प्रस्ताव पर विचार ।

(5) पिछड़े वर्ग आयोग के प्रतिवेदन के बारे में नियम 193 के अधीन चर्चा ।

श्री अशफाक हुसैन (महाराजगंग) : डिपुडी स्पीकर महोदय, उत्तर प्रदेश और बिहार में किसानों का एक अरब से भी अधिक रुपया चीनी मिल मालिकों और सरकार के अधीन चलने वाली मिलों पर बकाया है । खरीफ और धान की बोवाई के समय किसानों को बकाया रुपया न मिलने की वजह से कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है । बैल खरीदने बीज और खाद का इन्तजाम करने और कृषि यन्त्र खरीदने या उनकी मरम्मत के लिए भी उनके पास पैसा नहीं है । इस पर से सरकारी, सहकारी और बैंक के बकाये की वसूली के लिए नोटिस और कुर्की उनके पीछे दौड़ रही है । केन्द्र सरकार किसानों का सारा बकाया हर हालत में 31 अगस्त तक भुगतान करा दे और जब तक किसानों पर सरकारी, सहकारी या बैंक की हर तरह की वसूली रोक दी जाए । गन्ना किसानों के बकाये पर मिलों से गन्ना कंट्रोल नियम 1966 के अन्तर्गत सूद सीधे किसानों को दिलवाने की व्यवस्था की जाए इस विषय पर अगले सप्ताह बहस कराई जाए ।

पूर्वोत्तर रेलवे इस समय सबसे अधिक अव्यवस्था का शिकार है । समस्तीपुर से लखनऊ तक आमान-परिवर्तन को साल भर से अधिक समय गुजर चुका है, लेकिन अब भी इस लाइन पर मुसाफिरों का कष्ट कम नहीं हुआ है । लखनऊ से गोरखपुर पहुंचने के लिए छोटी लोइन की गाड़ी पहले ८ घन्टे लेती थी, अब बड़ी लाइन की गाड़ी आमान-परिवर्तन के बाद 8 घण्टे से भी अधिक समय लेती है, वह जाते समय ढाई घण्टे और आते समय साढ़े तीन घण्टे लखनऊ में पड़ी रहती है । इस दरमियान उनका एयर कंडीशनर भी बन्द कर दिया जाता है, जिससे गाड़ी में पड़ा रहना

भी नामुमकिन हो जाता है। बाकी बची छोटी लाइन की हालत तो और ज्यादा खराब है। जिस लाईन पर पहले चार गाड़ियाँ चला करती थीं, उस पर अब एक या दो गाड़ियाँ चलतीहैं, जिनके आने-जाने का कोई समय नहीं है। गोया पूर्वोत्तर रेलवे का इस वक्त कोई पुरसाने-हाल नहीं है। रेल मंत्री को इस रेलवे पर खास तवज्जुह देकर सुधार लाना चाहिए और सीधी गाड़ियाँ अभी चलाना सम्भव नहीं है, तो वर्तमान सवारी गाड़ियों में डीजल इन्जिन की व्यवस्था कर इनको कम समय में पहुंचाया जा सकता है।

इन दोनों विषयों पर मैं अगले सप्ताह सदन में चर्चा चाहता हूं।

श्री जयपाल सिंह कश्यप (आवला) : उपाध्यक्ष महोदय, आगामी सप्ताह की कार्यवाही के लिए मैं निम्न दो मुद्दों पर बोलना चाहता हूं, सम्मिलित करावें।

1. मल्लाह और मछुआ समाज के लोग इस देश में 6-7 करोड़ की संख्या में रहते हैं। इनकी सामाजिक शैक्षिक आर्थिक एवं राजनैतिक स्थिति बहुत दयनीय है। हर माने में ये देश के अन्य वर्गों से बहुत पीछे हैं। इनके धंधे मत्स्य उत्पादन नाव परिवहन, जलाशयों व नदियों में जल से उत्पन्न होने वाली फसलों का उत्पादन करना और जल से सम्बन्धित काम धंधे हैं। स्वतन्त्रता के बाद इन लोगों को किसी भी प्रकार का सामाजिक व आर्थिक क्षेत्र में उन्नति करने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ। इन वर्गों की स्थिति अनुसूचित जाति वे जन जाति से भी नीचे स्तर की रह गई है। सरकारी सेवाओं में और अन्य सेवाओं में इनको प्रतिनिधित्व नहीं मिल पा रहा है। मल्लाह और मछुआ समाज में निषाद धीवर माझी विन्द कर्वत कहार राइकवार आदि उपजातियां आती हैं जो देश के अनेक राज्यों में अनुसूचित जाति या जन जाति में सम्मिलित कर ली गई हैं। परन्तु पूरे देश में इनको अखिल भारतीय स्तर पर अनुसूचित जाति, जन जाति में मल्लाह व मछुआ समाज की समस्त उप-जातियों को अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की सूची में सम्मिलित करने के लिए सरकार की व्यवस्था करनी चाहिए।

2. देश में करोड़ों लोग बेरोजगार है बेरोजगार पाने की आशा में विभिन्न पदों के लिए करोड़ों नवयुवक एवं बेरोजगार आवेदन पत्र देते हैं और अनेक कम्पीटीशनों में बैठते हैं। बेरोजगार युवकों को साधनों के अभाव में भी आवेदन पत्र का मूल्य एवं कम्पीटीशनों की फीस भी देनी होती है। परीक्षा व साक्षात्कार के लिए उनको आने जाने का मार्ग व्यय भी उठाना पड़ता है। बेरोजगारों से किसी भी प्रकार का आवेदन एवं परीक्षा शुल्क लेना घोर अन्याय है क्योंकि यह सब खर्च करने के बावजूद उसको रोजगार पाने की कोई गारंटी नहीं है। सरकार एवं रोजगार देने वाली समस्त संस्थायें बेरोजगारों से सब प्रकार का शुल्क फीस आदि लेना समाप्त करें और संविधान में संशोधन करके प्रत्येक बालिग व्यक्ति की योग्यतानुसार रोजगार देने की गारंटी की जाय और रोजगार न मिलने पर बेरोजगारी भत्ते की व्यवस्था की जाय।

श्री बाबू राव परांजवे (जबलपुर) : मैं सरकार से अगले सप्ताह की कार्य-सूची मे निम्न लिखित दो मदें सम्मिलित करने का निवेदन करता हूं दो मदें हैं।

(1) हाल ही में पाकिस्तान जेलों से छूट कर जो कैदी आये हैं उससे पता चलता है कि

उनकी जेलों में भारतीय कैदियों के साथ अमानवीय तथ अत्याचार पूर्ण व्यवहार किया जा रहा है पाकिस्तान के समाचार पत्रों में भी, पाकिस्तान में कैदी भारतीयों के साथ किये जा रहे निकृष्ट व्यवहार के बारे में खबरें छपी हैं। उनमें से बहुत से बिना मुकदमा चलाये ही जेल में डाल दिये गये हैं। जो कैदी हाल ही में पहुंचे हैं उनके हालातों से पता चलता है कि अमानवीय व्यवहार से पागलपन पैदा हो गया हे और परिणाम स्वरूप वे मानसिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गये हैं। महोदय, यह व्यवहार मानवीय व्यवहार के किसी भी मापदण्ड से कहीं भी अनुभव नहीं किया जा रहा है। यह मामला अविलम्बनीय लोक महत्व का है और सरकार से इस विषय पर चर्चा करने के लिए समय निकालने का निवेदन करता हूं ताकि हमारी सरकार संसद को यह आश्वासन दे सके कि जो भारतीय पाकिस्तान की जेलों में सड़ रहे हैं उनको संरक्षण देने तथा उनका ध्यान रखने के लिए आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

(2) हमें हमेशा यह आश्वासन दिया गया है कि सरकार दहेज के कारण होने वाली मौतों के सम्बन्ध में चिन्तित है। परन्तु वास्तव में अधिक कुछ नहीं किया जा रहा है। इसके विपरीत पिछले एक वर्ष में देश में, विशेष रूप से दिल्ली में युवा महिलाओं की दहेज के कारण हुई मौतों की संख्या बढ़ रही है। इन मौतों को आत्महत्या-दुर्घटना, डूबना, जलना और ऐसी श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है परन्तु इन मौतों के मामलों का पता लगाने के लिए उचित प्रकार से जांच नहीं की गयी। बहुत से मामलों में ऐसे मामलों को उचित गवाही के अभाव में दबा दिया गया और कुछ मामलों को पुलिस अधिकारियों की सांठगांठ से दबा दिये जाने के समाचार हैं।

निस्सन्देह यह अविलम्बनीय लोक महत्व का मामला है और दिल्ली तथा सारे देश की जनता के मन में यह विचार व्याप्त है कि दहेज से होने वाली मौतों को रोकने के लिए कुछ और अधिक तथा ठोस कार्यवाही की जानी चाहिए। इसलिए यह आवश्यक है कि अगले सप्ताह की कार्य सूची में इस विषय पर पूरी चर्चा भी सम्मिलित की जाये।

प्रो० अजीत कुमार मेहता : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अगले सप्ताह के कार्यक्रम के लिए कार्य-सूची में निम्नलिखित विषयों को शामिल करने का सुझाव देता हूं :

(1) जूट मिलों में तकनीकी कामों के लिए भी समुचित योग्यता नहीं रखने वाले लोगों को नियुक्त कर लेने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। कहीं कहीं तो ऐसे लोगों को टेकनोलोजिस्टों को हटा कर रखा गया है जिनका दूर से भी जूट टेकनोलोजी से सम्बन्ध नहीं है। भारतीय जूट उद्योग बंगला-देश चीन और थाईलेण्ड से कठिन प्रतियोगिता का सामना कर रहा है। विदेशी खरीदारों की आवश्यकताओं की समझ और उसके अनुसार उत्पादन के स्तर का निर्धारण और गुण का नियन्त्रण टेक्नोलोजिस्टों की सहायता से ही सम्भव है। अभी 25 प्रतिशत कारखानों के प्रबन्धक ऐसे हैं जिन्हें जूट टेक्नोलोजी की समुचित नहीं है। इस नीति का जारी रहना उद्योग योग्यता के लिए घातक है। उद्योग नरम श्रण नीति की सुविधा का लाभ उठाकर अपना आधुनिकरण भी नहीं कर रहा है न पुरानी अक्षम मशीनों को बदल रहा है, जिससे प्रतियोगिता से उबरने में सहायता मिलती और 3500 टेक्नोलोजिस्टों का नियोजन हो सकता। प्रशिक्षित टेक्नोलीजिस्टों की नियुक्ति अनिवार्य करने के साथ ही 40 कर्मचारियों को प्रति वर्ष इंस्टीट्यूट आफ जूट टेक्नो-

लोजी में स्नातकोतर प्रशिक्षण के लिए स्पांसर करने के लिए प्रतिबाधित करने का सुझाव देता हूं।

(2) समस्तीपुर दरभंगा मीटरगेज रेलवे लाइन को ब्राडगेज में परिवर्तित करने की योजना 1973 से ही लम्बित है। 1980-81 के बजट में इसके लिए 15 लाख रुपए की व्यवस्था की गई थी तथा तत्कालीन रेल मन्त्री ने आमान परिवर्तन की परियोजना का उद्घाटन भी कर दिया था और 1981-82 के बजट में इस खर्च की पूर्ति के लिए 50 लाख रुपए कप्रावधान किया था किन्तु अब उसे वापस कर लिया गया है। इससे इस पिछड़े क्षेत्र के समुचित विकास की प्रक्रिया धीमी पड़ने की अशंका हो गई है। अतः अगले सप्ताह इस परियोजना के कार्यान्वियन के लिए अपेक्षित राशि का प्रावधान-पूरक बजट लाकर करने का मेरा सुझाव है।

श्री जगपाल सिंह (हरिद्वार) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अगले सप्ताह की कार्यसूची में दो मद लोक महत्व के जुड़वाना चाहता है :

(1) देश में बढ़ती हुई विमान अपहरण की घटनाओं को देखते हुए विमान यात्रियों में भय का वातावरण बन गया है। देश की रेल और बसों की तरह विमान में सफर करना भी सुरक्षित नहीं रहा। इसलिए विमानों की सभी उड़ानों में दो सीट पुलिस बल के लिए आरक्षित की जायें, जो इस तरह की घटनाओं पर तुरन्त कार्यवाही करके अपहरण को बचा सकें।

(2) देश के सभी भागों में बहुराष्ट्रीय एवं भारतीय औषधि कम्पनियां व कुछ बेनामी कम्पनियां प्रभावहीन अथवा अनावश्यक दवाइयां बेच रही है, जिनके कारण लोगों को अपनी अपनी जान से हाथ धोना पड़ रहा है। लोग पेसा खर्च करके भी बीमारी से छुटकारा नहीं पाते हैं। ऐसी कम्पनियों के खिलाफ अगले सप्ताह की कार्यवाही में चर्चा कराने का कष्ट करें। धन्यवाद।

श्री रामवतार शास्त्री (पटना) : उपाध्यक्ष महोदय, लोक सभा की आज की पुनरीक्षित कार्यसूची की मद संख्या 5 के क्रम में मैं अगले सप्ताह के लिए निम्न विषय पेश कर रहा हूं :—

1. **सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता :**

पिछले कुछ दिनों से महंगाई ने फिर से सर उठाना शुरु कर दिया है। आवश्यक सामग्रियों के थोक मूल्यों में तो वृद्धि चल हो रही है, खुदरा मुल्यों में वृद्धि कभी रुकी नहीं बल्कि और तेजी से बढ़ रही है। नियंत्रित गेहूं के मूल्यों में वृद्धि की सरकारी घोषणा के बाद व्यापारियों ने खुदरा दाम 10 से 15 प्रतिशत बढ़ा दिए हैं। देश के एक बड़े भाग में भयंकर सूखे की स्थिति से महंगाई और तेजी से बढ़ेगी। नौकरी-पेशा लोग तथा देहातों-शहरों के गरीब, इसके सबसे बड़े शिकार होंगे।

सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ते के अप्रैल के किश्त की अदायगी की घोषणा तो की है पर 1 जून 1982 को महंगाई भत्ते की एक और किश्त बकाया पड़ गई है। इसकी घोषणा अब तक नहीं की गई है।

अतः मेरा वित्त मन्त्री से निवेदन होगा कि वह जून के किश्त की बकाया राशि के भुगतान की घोषणा करते हुए सदन में एक बयान प्रस्तुत करें।

2. **नक्सली आन्दोलन :**

बिहार के कई जिलों में इस आन्दोलन के नाम पर लूटपाट, हत्या का सिलसिला चल रहा है। कथित नक्सलियों ने कहीं-कहीं राजनीतिक हत्याएं भी शुरु कर दी हैं। बिहार के कई जिलों में वे ऐसा कर चुके हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के कई कार्यकर्त्ताओं की हत्यायें की जा चुकी हैं।

कथित नक्सली अपना आतंक मेरे निर्वाचन क्षेत्र पटना के नौबतपुर, विक्रम, फुलवारी अंचलों तथा कुछ अन्य स्थानों पर फैलाये हुए हैं। अपनी गलत राजनीति के रास्ते में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को सबसे बड़ा विरोधी समझ कर ही वे इस पार्टी के साथ भिड़न्त की नीति अपना रहे हैं। उन लोगों ने पटना क्षेत्र के कम्युनिस्ट नेता श्री भुवनेश्वर शर्मा, भुतपूर्व विधायक नाम नारायण सिंह और दशरथ पासवान की कहीं भी हत्या कर देने की घोषणा की है। भुवनेश्वर शर्मा की हत्या करने के लिए अब तक चार बार उनके घर पर सशस्त्र गिरोह हमला कर चुका है। अभी हाल में नक्सलियों के बम से श्री शर्मा के घर की तीन महिलाएं और छः बच्चे बुरी तरह से घायल हो गये।

इस विषय पर सदन में बहस होनी चाहिए मेरा 184 के तहत एक संकल्प भी स्वीकृत है।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी (बम्बई उत्तर पूर्व) : अगले सप्ताह की कार्य सूची में सम्मिलित किये जाने वाले विषयों के सम्बन्ध में मैं लिखित सुझाव देता हूं,

इस बात के बारे में काफी भ्रान्ति है कि तारापुर ईन्धन के प्रश्न पर प्रधान मंत्री ने क्या समझौता किया है नवम्बर 1981, में वर्तमान सरकार ने अमेरिका की ओर से एक तीसरे देश फ्रांस द्वारा पूर्ति किये जाने के प्रस्ताव को स्पष्ट रूप से अस्वीकृत कर दिया था। उससे पहले जनता सरकार ने उसी प्रस्ताव को अस्वीकृत कर दिया था।

संसद में विदेश मन्त्री श्री पी० वी० नरसिंहा राव ने कहा था कि अमेरिक के साथ किया गया ठेका 'मृत' हो चुका है और केवल (इसे समुचित रुप से दफनाना) शेष है। परन्तु अब श्रीमती गाँधी ने अमेरिका जाकर लाश में जीवन फूंक दिया है और एक प्रति पत्री देश के साथ पुनः समझौते को दोहरा दिया है। आज के समाचार पत्रों के अनुसार फ्रांस के विदेशमन्त्री ने घोषणा की है कि नये समझौते में दो और नई शर्तें जोड़ी जाती हैं। इसका तात्पर्य हमारी आत्म निर्भरता को धक्का लगना है।

इससे लोगों में गम्भीर भ्रान्तियाँ पैदा हो गयी हैं। इसलिए तारापुर समझौते पर पूरी चर्चा की जानी चाहिए और प्रधान मन्त्री को सभा को यह आवश्यक देना चाहिए कि हमारे वैज्ञानिकों का कार्य बेकार नहीं जायेगा।

श्रीमती प्रमिला दण्डवते (बम्बई उत्तर मध्य) : जब संसदीय कार्य मन्त्री सरकार के अगले

सप्ताह के कार्य के बारे में सभा में वक्तव्य देते हैं तो मैं चाहूंगी कि अगले सप्ताह के सरकारी कार्य में निम्नलिखित विषय सम्मिलित किये जाये।

1. **सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए जहरीले तथा दूषित गेहूँ।**

निर्यातक देश आस्ट्रेलिया की सरकार की चेतावनी के बावजूद भी सरकार कीटनाशक दवाईयों के छिड़काव की वजह से दूषित हो गई 7,50,000 टन गेहूं का आयात कर रही है जो भारतीय उपभोक्ता पथप्रदर्शक समिति जैसे उपभोक्ता संगठनों के अनुसार नष्ट कर दिया जाना चाहिए।

यह समाचार मिला है कि केन्द्र सरकार द्वारा मंगाया गया सारा गेहूं जहरीली फफूंदी से दूषित है और इसे भी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के मध्यम से उपभोक्ताओं में नहीं बांटा जाना चाहिए।

चूंकि इससे उपभोक्ताओं की जानों को भारी खतरा पैदा हो रहा है मैं निवेदन करूंगी कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरित की जा रही वस्तुओं की किस्म व मूल्य नियन्त्रण पर एक चर्चा होनी चाहिए।

2. **पुलिस आयोग का प्रतिवेदन**

पुलिस द्वारा सिसवा में अत्याचार पुर्ण व्यवहार जहां पुलिस द्वारा महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया। तथा घरों को लूटा गया, दिल्ली में एक उपनिरीक्षक द्वारा एक कान्सटेबिल की पत्नी के साथ बलात्कार किया जाना, छात्र संघर्ष वाहिनी की एक कार्यकर्ता कुमारी मधु को अनुसूचित जातियों के 3000 निवासिओं को संरक्षण दिये जाने तथा एक वैश्या को बचाने का प्रयास किये जाने की वजह से पुलिस द्वारा यातना दिये जाने के समाचार पुलिस के नैतिक स्तर के पतन के उदाहरण हैं।

देश में कानून और व्यवस्था की बिगड़ती हालत तथा पुलिस के व्यवहार के बारे में बढ़ती हुई शिकायतों को ध्यान में रखते हुए इस दुर्भावना का मूल उपचार ढूंढना बहुत आवश्यक है।

इसलिए सरकार से मैं निवेदन करूंगी कि पुलिस आयोग के प्रतिवेदनों के सभी पाँचों खण्ड चर्चा के लिए सभा पटल पर रखे जायें।

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं संख्या 5 के अन्तर्गत निम्नलिखित महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा चाहता हूं :—

(1) पत्रकारों को सरकारी क्वार्टर आवंटन नहीं किये जाने के कारण पत्रकारों में काफी क्षोभ है केन्द्रीय सरकार से मान्यता प्राप्त पत्रकारों को सरकार की ओर से 110 क्वार्टर निर्धारित किये गये हैं जिन्हें वरीयता के आधार पर सूची बना कर आवंटित किया जाता है। लेकिन क्वार्टर खाली पड़े हैं जिन्हें पत्रकारों को अलाट करने में जानबूझ कर विलम्ब किया जा रहा है।

अतः सरकार खाली क्वार्टर को वरीयता के आधार पर शीघ्र पत्रकारों को आवंटित करे।

साथ ही सरकारी क्वार्टरों के आवंटन में की जा रही अनियमितताओं के सम्बन्ध में सदन में चर्चा हो।

(2) प्रधान मन्त्री की हाल की अमेरिका यात्रा काफी महत्वपूर्ण बतायी जाती है। प्रधान-मन्त्री ने अपनी अमेरिका यात्रा को काफी संतोषजनक बताया है लेकिन समाचार पत्रों के अनुसार सभी महत्वपूर्ण मसलों जैसे अमेरिका द्वारा पाकिस्तान को भविष्य में और हथियार नहीं देने, लेबनान के सम्बन्ध में अमेरिका का रुख तथा तारापुर में प्रयुक्त यूरेनियम को पुनः संसाधित करने के भारत के अधिकार के बारे में अमेरिका का रुख ज्यों का त्यों पूर्ववत् है तो फिर किस आधार पर प्रधान मंत्री ने अपनी यात्रा को अत्यन्त संतोषजनक बताया है।

अतः प्रधान मन्त्री से अपनी हाल की विदेश यात्रा के सम्बन्ध में सदन में वक्तव्य देने का निर्देश दिया जाये तथा सदन को उस पर बहस की अनुमति दी जाये।

श्री बी० डी० सिंह (फूलपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं दिनांक 9-8-82 से प्राप्त होने वाले सप्ताह के लिए सरकारी कार्यक्रम सूची में निम्नलिखित विषयों को सम्मिलित करना चाहता हूं :

मूल्यों में अबाध गति से वृद्धि

गत मई महीने से मूल्यों में अबाधिगति से वृद्धि हो रही है। चिंताजनक बात यह है कि सरकार की बड़ी आत्म-श्लाघा के, कि रबी की फसल बहुत अच्छी हुई है और सरकार के पास खाद्यान्न का पर्याप्त भंडार है, इस प्रकार मूल्य-वृद्धि हो रही है। सरकार के मूल्य वृद्धि रोकने के अनेक प्रयास प्रभावकारी नहीं हो पा रहे है। अतएव कहीं न कहीं कोई खामी अवश्य है। गत बारह सप्ताहों से सभी वस्तुओं का अधिकृत थोक मूल्य सूचकांक लगातार बढ़ता जा रहा है और यह सर्वविदित है कि उपभोक्ता मूल्य वृद्धि की दर से काफी अधिक होती है। परिणामस्वरूप सामान्य जन जीवन त्रस्त है। गत 17 जुलाई को समाप्त होने वाले सप्ताहान्त के दौरान मूल्य सूचकांक अपने नये शिखर 291.2 पर पहुंच गया। यह मूल्य वृद्धि प्रधानतया खाद्य पदार्थों के मूल्य सूचकांक तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं के मूल्य सूचकांक में वृद्धि के कारण हुई है।

जखीरेबाज एवं कालाबाजारिये परिस्थितियों से नाजायज फायदा उठाने में संलग्न हैं। इन पर अंकुश लगाने के लिए प्रांतीय सरकारें आवश्यक वस्तु अधिनियम का साम्यक उपयोग नहीं कर रही हैं अनेक प्रान्तीय सरकारों ने अधिनियम के क्रियान्वयन के लिए अभी तक प्रारम्भिक व्यवस्थाएं तक नहीं की है। मानसून के विलम्ब के कारण सूखे की स्थिति आग में घी का काम कर रही है। प्रतिकूल प्रकृति का लाभ उठा कर ये कालाबाजारिये मूल्यों को और अधिक बड़ाने में योगदान करेंगे।

अतएव मैं साग्रह निवेदन करूंगा कि सदन में इस विषय पर चर्चा की जाये एवं इस चिंता-जनक स्थिति के निवारण के लिए उपाय निकाले जायें।

पुलिस जनों में बढ़ती अपराध प्रवृत्ति

यह बड़ी ही चिंता एवं क्षोभ का विषय है कि विगत दो-ढाई वर्षों से पुलिसजनों में अपराध

की प्रवृत्ति बड़ी तेजी से बढ़ती जा रही है। यह ऐसी समस्या है, जिससे कमोबेश सारा देश प्रभावित है। जिन लोगों का उत्तरदायित्व है कि देश में, समाज में शांति व्यवस्था सुदृढ़ हो सभी प्रकार के अपराधों में ह्रास हो, अराजक तत्वों का कठोरता से दमन हो, नागरिकों में सुरक्षा की भावना बलवती हो, यदि वे ही लोग स्वयं अपराध प्रवृत्ति एवं नियमोल्लंघन के शिकार हो जायेंगे, तो फिर जन सामान्य की स्थिति कितनी दयनीय हो जायेगी, अकल्पनीय है।

आज प्राय प्रतिदिन ऐसे समाचार प्राप्त हो रहें हैं, जिनमें पुलिस के लोग अनेक प्रकार के अपराधों में लिप्त पाये जा रहे हैं। बलात्कार, डकैती राहजनी, हत्याओं, जैसे संगीन अपराधों में पुलिसजनों की सीधी सम्बद्धता एक गंभीर समस्या बनती जा रही है। अधिकृत यात्री को चाहे बैठने को स्थान न मिले, परन्तु रेलगाड़ियों में पुलिस के लोग प्रथम श्रेणी में अनधिकृत रूप से यात्रा करते पाये जायेंगे। अराजक तत्वों से अनुचित संबंध रखना एवं जनसाधारण को निरपराध दंडित करना आज पुलिसजनों का सामान्य कार्य हो गया है।

अतएव मान्यवर, मैं चाहता हूं कि इस सम्मानित सदन में इस विषय पर विचार विमर्श हो तथा समस्या के निदान के लिए कुछ उपाय निकाले जायें।

श्री राजेश कुमार सिंह (फिरोजाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, एशिया-82 के टिकटों की बिक्री यहां पर होनी है। कल हाउस नहीं है, सिर्फ 150 टिकट हैं, इसलिए सीमा निर्धारित की जानी चाहिए। (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : आपको पहले नोटिस देना चाहिए। इसे इस तरह मत पूछिए। आपको पहले मुझे लिखकर देना चाहिए और फिर उस पर मेरी अनुमति लेनी चाहिए।

श्री जगपाल सिंह (हरिद्वार) : एक-एक संसद-सदस्य ने 16-16 हजार रुपए जमा करा दिए हैं। (**व्यवधान**) सीमा निर्धारित की जानी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : जब तक आप मुझे लिखकर नहीं देते और मेरी अनुमति नहीं लेते मैं अनुमति नहीं दे सकता। हर कम को करने का एक तरीका होता है। मैं नहीं जानता आप क्या कह रहे हैं क्योंकि आपने नोटिस नहीं दिया है। यह शून्य कल नहीं है। आपको नोटिस देना चाहिए।

श्री मलिक एम० एम० ए० खान (एटा) : लोकसभा के सदस्यों के लिए सिर्फ 100 टिकट हैं, 542 हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : इसे इस तरह मत पूछिए। आपको मुझे लिखना चाहिए और मेरी अमुमति लेनी चाहिए। मेरी अनुमति के बिना कुछ भी कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। (**व्यवधान**)

श्री मलिक एम० एम० ए० खान० : हम आपको लिखकर दे रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय को माननीय सदस्यों द्वारा उठाए गए विभिन्न प्रश्नों का उत्तर देने दीजिए ।

* कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया ।

श्री भीष्म नारायण सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिन माननीय सदस्यों ने विभिन्न विषयों पर अगले सप्ताह चर्चा करने के लिए सुझाव दिए हैं, मैं उन सबका आभारी हूं । जैसी कि प्रक्रिया है, मैं प्रोसीडिंग पढ़ूंगा और आवश्यक समझूंगा तो कार्य मंत्रणा समिति के समक्ष उपस्थित करूंगा । (इति)

उपाध्यक्ष महोदय : आप में से एक को बोलना चाहिए ।

श्री राजेशकुमार सिंह (फिरोजाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, सोमवार को हाउस बैठेगा, कल छुट्टी है । टिकटों की संख्या 150 है और कोई सीमा निर्धारित नहीं है । अगर एक ही माननीय सदस्य सारे टिकट ले ले तो बाकियों को नहीं मिल सकेंगे । सबको टिकट उपलब्ध हों, इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए । **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने यह मामला उठाया है । अब, हर एक व्यक्ति को इस पर कैसे बोलना चाहिए । आप संबंधित मंत्री से मिलिए और उनसे चर्चा कीजिए । सदन इस पर निर्णय नहीं दे सकता ।

श्री मलिक एम० एम० ए० खान : हमारी बात सुन लीजिए । हम आपको लिख कर दे रहे हैं । सारे सदस्यों का सवाल है । 50 टिकट राज्यसभा के लिए हैं और 100 टिकट लोकसभा के लिए हैं । 542 सदस्य हैं । हमारी कांस्टीट्वेंसी से जो लोग आएंगे, उनको हम क्या जवाब देंगे ?

उपाध्यक्ष महोदय : आप संबंधित मंत्री से मिलिए । सदन इस पर निर्णय नहीं कर सकता मुझे बहुत खेद है । मैं इस मामले पर निर्णय नहीं दे सकता ।

श्री मलिक एम० एम० ए० खान : हम आपके थ्रू रिक्वेस्ट कर रहे हैं । हम आपको लिखकर दे रहे हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : इस तरह सदन की कार्यवाही नहीं चलायी जा सकती । हरेक काम करने का एक तरीका होता है । यदि जब तक सदस्य खड़े होकर मामला उठाते रहेंगे तो मैं सदन की कार्यवाही का संचालन कैसे कर सकता हूं ? वे नोटिस नहीं देते हैं । यह कोई तरीका नहीं है । मैं और किसी को अनुमति नहीं दूंगा । मैं पहले ही एक सदस्य को अनुमति दे चुका हूं । **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : बस । आप मुझसे निर्णय की आशा नहीं कर सकते । इस विषय से सम्बधित एक विषय है । **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : आप विधेयक को महत्व न देकर किसी और बात को महत्त्व देने के लिए तैयार हैं ।

श्री सोमनाथ चटर्जी (जादवपुर) : संबंधित मंत्री को सदन की भावनाओं के बारे में बताया जाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : आप जो भी प्रश्न यहां पूछना चाहते हैं, आप उसका नोटिस अध्यक्ष महोदय को दे सकते हैं।

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : मैंने नोटिस दिऐ हैं।

श्री मलिक एम० एम० ए० खान : मुझे इस विषय पर बोलने की अनुमति दीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय : केवल दो या तीन मिनट।

श्री मलिक एम० एम० ए० खान : मैं सिर्फ दो मिनट लूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है।

श्री मलिक एम० एम० ए० खान (एटा) : मैं आपका शुक्रगुजार रहा हूं कि आपने मुझे सुनना गवारा किया। मेरी दरख्वास्त यह है कि हम 542 सदस्य हैं लोक सभा के। सौ टिकट हस लोगों के लिए एलाट किए गए हैं। पचास राज्य सभा के मेम्बरों के लिए किए गए हैं आप गौर फरमाएं कि हम चौदह लाख की पापुलेशन को रिप्रिजेंट करते हैं। हमारी कंस्टिट्युएंसी के लोग आकर हमारे ऊपर दबाव डालेंगे। अब आप बताएं कि जब सौ टिकट हैं तो एक टिकट पर हैंड पर मेम्बर भी नहीं आता है। आपने फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड का सिद्धान्त रखा है। जो पहले आएगा ले जाएगा। अब पहला आकर सौ ले गया तो बाकियों की छुट्टी हो गई। एक-एक टिकट भी एक-एक को आप दें तो 442 बिना टिकट के रह जाएंगे। हम दिल्ली में रहते हैं। दिल्ली में लोक सभा और राज्य सभा के मेम्बरों के साथ यह व्यवहार है। गैम्ज का इंतजाम करने वालों का। आप हमारी सहायता करें मदद करें। एक-एक सदस्य को कम से कम पाँच टिकट तो मिलने चाहियें। इसके अलावा गेम की हर आइटम के लिए हम लोगों का रिजर्वेशन होना चाहिये टिकटों का, ओपनिंग और क्लोजिंग सैरमनीज के लिए ही नहीं खेल की हर आइटम के लिए कम से कम दस-दस टिकट एक-एक एम० पी० को मिलने चाहियें। यह हमारी मांग है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे खेद है। इस विषय पर श्री खान पहले ही बोल चुके हैं।

अब श्री बालनन्दन बोलेंगे।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : विषय वही है। वह इस पर पहले ही बोल चुके हैं। वह कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित किया गया है।

श्री मलिक एम० एम० ए० खान : आप कृपया हमारी भावनाओं को मंत्री महोदय तक पहुंचा दीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय : जब इसे कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित किया गया है तो स्वतः ही सरकार का ध्यान इस ओर जाऐगा ।

(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया इन सब बातों को कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित मत कीजिए । केवल श्री बालनन्दन ।

मुझे खेद है यह कोई तरीका नहीं हैं । आप सबकी ओर से एक सदस्य । वह पहले ही बोल चुके हैं । मुझे दुःख है, यह तरीका नहीं है । यदि हमें इसी का अनुसरण करना पड़ा तो हम सदन की कार्यवाही का संचालन नहीं कर सकते । अतः कृपया सहयोग दीजिए । वह सबकी ओर से पहले ही बोल चुके हैं आखिरकार निवेदन वही है सारा मामला खेलों से संबंधित हैं । आप कम से कम इस विषय पर फुर्ती से काम क्यों नहीं कर सकते ?

(व्यवधान)

श्री रामविलास पासवान : महोदय, मैं बोलना चाहता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : एक मिनट ।

श्री रामविलास पासवान : मैं केवल 30 सेकेंड लूंगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है ।

श्री रामविलास पासवान (हाजीपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं पार्लियामेंटरी एफेयर्ज मिनिस्टर से आग्रह करूंगा कि या तो वह एम० पीज के नाम से रिजवेशन खत्म कर दें, ताकि लोगों को मालूम हो जाए कि एम० पीज के लिए टिकट रिजर्व रखना चाहते हैं, तो इस काम को सुव्यवस्थित ढंग से करना चाहिए । आज मेरे पास पैसा नहीं है, तो टिकट मेरे नाम से रहें जिस दिन मेरे पास पैसा होगा, मैं उन्हें ले लूंगा । यह तो नहीं होना चाहिए कि आज एक आदमी पच्चीस हजार रुपया जमा कर दे और सारे टिकट खरीद ले । बाद में जब आपकी या मेरी कांस्टीट्युएन्सी से लोग आएंगे, तो वे माथा ठौंक लेंगे और कहेंगे कि ये एम० पी० हैं या बुद्धू हैं । या तो आप उन्हें वापिस कर दीजिए अथवा आदि आप बोलना चाहते हैं, तो आप सभी सदस्यों को दीजिए ।

(व्यवधान)

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : प्रत्येक अधिकारी को केवल एक ही टिकट मिलना चाहिए ।

**कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया ।

लौह अयस्क खान तथा मैंगनीज अयस्क खान श्रम कल्याण उपकर (संशोधन) विधेयक

और

लौह अयस्क खान तथा मैंगनीज अयस्क खान श्रम कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक-जारी

श्री ई० बालानन्दन (मुकन्दपुरम) : उपाध्यक्ष महोदय, विधेयक सं० 18-लौह अयस्क तथा मैंगनीज खान श्रम कल्याण उपकर (संशोधन) विधेयक और विधेयक सं० 19- लौह अयस्क खान तथा मैंगनीज अयस्क खान श्रम कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, क्रोम अयस्क खानों में काम करने वाले श्रमिकों को कल्याण सम्बन्धी सुविधा प्रदान करने के लिए है। स्वभावतः उससे बहुत कम लाभ होगा। तथापि इसमें कोई बात करने योग्य नहीं है और इसीलिए शुरू में मैं यही कहूंगा कि मैं इसका समर्थन करता हूं।

एक माननीय सदस्य : जी हाँ। वह इसका समर्थन कर रहे हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : कभी-कभी आप कुछ अच्छा काम करते हैं।

श्री ई० बालानन्दन : उद्देश्यों और कारणों के कथन में कहा गया है कि अयस्क खानों में काम करने वाले 6000 श्रमिकों की जीवन दशा सुधारना आवश्यक है, जिस पर किसी को कोई आपत्ति नहीं हो सकती। लेकिन भारत सरकार और श्रम मन्त्री बहाना बना रहे हैं कि वे श्रमिक वर्ग की दशा सुधारने के लिए कदम उठाने में लगे हुए हैं, जिन्हें मैं कहता हूं कि वे सच नहीं हैं।

महोदय, आपकी अनुमति से मैं इसमें परिवर्तन करके कुछ उदाहरण देकर बताना चाहता हूं कि उस दिन माननीय कृषि मन्त्री ने इस सम्मानित सदन में विधेयक रखा था जिसका उद्देश्य एफ० सी० आई० के कर्मचारियों को प्राप्त संरक्षण अर्थात् मनमाने ढंग से नौकरी से निकालने और दांडिक कार्यवाही से जो संरक्षण उन्हें प्राप्त था उसे वापिस लेना था। क्या एफ० सी० आई० श्रमिकों की दशा सुधारने के लिए था ? जी, नहीं। चूंकि यह कृषि मन्त्री से सम्बन्धित मामला है। हमें देखने दीजिए कि माननीय संचार (विरोधी) मन्त्री क्या कर रहे हैं।

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : महोदय यह असंगत है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : वह संक्रामक रोग से पीड़ित हैं।

श्री ई० बालानन्दन : उनके विभाग में 7/1/2 लाख श्रमिक हैं। इनमें से 2.75 लाख विभागोत्तर कर्मचारी हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि उनकी कुल मासिक आय 130 रुपये से 230 रुपए के आस-पास है। वह और उनका अकार्यकुशल पी० एण्ड टी० बोर्ड उनके लिए क्या कर रहा है ? उनकी अकार्यकुशलता और भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए उन्होंने श्रमिकों

पर हमला करवा शुरू कर दिया है, महोदय, हमारा डाक एवं तार विभाग बहुत बड़ा है और श्री स्टीफन इसके प्रमुख हैं। वे क्या कर रहे हैं ? श्रमिकों की कार्य कुशलता में सुधार करने के नाम पर श्री स्टीफन उनके लिए और कठिनाइयां पैदा करने में लगे हुए हैं। संघ के अधिकारियों का स्थानांतरण कर दिया जाता है, कार्यालयों में संघ की बैठकों पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है। यहां तक कि कार्य-स्थल के नजदीक संघ के पोस्टर और इश्तहार लगाने पर भी प्रतिबन्ध लगा दिया गया है। श्रमिक इस अत्याचार का विरोध कर रहे हैं। इस कारण 3000 श्रमिकों की सेवाओं में व्यवधान डाला जा रहा है तथा अन्य व्यक्ति का 1000 श्रमिकों को किसी न किसी नियम के अधीन सताया जा रहा है। इस तरह से भारत सरकार पी० एण्ड टी० बोर्ड के कर्मचारियों की दशा सुधारने का काम कर रही है।

अन्त में मुझे माननीय श्रम मन्त्री के बारे में कुछ कहने दीजिए, जिन्होंने यह विधेयक पेश किया है। जैसा कि हम जानते हैं, यह सदन श्रम मन्त्री द्वारा पेश किए गए दो और विधेयकों पर चर्चा करने जा रहा है, एक है औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक और दूसरा है। मजदूर संघ (संशोधन) विधेयक। मैं आज इन दोनों विधेयकों पर विस्तार से कुछ नहीं कहना चाहता, क्योंकि वे आज की चर्चा के विषय नहीं हैं लेकिन चूंकि हमारे श्रम मंत्री ने श्रमिकों की दशा सुधारने के लिए किए गए अपने प्रयासों की बात की है, मैं बस जल्दी से उनका उल्लेख मात्र करूंगा। उन्होंने जो भी दावा किया हो। इन दो विधेयकों का वास्तविक उद्देश्य देश के संगठित श्रमिकों के थोड़े बहुत अधिकारों को या तो कम करना हैं अथवा उन्हें समाप्त कर देना है। अतः सरकार का यह दावा कि वे श्रमिकों की दशा सुधारने के लिए कदम उठा रहीं है तथ्यों द्वारा सिद्ध नहीं किया जा सकता। इससे बढ़कर 2.5 लाख कपड़ा मिल के मजदूरों की 200 दिन पुरानी हड़ताल श्रमिक वर्ग के प्रति उनके स्नेह को उद्घाटित करती है। इस हड़ताल का अर्थ है राष्ट्र को 100 करोड़ रुपये की हानि।

महोदय, अब मुझे पुनः उठाए गए विधेयक पर वापिस आना चाहिए। मूल अधिनियम के क्या अनुभव रहे हैं। 1976 में इस अधिनियम के अन्तर्गत लाभ उठाने वाले श्रमिकों की संख्या 93000 थी। और 1979 में यह संख्या कम होकर 74000 रह गई। तीन वर्षों में यह संख्या 19000 कम हो गयी। जबकि श्रमिकों की संख्या तेजी से कम हो रही थी, लौह अयस्क तथा मैंगनीज अयस्क खानों में उत्पादन में वृद्धि हो रही थी। श्रमिक आंकड़ों से यही पता चलता है। यद्यपि उत्पादन में वृद्धि हुई, लेकिन उपकर निधि की वसूली में कोई वृद्धि नहीं हुई। स्वभावतः इसकी वसूली वृद्धि में होनी चाहिए लेकिन मैं नहीं जानता, ऐसा क्यों नहीं हुआ। मंत्री महोदय कृपया हमें इसका कारण बताएं। मन्त्री महोदय ने अपने छोटे भाषण में 180 लाख रुपये का उल्लेख किया है। मैं नहीं जानता, ये आंकड़े किस वर्ष के हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 1978 में कुल आय 169.39 लाख रुपये थी। इससे पता चलता है कि उपकर निधि की वसूली ठीक ढंग से नहीं की गई। उसमें कुछ कमी है। जब उत्पादन में वृद्धि हो रही है, स्वभावतः आय में भी वृद्धि होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। मन्त्री कृपया इसे स्पष्ट करें।

एक बात और भी है। मन्त्री महोदय ने कहा है कि लौह अयस्क का मूल्य अब 50 पैसे है

मैंगनीज अयस्क का मूल्य एक रुपया है। अधिनियम के अनुसार लोहे अयस्क का मूल्य आप 1 रुपए तक बढ़ा सकते हैं और मैंगनीज अवस्क का मूल्य 6 रुपए तक बढ़ा सकते हैं। लेकिन इसका मूल्य 50 पैसे और एक रुपया है 1980 से पहले यह 25 पैसे था। 190-71 में खनिज प्राथमिक पदार्थों का मूल्य सूचकांक 120 था जो 1980-81 में यह बढ़कर 1217 हो गया।

दस वर्षों में दस गुणा वृद्धि। इसमें वृद्धि न होने का क्या कारण है? इसमें वृद्धि न होने का कारण उपकर अर्थात वह धन जो श्रमिकों के कल्याण के लिए दिया गया। 1976 से यह आठ आने ही चला आ रहा है। इसमें कोई वृद्धि नहीं हुई हैं। मैं जानता हूं कि मन्त्री महोदय यह तर्क दे सकते हैं कि अगर आप इसमें वृद्धि करेंगे तो इससे तुरन्त उपभोक्ता पर असर पड़ेगा परन्तु सभी वस्तुओं की कुल लागत में वृद्धि हो रही है। और, जैसा कि उन्होंने कहा है, इस निधि का उपयोग चिकित्सा और अन्य सुविधाओं के लिए किया जायेगा। जिनके दाम भी बढ़ रहे हैं। इन मदों की लागत में वृद्धि एक सामान्य प्रक्रिया है। इसका मतलब है उनको मिलने वाले लाभ में कमी होगी। निश्चिय ही इसकी पूर्ति के लिए उपकर में वृद्धि करनी होगी, इसलिए मन्त्री महोदय को उस पर अवश्य विचार करना चाहिए।

संशोधनकारी अधिनियम के अनुसार भी यह कहा गया है कि आप इसे क्रोम अयस्क के 6 रु० प्रति मीट्रिक टन की दर से तय कर सकते हैं। मूल अधिनियम में भी यह कहा गया है कि मैंगनीज अयस्क पर 6 रु० और लौह अयस्क पर 1 रु० की दर से उपकर लगाया जा सकता हैं। इसलिए मैं मन्त्री महोदय से कहना चाहता हूं कि इस मामले में वृद्धि की जानी चाहिये अब आपने इसे 30 रु० पर तय किया गया है। 60,00 श्रमिकों के लिए आप 9 लाख रु० प्रति वर्ष का अनुमान लगाया गया हैं। आप इस राशि से क्या-क्या कर सकते हैं? क्योंकि आप मजदूर-आन्दोलन से जुड़े हुए हैं, इसलिए आप इस पर मुझसे ज्यादा जानते हैं। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि इस दर में दो से तीन गुणा वृद्धि की जानी चाहिएं। मन्त्री महोदय कृपया इस पर विचार करें।

व्यय के सम्बन्ध में, मेरे पास यह आंकड़े मौजूद हैं। अगर इसमें कोई सुधार किया जाना हो तो, कृपया कर दें। चिकित्सा व्यय 1977 में 43.66 लाख रु०, 1979 में 44.63 लाख रु० और 1980 में 54.31 लाख रु० था। चिकित्सा पर व्यय कुल राशि का केरीब 30 प्रतिशत बैठता है। यह कितने श्रमिकों के लिए हैं? जैसा कि मैंने कहा यह 74,00 श्रमिकों के लिए है। इसमें आप 6,000 श्रमिक और जोड़ दें। यह खान मजदूर भी मानव हैं। मैं कहना चाहूंगा कि वे अमानवीय दशा में जीवनयापन कर रहे हैं।

मैं चिकित्सा उपचार के लिए एक सुझाव देना चाहूंगा, और आशा करता हूं कि मन्त्री महोदय इस पर विचार करेंगे। इस अधिनियम के अन्तर्गत हमें बहुत कम पैसा प्राप्त हो रहा है। इसलिए चिकित्सा व्यय को सीधे ही प्रबन्धकों द्वारा वहन किया जाना चाहिए। इस तरह से बचाये गये धन को अन्य मदों में जैसे पीने के पानी और आवास सुविधाओं आदि पर खर्च किया जाना चाहिए।

आवास से क्या तात्पर्य हैं ? भारत में कोयला खानों और अन्य खानों वे मालिकों और बड़े साहिबों के दिमाग में आवास सुविधा का मतलब है, उनको पशु जैसे बाड़े प्रदान करना । यह उनकी गलती नहीं है । सारी विचारधारा ही ऐसी है चूंकि हमें सीमित मात्रा में धन मिलता है, इसलिए मैं मन्त्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि चिकित्सा मद पर किये जाने वाला व्यय, सीधे नियोजकों द्वारा ही वहन किया जाना चाहिए ।

अन्य खर्चे के मद क्या-क्या हैं ? आवास सुविधाओं पर 1978 में 61.82 लाख रु०, 1979 में 49.03 लाख रु० और 1980 मैं 60.13 लाख रु० कुल व्यय किया गया । आप खुद ही अन्दाजा लगा सकते हैं कि इस धन से सालाना कितने मकान बनाये जा सकते हैं । हम हमेशा ही मकानों की कमी के बारे में शोर-शराफा सुनते हैं । दूरदराज के स्थानों पर स्थित हैं । अधिकतर श्रमिक महीने में एक दफा भी अपने घर से खानों तक आ-जा नहीं सकते । उनको कार्य स्थल के नजदीकरहना चाहिए, लेकिन इसके लिए कोई सुविधायें नहीं है । मैं यह नहीं कहता कि उनके लिए बड़े-बड़े बंगले होने चाहिए, लेकिन कम से कम उन्हें न्यूनतम सुविधायें तो निश्चित रूप से दी ही जानी चाहिए ।

मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करता हूं कि बोर्ड और क्षेत्रीय समितियां बनाते समय वे यह सुनिश्चित करें कि संगठित श्रमिकों का प्रतिनिधित्व उनमें बड़े-बड़े ताकि वे सीधे हस्तक्षेप और पर्यवेक्षण कर सकें अधिनियम में एक या दो व्यक्तियों के लिए जाने की व्यवस्था है लेकिन संगठित श्रमिकों के प्रतिनिधियों की संख्या में वृद्धि की जानी जाहिए । हमारे देश में आप और हम मजदूरों के उद्योगों में प्रबन्ध की बात करते हैं; वे न केवल हिस्सा लें बल्कि उद्योगों के प्रबन्ध का भी संचालन करें । सरकार यह क्यों नहीं सुनिश्चित करती कि बोर्ड और समितियों में कम से कम 50 प्रतिशत प्रतिनिधित्व श्रमिकों को दिया जाये ? सरकार विशेषज्ञ नियुक्त कर सकती है, लेकिन यदि सरकार मजदूरी के प्रतिनिधित्व में वृद्धि देती है तो श्रमिक अपनी आवास सुविधा स्वयं देख-भाल कर सकते हैंऔर चिकित्सा सुविधा और निधि पर भी थोड़ा अधिक ध्यान दिया जा सकता है । इस निधि सेचिकित्सा मद पर कोई व्यय नहीं किया जाना चाहिए । प्रवन्धक को खुद इस पर खर्च का भार वहनकरना चाहिए ।

मैंगनीज इंडिया लिमिटेड भारत सरकार का एक संस्थान है भारत सरकार, भारत सरकार कानून की संरक्षक है, वे कानून बनाते हैं । एक दो माह पूर्व छत्तीसगढ़ में श्रमिकों ने न्यूनतम वेतन के लिए आन्दोलन किया । स्थानीय प्रवन्धकों ने सोचा कि यह कानून और व्यवस्था की समस्या है उन्होंने फौरन ही पुलिस को बुलाया । और पुलिस ने वही किया जो वह हमेशा करती रही है । उन्होंने गोली चलाई, जिससे तीन व्यक्ति मारे गये । मुझे यह कहते हुए दुःख हो रहा है । हमारे देश में जहां सरकार ही नियोजक है, जहाँ सरकार ही कानून बनाने वाली है और जहाँ सरकार को ही कानून लागू करती है—वहाँ अगर श्रमिक न्यूनतम वेतन के लिए मांग करते हैं तो उन्हे गोली चलाकर खत्म कर दिया जाता है । इसकी सरकार को जांच करनी चाहिए ।

कोयला खानों में घातक दुर्घटनाओं की संख्या में वृद्धि हो रही है, खानों की सुरक्षा के लिए

कुछ सिफारिशें की गई थी। जमीन के अन्दर की खानों में सहारे के लिए जो लकड़ी की टेकों का प्रयोग किया जाता है, एक सिफारिश के अनुसार उनके स्थान पर इस्पात के टेकों का प्रयोग लाना चाहिए। ऐसा नहीं किया जा रहा इस पर तो आपका नियंत्रण है, आप इसके इंचार्ज है, मजदूरों के अधिकारों और सुविधाओं के संरक्षक हैं। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इसे लागू किया जाये। हाल ही हमने सुना कि एक दुर्घटना में 16 श्रमिकों की मृत्यु हो गई दुर्घटना क्या थी? यह दुर्घटना खराब, गली हुए लकड़ी की टेक की वजह से हुई थी।

कोल इंडिया ने ठेकेदारों की मार्फत इन ठेकों के लिए 110 करोड़ रु० की लकड़ी मंगवाई है लेकिन उन्होंने खराब लकडी सप्लाई की। इसकी वजह से खानों में मौत हुई। इसलिए में श्रम मंत्री से अनुरोध करता हूं—हालांकि इसका यह विधेयक से सीधा संबंध नहीं है—कि यह आपका कर्तव्य है कि देखें कि इन सिफारिशों को ठीक से लागू किया जा रहा है या नहीं। मैं कोई लम्बा चौड़ा भाषण नहीं देता, क्योंकि इस विधेयक से श्रमिकों को सहायता ही मिलेगी अतः आखिर में मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि वह एक बात का ध्यान रखें।

उपाध्यक्ष महोदय : इन्होंने कई मुद्दे उठाये हैं।

श्री ई० बाला नन्दन : एक अन्य बात कोयला खान और अन्य खान मजदूरों के बारे में यह है कि उनके साथ थोड़ा अधिक माननीय बर्ताव किया जाना चाहिए। इसलिए इस अधिनियम के प्रशासन में आपको और सावधानी बरतनी चाहिए और श्रमिकों को और अधिक प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए।

अपने राज्य के बारे में, जो कि आपके अधीन आता है, मैं छोटी सी बात कहना चाहता हूं आप कह सकते हैं कि यह अलग मुद्रा है, आप तकनीकी व्यक्ति हैं, आप इसके विशेषज्ञ हैं। लेकिन मैं इतना विशेषज्ञ नहीं हूं। केन्द्रीय श्रम के बारे में समझौतों या करारों के लिए श्रम मन्त्रालय प्रशासन चलाने के लिए जिम्मेदार हैं। केन्द्रीय क्षेत्र में केरल में उर्वरक और रसायन कारखाने के अलावा कोई कारखाना नहीं है। इसमें 3000 श्रमिक काम करते हैं। काफी वार्तालाप के बाद हम इस समझौते पर पहुंचे। 3000 श्रमिकों में से 300 श्रमिक कांग्रेस (आई) से सम्बन्धित हैं। जो कि उत्पादन में रुकावट पैदा कर रहे हैं। प्रशासन उन्हें समर्थन दे रहा है।

(व्यवधान)

श्री जेवियर अराकल : (एर्णाकुलम) यह झूठ है, यह विधेयक से सम्बन्धित भी नहीं है।

(व्यवधान)

श्री ई० बालानन्दन : मैं यहां गुमराह करने के लिए नहीं आया। मैं झूठ बोलने के लिए भी नहीं आया। मुझे नहीं मालूम कि गुमराह कैसा किया जाता है। मैं तो केवल यह कह रहा हूं कि मन्त्री महोदय इस बात की ओर ध्यान दें और सुनिश्चित करें कि कोई भी समझौते को तोड़ न सकें और न ही इसका उल्लघंन कह सकें जिससे कि राष्ट्रीय उत्पादन में कमी न आये।

श्रीमती जयंती पटनायक (कटक) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक का स्वागत और

समर्थन करती हूं कि क्योंकि यह क्रोम अयस्क खान श्रमिकों के कल्याण के लिए है। श्रमिकों का कल्लाण एक कल्याण कारी राज्य का प्रमुख कर्तव्य है। हमारे संबिधान में मुख्यत: लोगों के कल्याण की बात और विशेषतौर पर श्र मिकों के लिए माननीय और उचित परिस्थितिओं की बात कही गई है।

देश का क्रोम अयस्क निक्षेपों का 92 प्रतिशत उड़ीसा में है। अत: अधिकांश क्रोम अयस्क खान खान श्रमिक इसी राज्य में है। इसलिए मैं अपनी खुशी जाहिर करना चाहती हूं और साथ ही सरकार और मन्त्री महोदय को धन्यवाद देना चाहती हूं कि उन्होंने क्रोम अयस्क खान श्रमिकों के लिऐ उपाय रखे हैं। कोयला अयस्क खान मजदूरों की संख्या 50,000 है, जबकि क्रोम अयस्क खान मजदूरों की संख्या 6,000 है। इसके अलावा यह खानें कोयला अयस्क खानों के निकटस्थ क्षेत्र में हैं। इसलिए यह उचित होगा कि कोयला अयस्क और मैंगनीज अयस्क खान श्रमिक कल्याण निधि में क्रोम अयस्क श्रमिकों का नाम भी जोड़ दिया जाय, और एक संयुक्त निधि कायम की जाए, अगर हम तीनों क्षेत्रों के श्रमिकों पर आश्रितों की औसत तीन मानें तो यह करीब 24,000 बैठती है। क्रोम एक महत्वपूर्ण धातु है और हमारे देश में इसकी मांग बढ़ रही है, क्योंकि इसे स्टेनलैस स्टील बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। देश में विदेशों में इसकी मांग लगातार वढ़ रही है।

ऐसी सम्भावना है कि क्रोम खानों का विस्तार हो। निश्चय ही इससे श्रमिकों की संख्या में वृद्धि होगी। इस तरह, इस अधिनियम द्वारा चाल की गई कल्याण निधि का प्रयोग भी वैसे ही किया जायगा, जैसे कि लोहा और मैंगनीज अयस्क खानों के लिए किया जाता है। कल्याण कार्यों में चिकित्सा, पीने का पानी, आवास, जन स्वास्थ्य, मनोरंजन और शिक्षा सुविधाएं शामिल हैं। खनन क्षेत्रों में अधिकांशत: आदिवासी रहते हैं। चूंकि ये लोग बचपन से ही इन क्षेत्रों के साथ जुड़े हैं, अत: वे कृषि जैसा कोई और धंधा नहीं अपना सकते। अत: ये क्षेत्र बहुत नाजुक हैं और हमें अविलम्ब कल्याण कार्य इन क्षेत्रों में सम्पन्न करने चाहिए।

विभिन्न खान श्रमिकों द्वारा अनुभव की जा रही मुख्य कठिनाई यह है कि चूंकि इन निधियों को संचित निधि का अंग बना दिया गया है, अत: इन्हें बजट को सहारा देने के काम में लाया जाता है न कि श्रमिकों की दशा सुधारने और उनके कल्याण कार्यों में।

कल्याण के रूप को सभी जानते हैं। अगर आप चिकित्सा सुविधाओं को ही लें तो पायेंगे कि अधिकतर अस्पतालों में चोट जैसी साधारण बीमारियों से निपटने के लिए भी दवाईयां नहीं होती। 25 प्रतिशत मौतें, सही चिकित्सा सुविधायें न मिलने के कारण होती हैं। कई दफा अस्पताल बहुत ज्यादा दूरी पर स्थित होते हैं 25 कि० मीटर।

कहीं-कहीं तो ये अस्पताल उनके निवास स्थान से 35 किलोमीटर की दूर पर स्थित होते हैं- और मजदूर 35 सुविधा का लाभ नहीं उठा पाते हैं। अत: चिकित्सा सुविधायें उनके घर के पास ही उपलब्ध करायी जानी चाहिए ताकि वे लोग इन सुविधाओं का लाभ उठा सकें। इसके अतिरिक्त क्रोम अयस्क की खानों में काम करने वाले मजदूरों के जीवन की सुरक्षा के लिए चलती

फिरती डिस्पेन्सरियों को भी उपलब्ध कराया जाना चाहिए उनकी जीवाणु सम्बन्धी बीमारियों, जल तथा वायु से उत्पन्न होने वाली तथा व्यावसायिक बीमारियों से रक्षा की जानी चाहिए। इस कार्य के लिए कल्याणकारी संगठनों को भी ढंग से कार्य करना चाहिए। गृहोपचर्या ही पर्याप्त नहीं है। रोग निवारक पहलू इसका सार हैं।

(श्री चन्द्रजीत यादव पीठासीन हुए)

इस उद्देश्य से चलते-फिरते एक्स-रे क्लिनियों को उनके रहने के स्थानों पर जाना चाहिए ताकि जो मजदूर तथा महिलाओं रोग निवारक सम्बन्धी पहलू के प्रति सामान्यतः उदासीनता दिखाती है वे भी स्वतः तथा नियमित रूप से एक्स-रे के द्वारा अपनी पूरी-पूरी जांच करा सके।

यह स्वच्छता का दशक है। इस दशक के दौरान पीने के पानी को व्यापक रूप से उपलब्ध कराया जाना चाहिए। इसके सम्बन्ध में एक मापदण्ड है कि 250 व्यक्तियों को एक ट्यूबवैल उपलब्ध कराया जायेगा। लेकिन सामान्यतः इन क्षेत्रों में मजदूर छितरे हुए रूप में रहते हैं। अतः जनजातीय क्षेत्रों में इस मापदण्ड को लागू नहीं किया जाना चाहिए। कल्याण सम्बन्धी निधि के द्वारा इसकी देखभाल की जानी चाहिए मजदूरों को पर्याप्त आवास सम्बन्धी सुविधायें उपलब्ध करायी जानी चाहिए।

इसके अतिरिक्त अन्य भी बहुत सी सुविधायें हैं, जिनके बारे में मैं आपको बताना चाहती हूं। मुझसे पूर्व के वक्ता द्वारा पहले ही बताया जा चुका है कि मजदूरों की संख्या में धीरे-धीरे कमी हो रही है मैं एक मुद्दे को उठाना चाहती हूं मेरे विचार से और यह एक तथ्य है कि लौह अयस्क खानों में यह विशेष रुप से है। मैं व्यापारिक मन्दी, अधिक्य की समस्या तथा अन्य आर्थिक बातों के बारे में भी कहना चाहती हूं जिनके कारण मजदूरों को उनकी कोई गलती के बिना ही काम से हटा दिया जाता है। मैं इस सम्बन्ध में एक उदाहरण देना चाहती हूं। पिछले चार वर्षों से सम्पूर्ण विश्व में लौह-अयस्त के निर्यात में अत्यधिक गिरावट आई है। पारादीप बन्दरगाह से किये जाने वाले लौह-अयस्क के निर्यात के निर्यात में तेजी से गिरावट आई है—आपको इसके बारे में मालूम होगा जिसके परिणामस्वरूप खानों को बन्द किया जा रहा है तथा मजदूरों को भी उनकी कोई गलती के बिना ही काम से हटाया गया है। अतः मैं यह निवेदन करना चाहती हूं कि इस असंगति को सुधारने के लिए तथा कुछ कार्य करने के लिए क्या कल्याण निधि तथा सरकार आगे आयेगी ? निः संदेह रूप से यह एक नीति सम्बन्धी मामला है और इसकी ओर ध्यान दिया जाना चाहिए। इसके अलावा सरकार की नीति रोजगार के अवसरों को उत्पन्न करने की है। जिन श्रमिकों को पहले ही रोजगार में लगाया गया है सरकार को उनके बारे में यह ध्यान देना चाहिए कि वे बेरोजगार न हों। इसके अतिरिक्त मैं यह कहना चाहती हूं कि मुझको इसकी जानकारी नहीं है कि इस प्रकार की व्यापारिक मन्दी, अधिक्य तथा अन्य आर्थिक बातों से कल्यायण निधि प्रभावित होती है अथवा नहीं क्योंकि इसके लिए हमें 9 लाख रु० की धनेराशि जुटायी है जो स्पष्ट रूप से 6,000 मजदूरों के लिए पर्याप्त नहीं है। अतः मैं यह पूछना चाहती हूं कि इससे कल्याण निधि भी प्रभावित होती है अथवा नहीं।

महोदय, सरकार को इस ओर भी ध्यान देना चाहिए कि खान मालिकों द्वारा महिलाओं और बच्चों का शोषण न किया जाये। मैं इसके बारे में इसलिए कह रही हूं क्योंकि लौह अयस्क जवानों में महिलाओं का एक बहुत बड़ा वर्ग भी कार्य में संलग्न है। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए कि समान रोजगार अवसरों तथा समान वेतन, जो भी उनको उपलब्ध कराया जाये उनके सम्बन्ध में कोई भेदभाव न बरता जाये। इसके अतिरिक्त सरकार को कल्याण निधि के माध्यम से उनको कुछ व्यवसायों को उपलब्ध कराने की और ध्यान देना चाहिए वहां पर दिन में बच्चों की देखभाल करने वाले केन्द्रों तथा शिशु गृहों को भी स्थापित किया जाना चाहिए। इस प्रकार की सभी सुविधायें उनको दी जानी चाहिए।

इसके अलावा, मन्त्री महोदय ने यह बताया है कि बच्चों को छात्रवृत्तियां दी जायेंगी। लेकिन महोदय इस सम्बन्ध में मैं यह चाहती हूं कि जनजातीय क्षेत्रों के बच्चे शिक्षा सुविधाओं के बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं रखते हैं वे अपने परिवार की आमदनी बढ़ाना चाहते हैं जिसके लिए वे कोई न कोई काम करते हैं अथवा जंगल में लकड़ी तथा अन्य वन्य उत्पादों को एकत्रित करने के लिए जाते हैं। अतः इस सम्बन्ध में कुछ ठोस उपाय किए जाने चाहिए। उनके माता-पिताओं को कुछ अधिक प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए ताकि वे अपने बच्चों को विद्यालय में भेज सकें। इस सम्बन्ध में आवासीय विद्यालयों को भी व्यवस्था की जानी चाहिए जब तक आवासीयविद्यालयों की व्यवस्था नहीं की जाती है तथा भोजन कपड़ा और जीवन की अन्य आवश्यकताओं को उपलब्ध नहीं कराया जाता है तब तक इसके प्रति न तो बच्चे ही आकर्षित होंगे और न ही माता-पिता अपने बच्चों को विद्यालयों में भेजेंगे। यदि वे अपने बच्चों को विद्यालय में भेजते भी हैं तो उनमें से अधिकतर बाद में पढ़ाई छोड़ देते हैं। यह एक सच बात है कि प्राथमिक शिक्षा के बारे में हम बहुत ध्यान दे रहे हैं। अतः मन्त्री महोदय को इस बात को ध्यान में रखना चाहिए।

इन क्षेत्रों में कल्याण सम्बन्धी कार्यक्रम को सुनिश्चित करने के लिए एक श्रमिक कल्याण अधिकारी है। मेरा यह सुझाव है कि कल्याण सम्बन्धी कार्यकलापों को प्रोत्साहित करने तथा विभिन्न विभागों के कल्याण सम्बन्धी कार्यक्रम को समन्वित करने के लिए भी महिला सामाजिक कार्यकर्त्ताओं को नियुक्त किया जा सकता है।

इसके अतिरिक्त अधिनियम को लागू करने से उत्पन्न होने वाले मामलों और निधि सम्बन्धी कार्यों को क्रियान्वित करने सम्बन्धी मामलों में केन्द्रीय सरकार को सलाह देने के लिए राज्य सलाहकार बोर्ड गठित करने की व्यवस्था है। एक केन्द्रीय सलाहकार समिति भी है। इसमें खानों के मालिक, कर्मचारियों तथा मजदूरों की संख्या बराबर होती है। लेकिन सलाहकार बोर्ड के सदस्यों में एक महिला सदस्य होनी चाहिए। इसकी व्यवस्था करने के लिए मैं मन्त्री महोदय को बधाई देती हूं लेकिन इस प्रकार के कल्याणकारी संगठनों में दो महिला सदस्य होने चाहिए। क्योंकि वे अपने पुरुष साथियों की अपेक्षा मामलों को अधिक अच्छी तरह से समझती हैं।

खानों के लिए अन्य कल्याण निधियों की भांति इस निधि को भी क्षेत्रीय सलाहकार

समिति भी होगी, जो समाज के सभी वर्गों जिसमें पुरूष, महिला तथा बच्चे सम्मिलित होंगे के कल्याण सम्बन्धी उपायों को प्रोत्साहित करने के लिए उस प्रभावी कार्य पद्यति को सुनिश्चित करेगी।

इसके साथ ही मैं इस विधेयक का समर्थन करती हूं।

सभापति महोदय : इस विधेयक के लिए 112 घन्टे का समय निर्धारित किया गया है कार्य मंत्रणा समिति ने इस बात को ध्यान में रखा है कि अन्य महत्वपूर्ण विधेयकों को भी पास करना है यह विधेयक मजदूरो तथा कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातों से सम्बन्धित है यह सुनिश्चित करने के लिए कि इस विधेयक पर सभी सदस्य बोल सकें प्रत्येक सदस्य को छः मिनट से आठ मिनट के समय से अधिक समय नहीं लेना चाहिए अन्यथा कार्य को पूरा करना बड़ा कठिन होगा।

विधेयक को पुरःस्थापित करने में माननीय मन्त्री महोदय ने आठ मिनट का समय लिया है। जबकि आदरणीय महिला सदस्य अपने अपने भाषणों को आठ मिनट तक ही सीमित रखें।

श्री जगपाल सिंह (हरिद्वार) : सभापति महोदय, मैं इसका समर्थन तो करूंगा ही, क्योंकि वह मजदूरों के कल्याण से सम्बन्धित है। लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि 35 साल की आजादी के बाद भी लोहे और मैंगानीज की खानों में काम करने वाले मजदूरों की हालत इतनी बदतर है कि उनको इंसानों की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। इंटरनेशनल आर्गनाइजेशन यहां पर आया और उसने रिपोर्ट दी कि हिन्दुस्तान में लोहे, कोयले और क्रोम की खानों में काम करने वाले मजदूरों की हालत दुनियां के हर मुल्क से बदतर है। उसने जगह-जगह जाकर अध्ययन किया और इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि हिन्दुस्तान में कारखानों में काम करने वाले मजदूरों की हालत इतनी पदतर है कि उन्हें इंसान की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता।

35 साल की आजादी के दौरान हिन्दुस्तान में पूंजीवाद मजबूत हुआ है और इन्हीं मजदूरों और किसानों की खून पसीने की कमाई को चूस-चूस कर मजबूत हुआ है, जिनमें खानों में काम करने वाले मजदूर भी हैं, चाहे उन खानों के मालिक प्राईवेट ओनर्ज रहे हों और चाहे सरकार रही हो। प्राईवेट ओनर्ज ने मजदूरों की मेहनत की कमाई को चूस-चूस कर उनका अस्थि-पंजर बना दिया। हिन्दुस्तान की खानों में काम करने वाले मजदूरों को आज स्वच्छ पानी भी न मिल पाए, सरकार के लिए इससे ज्यादा शर्म की बात और क्या हो सकती है? मैं समझता हूं कि हिन्दुस्तान में पूंजीवाद और नौकरशाह दलाल इतना मजबूत हो चुका है कि आज मंत्रियों के बस की बात भी नहीं रही है कि वे मजदूरों की हालत सुधार सकें। पीने के पानी के बारे में रिपोर्ट है कि बरसात के दिनों में खानों से जो बरसात का पानी वह कर निकलता है उसी को मजदूर इकट्ठा कर लेते हैं और उसी को अपने पीने के काम में लाते हैं, खाना उसी से बनाना पड़ता है। तो मैं पूछना चाहता हूं, 35 साल की आजादी बाद भी ऐसा इम्पोटेंट काम इस तरह पड़ा रहे, यह किसी भी आधुनिक मुल्क के लिए जहां पर कच्चे लोहे का उत्पादन होता हो, अच्छी स्टील बनाने के लिए क्रोम जो इस्तेमाल होता है उसका उत्पादन होता हो, वहां के मजदूरों की हालत इतनी

बदतर ब·ी रहे तो पूरे मुल्के के लिए इससे ज्यादा शर्म की बात और नहीं हो सकती है। और चीजों को छोड़ दीजिए विलासिता की सुविधाएं नहीं, कम से कम उनके पीने के लिए स्वच्छ पानी की व्यवस्था कर.इए।

मकान की स्थिति देखिए, जो खानों के पास में उनके झोपड़े हैं वह झोपड़े भी उनको खानों के पास नहीं डालने दिया जाता। मील दो मील दूर उनके झोपड़े पड़े हुए हैं। उनको उन झोपड़ों से खानों तक लाने ले जाने के लिए कोई साधन, ट्रक या बस की व्यवस्था आपकी सरकार नहीं करवा पायी। आपकी सरकार की जो सेफ्टी कमेटी है उसकी रिपोर्ट है, उसने कहा है कि इनके लाने ले जाने की व्यवस्था, कपड़े साफ करने के लिए साबुन की व्यवस्था होनी चाहिए। जो आदमी खान से बाहर निकल कर जाता है उसके बच्चे भी उसकी शकल को नहीं पहचान पाते। आप उनके लिए साबुन की व्यवस्था तो कीजिए ताकि वह खान से निकलने के बाद साबुन और तौलिए से अपना मुंह साफ कर लें और अपने बाल बच्चों में जायं तो उनको उसकी शकल तो दिखाई दे कि यह मेरा बाप है, यह मेरा भाई है। ये छोटी छोटी सुविधाएं हैं। आप इनकी तरफ मानवीय दृष्टिकोण से देखिए। इन खानों को आप चलाते हैं तो आप यह कीजिए या प्राइवेट ओनर्स हैं तो उनको आप बाइंड कीजिए कि इस तरह की सुविधाएं उनको देने की वह कोशिश करें।

शिक्षा की व्यवस्था की भी यही हालत है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि कभी सर्वे आपने कराया है कि इन खानों में काम करने वाले मजदूरों के बच्चों की शिक्षा की स्थिति क्या है? प्राइमरी एजूकेशन की स्थिति क्या है, हायर एजूकेशन की बात तो छोड़ दीजिए। बी. ए. और पोस्ट ग्रेज्युएट में तो उनका कोई बच्चा किसी कालेज में नहीं पहुंच पाता। इसलिए आप उनकी शिक्षा की व्यवस्था कीजिए। उनकी खानों के पास में उनके बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा दिलाने की व्यवस्था कीजिए। उनको आप फ्री एजूकेशन दिलाइए। सेंट्रल गवर्नमेंट जाकर व्यवस्था करे। उनके बच्चों को हायर एजूकेशन दिलाने के लिए पैसों की और दूसरी सहायता देने की व्यवस्था करे ताकि आने वाले समय में यह पापुलेशन ट्रेडीशनल न बने। एक बार जो इनके पुरखे काम करते थे आज भी वही काम इन खानों के अन्दर ये लोग कर रहे हैं।

आप की टेक्नालाजी इन खानों से लोहा निकालने की इतनी बैकवर्ड है कि खान की खान ऊपर से गिर जाती है और मजदूर दब जाते हैं। रोज हम अखबारों में पढ़ते हैं कि फलां जगह की खान के अन्दर यह दुर्घटना हो गई। मैं मांग करूंगा कि फलां जगह की खान के अन्दर काम करने वाले मजदूरों को ता-जिन्दगी जब तक उनका परिवार उसके अन्दर है, रोजगार की गारन्टी आप दीजिए। अगर किसी परिवार का कोई आदमी दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है तो ता-जिंदगी उसको रोजगार की गारन्टी दीजिए। उसके लड़के को दीजिए, लड़का नहीं हो तो उसकी बीवी को दीजिए। ये मानवीय दृष्टिकोण के काम हैं। कोई ज्यादा बड़े काम नहीं हैं। लेकिन अगर आप इनको नहीं कर पाते तो इन नौ लाख रुपयों से तो आप आंसू भी नहीं पोंछ पाएंगे। आप नौ

लाख रुपये की व्यवस्था करने जा रहे हैं, 74 लाख मजदूर तो आयरन ओर में काम करते हैं और 60 हजार क्रोम की खानों में काम करते हैं···(व्यवधान)

सभापति महोदय : वह कह रहें हैं कि 60 हजार नहीं 6 हजार मजदूर क्रोम की खानों में काम करते हैं।

श्री जगपाल सिंह : हमारे हिसाब से तो 60 हजार हैं। ठीक हैं, अपने आंकड़े वह देंगे। लेकिन मैं आप से कहूंगा कि इतनी छोटी राशि से आप क्या कल्याण के काम कर पाएंगे ? क्या आप उनके लिए मकान की व्यवस्था कर पाएंगे ? आप बड़े बड़े बंगलों की बात तो छोड़ दीजिए एक छोटा कमरा, उसके साथ लैट्रिन बाथरूम और पानी की व्यवस्था कीजिए। लेकिन यह भी आप इस राशि से कैसे करेंगे ? मेरा यह कहना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इस काम को करे। श्रम कल्याण निधि से आप यह नहीं कर पाएंगे। लेकिन उनके लिए मकान की व्यवस्था आने-जाने की व्यवस्था, शिक्षा की व्यवस्था, पीने के लिए पानी की व्यवस्था और उनके काम-काज की व्यवस्था, उनके बाल बच्चों को दूसरे कामों में ले जाकर निकालने की व्यवस्था आपको करनी चाहिए। उनके बाल बच्चों को आप इस गन्दे काम से निकालिए, उसको किसी और काम की तरफ ले जाइए ताकि वे अच्छा जीवन व्यतीत कर सकें।

इन खानों पर आप खास तौर से निगरानी रखें। आपके ठेकेदार उनका शोषण करते हैं। मिनिमम वैजेज ऐक्ट जो आपका है उसकी कार्यान्विति भी आप उनसे नहीं करवा पाए हैं। उनके काम के घंटे नहीं तय करा पाए हैं। 8-10 घंटे से ज्यादा उनसे काम नहीं लिया जाना चाहिए। लेकिन मजदूर सुबह काम पर जाता है और शाम को ठेकेदार उसको बाहर निकालता है। आप काम के घण्टों पर ध्यान दीजिए और मिनिमम वेजेज एक्ट के तहत उनको वेज दिलाने की व्यवस्था कीजिए।

दूसरे मैं ठेकेदारों पर ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं क्योंकि रुलिंग पार्टी में बिहार के शराब के ठेकेदार संसद सदस्य बनकर आए हैं लेकिन वहां पर ठेकेदार जहरीली शराब कारखाने के मजदूरों को पिलाते हैं, जिसकी वजह से मजदूरों की मृत्यु भी हो जाती है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि वहां जहरीली शराब बेचने पर प्रतिबन्ध लगाए। जैसा कि मैं पहले ही कह चुका हूं आप वहां अभी तक पीने के पानी की व्यवस्था नहीं करा पाए हैं। वहां मजदूरों को हर गेट पर पीने के लिए शराब मिलती है, ऐसी स्थिति में उन मजदूरों का भविष्य अंधकार में हैं। ऐसे ठेकेदारों के खिलाफ आपको कार्यवाही करनी चाहिए। एक निवेदन यह भी है कि वहां कोआ-रेटिव सोसायटीज डवेलप कीजिए, ताकि वे उन समितियों द्वारा अपने विकास के कार्य कर सकें।

सभापति महोदय, इन शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझ बोलने के लिए समय दिया।

श्री राम सिंह यादव (अलवर) : माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने जो विधेयक प्रस्तुत किये हैं, मैं उनका हार्दिक समर्थन करता हूं। इन संशोधनों के माध्यम से माननीय

मंत्री जी केवल कोई विस्तृत लाभकारी विधेयक उन मजदूरों के लिए नहीं ला सके हैं, केवल एक वर्ग को सुविधा देना चाहते हैं और वह वर्ग इन माइन्स में काम कर रहा है।

जहां तक मजदूरों का प्रश्न है, मजदूरों का वर्ग एक ऐसा वर्ग है, जो बहुत बड़ा वर्ग है और जिसको अभी तक हमारे जितने भी कानून हैं, उनसे उनको किंचित लाभ भी नहीं मिल सका है। यह अन-आर्गेनाइज्ड-रुरल-लेबर है, चाहे वह खान में काम करता हो चाहे खेत में काम करता हो, चाहे ट्रांसपोर्ट में काम करता हो, या और किसी जगह पर काम करता हो उनके लिए किसी प्रकार की कोई गारन्टी स्कीम नहीं है और उनको किसी तरह की सुविधायें इस कानून के माध्यम से नहीं मिल पाती हैं। संविधान की धारा -43 के तहत भी अभी तक उनको कोई भी सुविधा नहीं मिल सकती है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप मजदूरों के हित में सोचने वाले व्यक्ति है, चिन्तनशील है, मननशील हैं और आप का इरादा भी है मजदूरों को अधिक से अधिक लाभदेने का। लेकिन हिन्दुस्तान के नन्दर करीब सात करोड़ अन-आर्गेनाइज्ड लेबर हैं और उनको आप अभी तक कोई भी सुविधा नहीं दे सके हैं। इस ओरिजनल एक्ट में भी आपने ऐसा कहीं भी प्रावधान नहीं किया है। कहीं-कहीं ऐसा भी होता है कि किसी किसी खान में कम आदमी काम करते हैं मान लीजिए 20 आदमी काम करते हैं, जो कि अन-आर्गेनाइज्ड है, उनको किस तरह का लाभ मिलेगा, इसका प्रावधान जब तक आप नहीं करेंगे, तब तक मजदूरों को लाभ नहीं मिल सकता है।

खास तौर से एक दूसरी प्राब्लम रुरल के साथ अन-एम्पलायमेंट की है, यह भी खास कर खेत में काम करने वाले मजदूरों के साथ पैदा होती है। जब एग्रीकल्चर आपरेशन समाप्त हो जाता है, तब उनको रोजगार नहीं मिलता है। उनके लिए अभी तक आपने कोई व्यवस्था नहीं की है जिसकी वजह से देश की इकोनोमि में, कन्ट्री की इकोनोमि, में कोई सुधार नहीं हो सका है,। मैं यह जानना चाहता हूं कि आपके जितने लेबर-लौंज हैं उन लेबर-लांज में आपने जितनी भी सुविधायें देने का प्रावधान किया है, क्या वास्तविक रूप में उनको वे सुविधायें मिलती हैं ? मैं आपका ध्यान एक विशेष बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं, आप तो जानते ही हैं कि हमारे देश में लेबर्स की तादाद कितनी है, उनमें से ऐसे कितने लोगों के बच्चे हैं जो प्रोविंशियल सर्विसेज या नेशनल सर्विसेज में आ सके हैं। न आज तक कोई आई० ए० एस० बन सका है और न ही आज तक कोई पी० सी० एस० बन सका है। इसका कारण यह है कि आज तक उनकी शिक्षा की समुचित व्यवस्था नहीं की गई है लेकिन जहां पर आपके सरकारी कर्मचारी रहते हैं या दूसरे बड़े लोग रहते हैं, वहां सैन्ट्रल स्कूल की व्यवस्था कर दी जाती है। लेकिन अगर मजदूर रहते हैं और उनकी कितनी ही बड़ी कालोनी हो, तो वहां पर आप सैन्ट्रल स्कूल नहीं खोलना चाहते हैं, सैन्ट्रल स्कूल की फैसेलिटी नहीं देना चाहते। यह आपके दृष्टिकोण में एक बहुत बड़ा अन्तर है और उस अन्तर को आप दूर नहीं करेंगे, तो मजदूरों का हित नहीं होगा। जैसे कि मेरे से पूर्व-वक्ताओं ने कहा है,कि मजदूरों की संख्या घटती जा रही है और मजदूर अधिक से अधिक संख्या में यह चाहते हैं कि हम इस तरफ न जांए। इसका कारण यह है कि जो सुविधाएं उनके लिए निर्धारित की हैं, वे सुविधाएं वास्तव में उनको नहीं मिलती हैं।

हमारे जो लेबर लॉज हैं, उनमें सबसे बड़ा अभाव, सबसे बड़ी कमी यह है कि हम जितने भी फंड क्रियेट करते हैं और मजदूरों के नाम पर उनके हित के लिए क्रियेट करते हैं वास्तव में जिस उद्देश्य से पैसा इकट्ठा करते हैं, संग्रह करते हैं उस पैसे का उस तरह से इस्तेमाल न होकर केवल अधिकारीगण या व्यवस्था के नाम पर वह खर्च हो जाता है । जब तक आप इस खर्चे पर कन्ट्रोल नहीं करेंगे, तब तक ऐसा ही चलता रहेगा । आप की जो लेबर मिनिस्ट्री है, उसमें इस बात की समीक्षा की जाए कि इस तरह का जो सेंस इकट्ठा किया जाता है, पैसा इकट्ठा किया जाता है, वह अफसरों पर कितना खर्च होता है और ट्रेड यूनियन के लीडरों पर, उनके अधिकारियों पर कितना खर्च होता है और मजदूरों के हितों के कामों पर वास्तव में कितना खर्च होता है । क्या कभी आपने इस तरह का एकानामिक सर्वे किया है, आर्थिक सर्वेक्षण किया है । आप अगर इसका आर्थिक सर्वेक्षण करवाएंगे तो आपको पता चलेगा कि उसका बहुत बड़ा अंश दूसरों पर खर्च होता है और मजदूरों के हितों के कामों पर बहुत कम खर्च होता है ।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि चेस्ट की बीमारी, इस मांइस में काम करने वाले मजदूरों में बहुत अधिक होती हैं ! टी० बी० और अस्थमा और दूसरे जो ऐसे रोग हैं, इन रोगों को दूर करने के लिए आप नियमित रूप से कोई व्यवस्था करें, जिससे इन लोगों की जो आने वाली पीढ़ी है जो इन के बच्चे हैं और परिवार के दूसरे सदस्य हैं, वे प्रभावित न हो सकें । इसके लिए आपको समुचित रूप से ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि उनका वीकली या वाई-वीकली या मैथली-चैक हो और उनको इसके बाद पूरी सुविधाएं मिलनी चाहिए । आज मजदूरों को मैडीकल फैसिलिटीज के मामले में बहुत निगलेक्ट किया जाता है और उनकी सही तौर पर देखरेख नहीं होती है ।

एक सब से बड़ी अभाव की चीज जो मजदूरों के साथ हैं और जिसकी वजह से न तो उन का स्वास्थ्य अच्छा रह सकता है और न उनकी शिक्षा अच्छी हो सकती है और वे देश के स्वस्थ नागरिक नहीं बन सकते हैं, वह है मकान का अभाव । उनको मकान की सुविधाएं देने के बारे में न सरकार मेनेजमेंट चिन्तित है , न एम्पलायर चिन्तित रहता है न सरकार चिन्तित रहती है, जिस की वजह से मजदूरों को हटस में रहना पड़ता है, जिनकी हालत बहुत खराब होती है । यही कारण है कि उनकी प्रगति सही तरीके से नहीं होती है । हमारे सविधान में जो लक्ष्य है और हमारी प्रधान मन्त्री माननीय श्रीमती इन्दिरा गांधी ने जो लक्ष्य रखा है, वह आर्टिकल 43 (1) (ए) में दिया हुआ है । उसमें यह लिखा हुआ है ।

> "43क. राज्य उपयुक्त विधान अथवा किसी अन्य रूप स उपक्रमों, संस्थापनाओं अथवा किसी उद्योग में कार्यरत अन्य संगठनों के प्रबन्ध में श्रमिकों की भागीदारी के सुनिश्चित करने के लिए कदम उठायेगा । "

इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अभी समय लगेगा लेकिन इसके पहले वाला जो आर्टीकिल है, आर्टीकिल 43, कम से कम उस की पूर्ति के लिए तो आप कुछ करें । आप लेबर को क्या सुविधाएं देने जा रहे हैं । यह आपका कोई डनेमेस्टिक ला नहीं है, यह कांस्टीट्यूशनल ला है और कांस्टीट्यू

ट्यूशनल गारेन्टी लेबर को दी गई है। इस कांस्टीट्यूशनल गारेन्टी को देने में कोई हिचकिचाहट हो या सही तरीके से उसका इम्पलीमेंटेशन न हो, तो में समझता हूं कि यह लेकर के साथ न्याय नहीं होगा। आर्टीकल 43 में यह दिया हुआ है :

"43. उपयुक्त विधान या आर्थिक संघटन द्वारा अथवा और किसी दूसरे प्रकार से राज्य कृषि के, उद्योग के या अन्य प्रकार के सब श्रमिकों को काम, निर्वाह-मजूरी, शिष्ट-जीवन-स्तर, तथा अवकाश का सम्पूर्ण उपभोग सुनिश्चित करने वाली काम की दशाएं और सामाजिक तथा सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर प्राप्त कराने का प्रयास करेगा तथा विशेष रूप से ग्रामों में कुटीर-उद्योगों को वैयक्तिक अथवा सहकारी आधार पर बढ़ाने का प्रयास करेगा।"

इसमें जो सिद्धान्त दिए हुए हैं, जिनको प्रतिपादित हमारे संविधान-निर्माताओं ने किया है, उनको आप पूरा करने का प्रयत्न करेंगे, ऐसी आशा में करता हूं।

अन्त में मैं दो सुझाव देना चाहूंगा। एक तो यह है कि माइंस और मिनरल्स इंडस्ट्री में काम करने वाले जो मजदूर हैं, उनके लिए अलग-अलग कानून बने हुए हैं। और का अलग है, आइरन और का अलग है और डोलामाइट का अलग कानून बना हुआ है। क्या आप यह गम्भीरता पूर्वक सोचेंगे कि जितना भी माइनिंग लेबर है और जिसकी तादाद इस देश के अन्दर लगभग 20 लाख है, उन सब के लिए आप एक कानून देंगे जिससे उनको समुचित रूप से जो लाभ आप उनको देना चाहते हैं वह उनको मिल सके और जिस तरह से उनकी कंडीशन्स में आप सुधार लाना चाहते हैं, वह सुधार आ सके।

उनकी स्थिति में, उनकी ट्रेड यूनियन में मजबूती आये। वह सशक्त बने।

दूसरे मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप ऐसा उपाय सोचें जिस से कि देहातों में काम करने वाली असंगठित लेबर को भी ऐसी सुविधाओं का लाभ हो सके।

मिनिमम वेजिज कानून को इम्प्लीमेंट करने के लिए 'एन्फोर्स करने के लिए भी आप कोई सशक्त एवं प्रभावशाली कदम उठायें।

इन्हीं शब्दों के साथ में, जो विधेयक मन्त्री जी ने सदन में प्रस्तुत किये हैं, उनका समर्थन करता हूं।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही (भुवनेश्वर) : सभापति महोदय, मैं पिछले बहुत से वर्षों से उड़ीसा में लौह मैंगनीज तथा क्रोम अयस्क खानों के मजदूरों के संगठन से सम्बन्धित रहा हूं। आज जब लौह अयस्क खान तथा मैंगनीज अयस्क खान श्रम कल्याण उपकर (संशोधन) विधेयक तथा मैंगनीज अयस्क खान श्रम कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक को क्रोम खानों के मजदूरों पर लागू किया जा रहा है, मैं यह महसूस करता हूं कि हम कम से कम एक कदम आगे हैं।

पिछले वर्ष हम एक शिष्टमण्डल में आये थे, और केन्द्रीय श्रम मन्त्री तथा दूसरे लोगों से

मिले थे और उनसे हममें क्रोम अयस्क खानों को मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी को बढ़ाने की आवश्यकता के लिए अनुरोध किया था। उनसे हमने क्रोम अयस्क को कल्याण उपकर तथा कल्याण निधि में सम्मिलित करने के लिए भी अनुरोध किया था। इसकी मांग हमने पिछले वर्ष की थी हमें इस बात की प्रसन्नता है कि आज सरकार इस प्रकार के विधेयक को सदन में लाई है।

एक राज्य के नीति निर्देशांक तत्वों में से एक है। जो हम सभी को श्रमिक वर्ग की रहन-सहन सम्बन्धी दशाओं को बेहतर बनाने का निर्देश देता है चूंकि 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम में यह कहा है कि सरकार द्वारा समाज को कमजोर वर्ग की ओर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिऐ और अधिक रियायतें दी जानी चाहिए इसलिए आज यह और भी अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। जहां तक लौह, मैंगनीज डोलोमाइट चूना पत्थर क्रोम इत्यादि बातों का सम्बन्ध है यदि हम श्रमिक वर्ग की स्थिति का विश्लेषण करें तो यह मालूम होगा कि लगभग 75 प्रतिशत मजदूर समाज के कमजोर वर्ग से सम्बन्धित है। अतः मैं यह कहना चाहता हूं कि हम जिस दिशा में कार्य करना चाहते हैं, उससे यह एक कदम आगे है।

यहां मैं एक और बात कहना चाहूंगा। मैं कई वर्षों तक खान श्रमिकों के साथ रहा हूं क्योंकि मैं अपना सार्वजनिक जीवन जीवन इस वर्ग को संगठित करने से शुरू किया है। खान श्रमिक अपने आप में एक वर्ग है आप उनको दूसरी तरह के श्रमिकों स नहीं मिला सकते, क्योंकि उनको दूर-दराज के इलाकों में काम करना होता जहां कोई भी आधुनिक या शहरी सुविधा उपलब्ध नहीं होती। पहले कोयला, अभ्रक, लौह अयस्क डोलोमाइट, चुना पत्थर, मैंगनीज खानों में काम करने वाले श्रमिक कल्याण उपायों के अन्तर्गत आ जाते थे। 1963 में लौह अपस्क उपकर निधि अधिनियम अधिनियमित किया गया। अब इसे क्रोम श्रमिकों पर भी लागू किया जा रहा है। उड़ीसा में क्रोम अयस्क खानों में करीब 5,000 श्रमिक काम कर रहे हैं। कुल संख्या 6 000 है मैं समझता हूं कि क्रोम अयस्क खानों में काम करने वालों में से 95 प्रतिशत श्रमिक उड़ीसा में हैं।

इस सम्बन्ध में मैं सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि इस प्रकार अलग-अलग पहले कोयला फिर लौह अयस्क, फिर मैंगनीज, डोलोमाइट, चूना पत्थर और अब क्रोम अयस्क पर कानून लाने की बजाय सभी खान और खनिज श्रमिकों के लिए एक व्यापक विधेयक लाया जाये।

मैं माननीय मन्त्री को ध्यान इस बात की दिलाना चाहता हूं कि उड़ीसा में एक स्थान है कुरधा जहां पर पत्थर निकालने और ग्रेनाइट पत्थर की क्रशिंग मिलें हुई हैं, जिनमें अधिकतर समाज के गरीब वर्ग के करीब 7,000 श्रमिक काम करते हैं। इनमें महिलाओं और बच्चों की संख्या ज्यादा है। सरकार को इन सुविधाओं धीरे-धीरे विस्तार करना चाहिए और ग्रेनइट पत्थर और पत्थर क्रशिंग पत्थर मिलों के श्रमिकों पर भी लागू करना चाहिए क्यों कि भवन निर्माण ओर सड़क विकास कार्यों की वजह से आजकल यह अपने आप में एक बड़े उद्योग बनते जा रहे हैं।

मैं समझता हूं कि इस बात को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए ।

यह मैं एक और बात की और ध्यान दिलाना चाहता हूं । एक दुर्भाग्यिपूर्ण पहलू यह है कि 1976 में सारे देश में करीब 52,000 श्रमिक लौह अयस्क खानों में कार्य करते थे । 1980 में यह घर कर 39,000 रह गये । इसी तरह 1976 में मैंगनीज अयस्क खानों में 28,000 श्रमिक कार्य करते थे, लेकिन 1980 में यह कम होकर 23,000 रह गये । इसी कोमाइट अयस्क खानों में 6,000 श्रमिक कार्य करते थे । अगर आप इन पर नजर डालें तो पायेंगे कि लौह अयस्क मैंगनीज अयस्क खानों में श्रमिकों की संख्या में निरन्तर गिरावट आ रही है । यहां तक कि क्रोमाइट अयस्क खानों में इनकी संख्या में कमी आ रही है क्योंकि मिल-मालिक अन्तर्राष्ट्रीय-बाजार की मांग को देखकर चलते हैं । यह सोने की तरह मूल्यवान है । क्रोमाइट अयस्क के काफी अच्छे दाम मिल रहे हैं । अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में क्रोमाइट के भावों में गिरावट की बजह से, उड़ीसा में कुछ खान मालिकों ने इनका विस्तार रोक दिया है उन्होंने श्रमिकों की संख्या में भी कमी कर दी है । उड़ीसा में लौह अयस्क खानों में काम करने वाले श्रमिकों की संख्या 5,000 थी । खानों के बन्द होने की वजह से हजारों श्रमिकों की छंटनी की जा रही है । पाराद्वीप बन्दर गाह पर जहाजों के न आने की बजह से करीब 20 से 30 लाख टन अयस्क पड़ा हुआ है । इन छंटनी किए गये श्रमिकों में से काफी संख्या जनजातीय लोगों की है ।

जब हमारा उद्देश्य समाज के इन कमजोगों र वकाआर्थिक-सुधार करना है तो हमें यह देखना होगा कि श्रमिकों की छंटनी को कैसे रोका जाय ? मैं आशा करता हूं कि सरकार इस ओर ध्यान देगी । जहां तक निधि के प्रशासन का प्रश्न है , 1976 तक कुल जमा राशि 3.50 करोड़ रूपये थी । अगर यह आंकड़े गलत हों तो मन्त्री महोदय कृपया सही कर दें । अब लौह अयस्क, मैंगनीज अयस्क, डोलोमाइट और चूने के पत्थर की निधि में मैं कितनी जमा राशि है ? मैं कहना चाहूंगा कि माननीय सदस्यों को यह नहीं मान लेना चाहिए कि उपकर निधि सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है । यह तो सरकार की पूरक एक अतिरिक्त कोशिश है । मैं चाहूंगा कि माननीय मन्त्री महोदय सदन को यह जानकारी दे कि केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा चिकित्सा सहायता, शिक्षा पीने का पानी और स्वास्थ्य सेवा आदि विभिन्न कल्याण कार्यक्रमों के अन्तर्गत इन श्रमिकों को कितना लाभ पहुंचाया गया है । यह 1.80 करोड़ रुपये की एक बहुत ही सीमित निधि है । मैं आशा करता हूं कि सरकार यह रास्ता बतायेगी कि इन श्रमिकों पर कुल कितना पैसा खर्च किया जा रहा है, ।

श्रीमन्, मैं केवल दो या तीन मिनट का हो समय और लूंगा । मैं चाहूंगा कि इस निधि के प्रशासन पर नजर रखी जाये । मेरा निजी अनुभव यह है, क्षेत्रीय सलाहकार समितियों और केन्द्रीय सलाहकार समितियों के अलावा आपके पास अपनी सलाहकार समितियां भी हैं । क्षेत्रीय सलाहकार समितियों के सदस्य कौन लोग हैं ? उनकी कितनी बैठकें होती हैं ? क्या माननीय मन्त्री महोदय सदन को यह बतायेंगे कि कितनी दफा इन समितियों की बैठकें हुई और उन्होंने क्या-क्या कल्याण कार्य किये । क्या कभी भी श्रमिक परिषद में इन पर विचार किया गया ? मैं

समझता हूं कि इस पर तनिक भी चर्चा नहीं की गयी। मन्त्री महोदय को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कम से कम एक, दो या तीन माह में उनकी एक बैठक जरूर हो। इन क्षेत्रीय समितियों में मुख्यतः श्रमिकों को ही प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए। उनको आम सभा की बैठकें बुलानी चाहिए जिनमें 1982-83 या 1983-84 में किये जाने वाले कल्याण उपायों के बारे में चर्चा की जानी चाहिए। उनको इन बारे में खुद ही चर्चा करके इन्हें अन्तिम रूप देना चाहिए उनको खुद बताना चाहिए कि उन्हें इन-इन कल्याण उपायों की तुरन्त आवश्यकता है। अगर इन्हें क्रियान्वित किया जाता है तो श्रमिक भी यह महसूस करेंगे कि वे भी अयस्क उपकर निधि के संचालन के एक अंग हैं। वे भी उत्साहित होंगे कि उन्हें भी इस निधि के प्रशासन में भाग लेने के लिये प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसलिए क्षेत्रीय ओर केन्द्रीय स्तर पर इन समितियों का पुनर्गठन होना चाहिए और यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि इनकी बैठकें हो। और पैसे के लेखे जोखे को आम सभा के सामने रखा जाना चाहिए। एक जगह मैंने देखा कि श्रमिकों के कल्याण के नाम पर एक बहुत बड़े भवन का निर्माण किया जा रहा है। लेकिन इसका क्या परिणाम हुआ ? मैं समझता हूं कि वहां केवल अधिकारी ही जाते हैं। जब कि जनजातीय लोगो के पास वहां जाने के लिए समय ही नहीं है, वे इस भवन में कैसे जा सकते हैं। उन्होंने इस बड़े भवन के निर्माण में इस निधि से कम से कम 30 लाख रुपये तो खर्च किये ही होंगे। इसलिए माननीय मन्त्री जो कि खुद एक मजदूर नेता हैं अपना दिमाग इस ओर लगायें कि इस निधि से खर्च किया जाने वाला एक पैसा भी केवल श्रमिकों की भलाई और नौकरी पेशा लोगों के कल्याण के लिए ही खर्च किया जाये।

मैंने धनवाद और दूसरे कोयला खान क्षेत्रों और मेरे अपने निर्वाचन क्षेत्र में देखा है कि काफी शोषण किया जा रहा है। 1957,58 में इस शोषण की जांच करने के लिये एक समिति नियुक्त की गई थी। उसकी रिपोर्ट के अनुसार साहूकारों और महाजनों खान मजदूरों और उनके परिवारों को लूट रहे हैं। इसलिए, श्रीमान हमें यह सुनिश्चित बनाना चाहिए कि इन सभी कल्याण कार्यक्रमों में स्वयं श्रमिक भी अपना योगदान दें और उनके अन्दर भी यह भावना पनपे की सरकार उनके लिए कुछ कर रही है।

श्रीमन, आखिर में, यह पूछना चाहता हूं कि पिछले तीन वर्षों के दौरान इस उपकर निधि से शिक्षा आदि कल्याण कार्यक्रमों के लिए कितना धन आरक्षित रखा गया था और उसमें से कितना खर्च किया गया। श्रीमन आज उड़ीसा में चावल 3.70 प्रति किलो की दर से बेचा जा रहा है। अगर सम्भव हो तो सरकार को इसकी बिक्री को भी कल्याण कार्यक्रमों के अन्तर्गत लेना चाहिए। क्योंकि इतनी ऊंची दरों पर एक आदमी के लिए चावल खरीदना असम्भव है। श्रमिकों के सहकारी स्टोरों द्वारा ये चीजें श्रमिकों को उपलब्ध करायी जानी चाहिए, ताकि बिचौलिये श्रमिकों का शोषण न कर सकें इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं मुझे खुशी है कि मन्त्री महोदय ने यह विधेयक पेश किया है। मैं पूरी तरह से इसका समर्थन करता हूं।

श्री रामावतार शास्त्री : हम लोग एक साथ दो विधेयकों पर विचार कर रहे हैं। एक लौह

अयस्क खान तथा मैंगनीज अयस्क खान श्रम कल्याण उपकर संशोधन विधेयक है और दूसरा लौह अयस्क खान तथा मैंगनीज अयस्क खान श्रम कल्याण निधि संशोधन विधेयक है। एक बात मैं सैस सम्बन्धी विधेयक के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। यह बात एक आध माननीय सदस्य ने पहले भी कही है। इनके प्रस्ताव के मुताबिक जो सैस लगाया जा रहा है वह ज्यादा से ज्यादा छः रुपये होगा। अभी इन्होंने तीन रुपये ही इसको किया है लेकिन ज्यादा से ज्यादा ये छः रुपये तक इस को ले जाएंगे। मेरा संशोधन है कि इसमें कुछ वृद्धि होनी चाहिये। और दस रुपये तक इसको ले जाया जाना चाहिये। यह अधिकतम सीमा कर दी जानी चाहिये। इनको पैसा कल्याण कार्यों के लिए चाहिये। इस तरीके से अभी जो पैसा इनको मिलेगा वह नौ लाख होगा। छः हजार मजदूरों के कल्याण कार्यों के लिए यह बहुत ही अपर्याप्त है। मैं चाहता हूं कि इस सीमा को बढ़ाया जाए। कुछ क्रोम बाहर जाएगा निर्यात होगी उससे ये कस्टम ड्यूटी वसूल करेंगे और जो यहां बिकेगी उससे एक्साइज ड्यूटी वसूली की जाएंगी। मैं चाहता हूं कि इसमें वृद्धि इस प्रकार से की जानी चाहिये।

श्रम कल्याण निधि सम्बन्धी विधेयक के बारे में मैं दो तीन बातें कहना चाहता हूं।

किसी खान में काम करने वाले मजदूर हों, चाहे वह लोहे की खान हो या कोयले, क्रोम और मैंगनीज की खान हो, उनका काम सबसे ज्यादा मेहनत का है और उन्हें शारीरिक श्रम भी बहुत अधिक करना पड़ता है, क्योंकि सब जगह मैकेनाइजेशन के जरिए काम नहीं हो रहा है। इसलिए इन लोगों की स्थिति बड़ी दयनीय है। इन्हें पौष्टिक भोजन और दूसरी आवश्यक सुविधाएं नहीं मिलतीं, इसलिए वे बीमारियों के भी शिकार होते हैं। इनके काम की स्थिति को देखते हुए इनकी विशेष सहायता करनी चाहिए।

प्रश्न यह है कि इन मजदूरों के स्वास्थ्य खेल-कूद, शिक्षा और आवास आदि कल्याण-कार्यों के लिए जो कानून बनाया जा रहा है, उसका कार्यान्वयन ठीक से हो पाता है या नहीं, जो भी सीमित निधि सरकार के पास होगी, मजदूरों के लिए उसका ठीक से उपयोग हो पाता है या नहीं। इस निधि में वृद्धि करने का काम तो है ही, लेकिन जिन लोगों के लिए यह निधि बनाई जा रही है, उन तक उसका लाभ पहुंचे, मैं समझता हूं कि यह सबसे बड़ा काम है। सब लोग जानते हैं कि उन की स्थिति बहुत खराब है। हम शहरों में देखते हैं कि स्थिति बहुत असंतोष-जनक है। तो खानों में तो वह और भी अधिक असंतोषजनक हो सकती है।

मुझे खानों का अधिक अनुभव नहीं है, केवल एक दो जगह का अनुभव है। जमशेदपुर में किरिबुरू आयरन और की खान के बारे में मुझे थोड़ी सी जानकारी है कि वहां पर आवास, स्वास्थ्य-सेवाओं और पीने के पानी की व्यवस्था संतोषजनक नहीं है। सरकार भी मानती है कि यह उसे संतोषजनक स्थिति में नहीं पहुंचा सकी है। एक और खान का मुझे अनुभव है। हमारे सूबे में रोहतास जिले में अमझोर में गंधक की खान है। मैं वहां की एक यूनियन का अध्यक्ष भी हूं मुझे कभी कभी वहां जाने का मौका मिला है। इस बात का ध्यान रखना होगा कि इस पैसे

का इस्तेमाल उन लोगों के कल्याण के लिए हो और इसमें भ्रष्टाचार की गुंजाइश न हो । आज भ्रष्टाचार सब जगह फैल गया है । मजदूरों के लिए काम करने वाले संस्थानों में भी भ्रष्टाचार है । उदाहरण के लिए प्राविडैंट फंड के कार्यालय मजदूरों के लिए बने हैं । अगर मजदूर न रहे, तो उनकी क्या जरूरत है लेकिन वहां भी भ्रष्टाचार है । अधिकारी भी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं ओर कुछ गडवड़ी श्रमजीवी खुद भी करते हैं, जो प्राविडैंट फंड सम्बन्धी काम कराने के लिए मजदूरों से पैसे मांगते हैं । अधिकारी खुले तौर पर ऐसा करते हैं । सरकार को इन बातों की जानकारी होती है, लेकिन उन्हें पकड़ा नहीं जाता है । इस फंड में भी ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है और गड़वड़ की गुंजाइश हो सकती है । मैं चाहता हूं कि सरकार की निगाह इस तरफ रहे ।

कभी कभी देखने को मिलता है कि इस योजना को कार्यान्वित करने के लिए जो सलाहकार समिति बनाई जाती है, उस पर काफी ज्यादा पैसा खर्च किया जाता है । इस बिल में कहा गया है कि निधि इकट्ठी करने का खर्चा इसी से लिया जाएगा । आपने कहा कि हाफ परसेंट लेकिन वह भी इससे क्यों ? इसमें तो और आपको ऐड करना चाहिए इसमें से आप वसूलने का खर्च भी निकलना चाहते हैं ? मैं समझता हूं कि यह मुनासिव नहीं है । यह पैसा जिन के लिए आप वसूल रहे हैं उन्हीं पर खर्च हो यह मेरा कहना है ।

दूसरी बात जो गड़वड़ी करे उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही में कोताही नहीं होनी चाहिए ।

श्री जमीलुर्रहमान : (किशनगंज) स्ट्राइक नहीं होनी चाहिए ।

श्री रामावतार शास्त्री : स्ट्राइक तो होगी ही जमीलुर्रहमान साहब, उससे आप कैसे बच सकिएगा ?··· (**व्यवधान**) ···सुन लीजिए, यहां आप लड़िएगा कि आपकी तनख्वाह बढ़े तो वहां मजदूर नहीं लड़ेगा ? जब उसकी तनख्वाह नहीं बढ़ेगी तो वह हड़ताल करेगा ही ।···(**व्यवधान**) बिलकुल में प्रोडक्शन की बात भी कर रहा हूं । मैं इन दोनों विधेयकों का समर्थन करूंगा । मैं यह कह रहा हूं कि ये सारे काम कीजिएगा तो यह प्रोडक्शन में बाधक नहीं सहायक होगा और प्रोडक्शनबढ़ेगा । प्रोडक्शन तो मजदूरों को अलग करके नहीं बढ़ेगा । उनकी कठिनाइयों को दूर करिएगा तो यह जरूर टीक से काम करेंगे ।

मेरा मतलब यह है कि इसमें अगर कोई गैर कानूनी काम करे, गलत काम करे, मजदूर विरोधी काम करे तो ऐसे लोगों के विरुद्ध कार्यवाही होनी चाहिए । इस दिशा में आपने कुछ किया है तो थोड़ा सदन को बताए ताकि हम लोग आश्वस्त हो सकें कि इस तरह के कानून की कार्यन्विति में जो कठिनाइयां हैं उनको हमने इस तरह से हल किया है या जरूरत पड़ी है किसी के खिलाफ कार्यवाही करने की तो हमने इस तरह से किया है । मजदूर वर्ग को इससे विश्वास होगा ।

अन्तिम बात मैं यह कहना चाहता हूं कि बहुत तरह की माइन्स हैं, तमाम तरह की माइन्स के

मजदूरों को मिलाकर उनके लिए एक तरह का कल्याणकारी कानून क्यों नहीं बनाते ? यह अलग अलग सब बना रहे हैं। हम समर्थन भी कर रहे हैं। लेकिन हमारी समझ से एक साथ बनाइए तो अच्छा रहेगा। आपकी भी पीसमील में नहीं लाना पड़ेगा और हम लोगों को भी बार बार बोलना नहीं पड़ेगा। आप एक बार सब के लिए एक साथ लाइए और हम भी एक बार बोल लें। कानून तो बड़े अच्छे-अच्छे बने हुए हैं किताबों में। सवाल है उनके कार्यान्वयन का। अगर ठीक से उन को लागू करेंगे तो जरूर समर्थन मिलेगा और नहीं करेंगे तो हड़ताल जमीलुर्रहमान साहब के लाख नहीं चाहने पर भी होगी। ···(**व्यवधान**) ···बाहर भी मैं यही बात बोलूंगा। मैं इस विचार का हूं कि मजदूरों को अपनी डयूटी भी करनी चाहिए। मैं यह नहीं कहता कि वह खाली मांग रखें और काम न करें। कम से कम ए० आइ० टी० यू० सी० ने कभी ऐसा नहीं कहा और मैं ए० आइ० टी० यू० सी० का जवाब वह सदस्य हूं इसलिए मैं यह कह रहा हूं। बिहार में तो ए० आइ० टी० यू० सी० मातहत के ही हम लोग काम कर रहे हैं और यही वहां कर रहे हैं। हम जवाब देही से काम करतेहम चाहते हैं कि देश का उत्पादन भी बढ़े, देश भी बढ़े लेकिन हम यह भी चाहते हैं कि मजदूरों की कठिनाइयां भी दूर हों। इसी के लिए आप यह बिल लाए हैं इसलिए मैं इसका समर्थन करता हूं।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी (बम्बई उत्तर-पूर्व) : श्रीमन्, विधेयक का सीमित उद्देश्य है और इसलिए कोई भी इस पर आपत्ति नहीं कर सकता क्योंकि उद्देश्यों और कारणों से यह स्पष्ट हो जाता है कि यह सही दिशा में एक कदम है, चाहे यह छोटा ही क्यों न हो। मैं मंत्री महोदय को कुछ समय से जानता है और उसके बल पर कह सकता हूं कि वे किसी भी तरह प्रतिक्रियावादी नहीं हैं। जब वे मंत्री नहीं थे, तो हमेशा मजदूरों के पक्ष में बोलते थे। लेकिन दुर्भाग्यवश, जो लोग उनके आसपास रहते हैं उससे मजबूर होकर उन्हे ससंद में एक के बाद एक मजदूर विरोधी ··· देश करने पड़े। मैं इस अवसर का प्रयोग इस विधेयक के अलावा भी कुछ अन्य बातें कहने के लिए कहना चाहता हूं। मैं ससंद की जानकारी में यह लाना चाहता हूं कि आज मजदूरों के विरुद्ध एक आम वातावरण बनाया जा रहा है।

मैं भी श्रमिक विरोधी नहीं हूं। वस्तुतः बम्बई में मेरा चुनाव क्षेत्र बम्बई का सबसे गरीब क्षेत्र है जहां पर 75 प्रतिशत का खान श्रमिक हैं तथा 15 प्रतिशत निम्न आय वाले सरकारी कर्मचारी हैं और प्रत्येक चुनाव में मुझे एक बड़े मजदूर संघ के नेता का सामना करना पड़ता है। 1977 में मुझे 'इनटक' के महासचिव राजा कुलकर्णी का मुकाबला करना पड़ा और उसको हराना पड़ा, और 1980 में मेरे विरुद्धदत्ता सामन्त प्रत्याशी थे।

श्री जी० एस० बनातवाला (पोन्नानी) : इस सब का विधेयक से क्या सम्बन्ध है ?

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : मैं भूमिका बना रहा हूं। मैं एक मिनट मे लेबनान और इजराइल पर आता हूं। चिन्ता न कीजिए।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : उनको बता दीजिए कि उड़ने से पहले हवाई जहाज को भी कुछ देर दौड़ना पड़ता है।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : यह टीक है ।

सभापति महोदय : परन्तु जब आप इजराइल और लेबनान पर आये तो आपको इजराइल का विरोध करना चाहिए ।

डा०सुब्रह्मण्यम स्वामी : बिल्कुल, मैं इजराइल का पूरा विरोध करता हूं । परन्तु इसका तात्पर्य यह नहीं कि मैं इजराइल से मित्रता करने के विरुद्ध हूं । मैं उनकी नीतियों का विरोध हूं जैसे कि मैं आपकी नीतियों का विरोध करता हूं । परन्तु मैं आपका मित्र हूं ।

अब वास्तविक प्रश्न यह है कि क्या इस विधेयक से या जो कुछ मंत्री अगले दिनों या अगले सत्र में लाने पर विचार कर रहे हैं उसकी वजह से इन उद्योगों के मजदूरों की जीविका में आधार भूत परिवर्तन आयेगा । आंकड़ों की दृष्टि से मैंने देखा है कि बहुत से उद्योगों में जिनमें लौह अयस्क खनन उद्योग भी सम्मिलित है कुल वितरित राजस्व में मजदूरी का भाग सही अर्थों में 1965 से लगातार घटता जा रहा है । मुझे संसार के किसी भी ऐसे देश के बारे में मालूम नहीं नहीं जहां पर मजदूरी तथा वेतन का भाग वास्तव में कम हो गया हो । अमेरिका में, जो कि एक पूंजीवादी देश है इंग्लैंड और जापान में मजदूरों की मजदूरी लगातार बढ़ रही है । उदाहरण के तौर पर इंग्लैंड में मजदूरी का हिस्सा राष्ट्रीय उत्पादन का लगभग 73 प्रतिशत है जबकि भारत में राष्ट्रीय उत्पादन में मजदूरी का हिस्सा केवल 35 प्रतिशत है । बीस वर्ष पहले यह 50 प्रतिशत के लगभग था और यह सारे प्रगतिवादी कानूनों के बावजूद भी जिनकी बात की जाती है । तथा 20 सूत्रीय कार्यक्रम, जिनके बारे में श्री चिन्तामणि पाणीग्रही बात करते हैं, कम हो गया है राष्ट्रीय उत्पादन में श्रमिकों की मजदूरी का हिस्सा कम कैसे हो गया है । और यह सभी उद्योगों में हो रहा है ।

मैं चाहूंगा कि मंत्री श्रम ब्यूरों के आंकड़ों तथा वास्तविक मजदूरी तथा वास्तविक रहन सहन की लागत के सूचकांकों को देखें बाकि उनको जो उन्होंने बनाये हैं जिनमें सभी प्रकार के कपट पूर्ण तरीके अपनाये जाते हैं । साथ ही साथ जिन मूल्यों को वे लेते हैं उनमें से कुछ नियन्त्रित मूल्य होते हैं । यदि रहन-सहन की लागत की गणना बाजार के उचित फुटकर मूल्यों पर की जाये और मजदूरी के धन का उससे विभाजन किया जाये तो वास्तविक मजदूरी निकल जायेगी । महोदय मैं चुनौती देता हूं और मैं आपको दिखा दूंगा कि आज वास्तविक मजदूरी जितनी यह 1960 में थी उससे भी कम है ।

महोदय, यह भी एक नई घटना है । कि वास्तविक मजदूरी खाद्य तेलों व दालों आदि के प्रतिव्यक्ति उपभोग के रूप में कम हो गयी है । इसलिए हमारे लिए श्रमिकों से यह कहना कि आन्दोलन मत करो हड़ताल मत करो उचित नहीं है । वे इसको सबसे अधिक नियेधात्मक प्रणाली से करेंगे जैसा कि शास्त्री जी को मालूम है कि पोलैंड में क्या हो रहा है ।

श्री रामावतार शास्त्री : निस्संदेह मुझे मालूम है परन्तु क्या आपको वहां की स्थिति के बारे में मालूम नहीं है ।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : मैं श्रमिकों से जाकर यह नही कहूंगा कि उन्हें हड़ताल नहीं करनी चाहिए। बम्बई सूती वस्त्र मिलों की हड़ताल को ले लीजिए। ईमानदारी से यह बड़े दुख की बात है कि बम्बई में सबसे अधिक अकुशल सूती वस्त्र मिल तथा सबसे अधिक कुशल मिलों में मजदूरों की मजदूरी बराबर है। आप इसको किस प्रकार न्यायोचित ठहरा सकते हैं ? बोम्बे डाईंग में भी लगभग उतनी ही मजदूरी दी जाती हैं जितनी किसी टूटी फूटी वस्त्र मिल में दी जाती है आप श्रमिकों को यह नहीं कह सकते कि उनकी मजदूरी में वृद्धि नहीं होनी चाहिए - यह गलत है। सभी प्रकार के प्रचारों के बाबजूद भी, मजदूरों की उत्पादकता लगभग तीन प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से बढ़ रही है जबकि उनकी वास्तविक मजदूरी कम हो रही है। इसको मैं आंकड़ों से सिद्ध कर सकता हूं। यदि मन्त्री एक सेमिनार आयोजित करें तो मैं इसको सिद्ध करने के लिए श्वेत पत्र प्रस्तुत कर सकता हूं । मैं अर्थशास्त्र का प्रोफेसर रहा हूं। यदि वह एक विशेष वाद-विवाद का प्रबन्ध करें तो मुझे सभी तथ्य प्रस्तुत करके बहुत खुशी होगी इसलिए यह प्रश्न है।

इसका भाग यह है कि लौह अयस्क जैसे काम में लगे श्रमिकों के श्रम के फल इन श्रमिकों को नहीं मिलते। शास्त्री ने ठीक ही कहा है कि इन खान मजदूरों को भारी जोखिम उठाकर बहुत अधिक शारिरिक श्रम करना पड़ता है अब उनके उत्पादन का निर्यात किया जा रहा है। उदाहरण के लिए, लौह अयस्क को ले लीजिए, आज लौह अयस्क का काफी निर्यात किया जा रहा है लोहे तथा इस्पात का उत्पादन 400 लाख टन है। इसका काफी भाग निर्यात किया जा रहा है। वास्तव में समझौते के अनुसार कुदरेमुख के सम्बन्ध में सारी पहाड़ी का ही निर्यात किया जाना था और लौह अयस्क की सबसे बढ़िया किस्म का है। हाल ही में जापान ने, जिसने हमारे लौह अयस्क का आयात किया हमें लगभग 12 करोड़ रुपये का बोनस दिया है क्योंकि लौह अयस्क उससे बढ़िया किस्म का था जो समझौते में विहित है इसलिए अपनी अपराध भावना से उन्होंने कहा कि ठीक है हमने जितने का सौदा किया था उससे अच्छा कमाया है इसलिए हम आपको बोनस देते हैं। परन्तु उसमें से नीचे तक कुछ नहीं आता। यह महत्वपूर्ण बात है। इसलिए हमें इस संदर्भ को देखना है। इतना अधिक उपकर नहीं, 45 पैसे, इतना अधिक या 6 रु० से वे 10 रु० तक बढ़ाना चाहते है यह प्रश्न नहीं है प्रश्न यह है कि श्रम का फल है । इसका निर्यात किया जा रहा है। हाल ही में इन सभी उत्पादनों का निर्यात मूल्य वास्तव में बढ़ गया है। लौह अयस्क पर यह 12 डालर प्रतिटन तक बढ़ गया है परन्तु इसका प्रभाव श्रमिकों के वेतन पर नहीं पड़ा। अतत : आप श्रमिको से चुप रहने के लिए कैसे कह सकते हैं ? वे आधुनिक तम अर्थशास्त्र को नहीं समझ सकते हैं विशेष रूप से इस बात को ध्यान में रखते हुए कि पिछले तीन चार वर्षों में आधारभूत परिवर्तन हुए हैं।

एक माननीय सदस्य : जनता शासन काल में क्या हुआ ?

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : मैं हरेक बात का बचाव नहीं करूंगा इन लोगों ने 30 वर्षों में जितना किया हमने अढ़ाई वर्षों में उससे अधिक किया यदि हमें 30 वर्ष शासन करने को मिल

गया तो हम क्रान्ति लायेंगे आप कुछ समय और इन्तजार करें। अगले चुनाव बड़ी जल्दी आ रहे हैं। हम वहाँ दिखाएंगे।

दूसरी बात यह है कि सरकार ने न केवल निर्यात क्षेत्र में बल्कि स्थानीय रूप से भी·····

एक माननीय सदस्य : क्या इच्छा जनिठ धारणा है।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : हम इच्छाजनिट धारणा को रखें।

एक माननीय सदस्य : आप अपनी इच्छा जनिट धारणा को रखें।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : हम आपकी तरह आत्म संतुष्ट थे। हम काग्रेसियों को कहा करते थे आप कभी जीतकर नहीं आ सकते। परन्तु आप जीत कर आ गये। अतः हमारी आत्म संतुष्ट से सबक सीखिए।

इस तथ्य के साथ कि निर्यातों से कमाये गये मूल्यों से श्रमिकों को कोई लाभ नहीं मिल रहा है. आन्तरिक स्थिति को भी देख लीजिए। क्या यह वास्तविकता नहीं है कि इस्पात, लोह पिंडों, सभी वस्तुओं के मूल्यों का आविनियमन कर दिया गया है ? अब उन पर कोई नियन्त्रण नहीं हैं। परिणाम स्वरूप टाटा और इन बड़े उद्योगों के लाभ काफी बढ़ गये हैं। बाजार में उनका अंश बहुत बढ़ गया है परन्तु क्या इसका लाभ मजदूरों को भी हुआ है इसका लाभ मजदूरों को क्यों नहीं हुआ ? इसलिए मैं सरकार से इस संबन्ध में निरन्तर निगरानी रखने के लिए कहूंगा। यह नहीं कि जब मजदूर कहें कि हमें इतना चाहिए तो आप उनके साथ बातचीत करना शुरू करें और उनकी हड़ताल तोड़ने का प्रयास करें। यह तरीका नहीं है आपको एक ऐसा यूनिट बनाना चाहिए जो सभी बातों पर सतत निखरानी रखे और जो उनका हक है वह उनको बिना माँगे दिया जाना चाहिए। यदि आप ऐसा करेंगे जैसा जापान में है तो मुश्किल से ही कोई हड़ताल होगी। मैं नहीं समझता कि श्रमिक हड़ताल करना चाहते हैं। वस्तुतः जब मैं सूती वस्त्र उद्योग के श्रमिकों के घरों में जाता हूं तो देखता हूं कि उनकी पत्नियां खुश नहीं हैं। उनमें से बहुन सी आँसू बहा रही होती हैं वे कहती हैं उनके पति घर पर बैठे हैं और कोई कार्य नहीं कर रहे हैं। वे चाहती हैं कि वे काम करें। मैंने कोई ऐसा श्रमिक नहीं देखा जो इच्छा से हड़ताल करना चाहते हों। परन्तु जब उन्हें आशा की किरण दिखाई नहीं देती तो ऐसा होता है सरकार थोड़ी सी सहानभूति दिखाये और इस प्रकार का विश्लेषण करे कि उनका हक क्या है तो स्वतः ही उचित स्थिति पैदा हो जायेगी जिसमें श्रमिक महसूस करेंगे कि उत्पादन में उनका भी हिस्सा है।

इसलिए महोदय, विधेयक को समर्थन देते हुए मैं सरकार के श्रम विरोधी रुख पर गहरा दुःख व्यक्त करता हूं।

श्री जेवियर अराकल (एर्णाकुलम) : सभापति महोदय, इस विधेयक में दो बातों को लाने का प्रयास किया गया है। एक तो वर्तमान श्रम कल्याण निधि को बदलने के लिए ताकि काम को

भी इसमें सम्मिलित किया जा सके। दूसरे उत्पादन तथा सीमा शुल्क एक दर पर लगाना। इन दो उद्देश्यों के लिए इन विधेयकों को इस सभा के प्रत्येक कोने से सभी का समर्थन प्राप्त है।

मैं इस विधेयक का समर्थन दो बातों के कारण करता हूं। एक तो यह है कि इससे प्रशासनिक व्यय में काफी कमी हो जायेगी और दूसरे खनन के क्षेत्र में एकसी कल्याण गतिविधि होगी।

श्रम कल्याण समवर्ती सूची की प्रविष्टि 24 में है और खानों व खनिजों का नियन्त्रण व विनियमन् संघ सूची की प्रविष्टि 54 व 55 के द्वारा होता है और राज्य सूची की प्रविष्टि 23 भी संघ सूची की प्रविष्टि 54 और 55 के अध्याधीन है।

अतः मैंने सदन के समक्ष जो तीन प्रस्ताव रखे वे हैं, क्या सरकार ने पूरे खनन उद्योग के राष्ट्रीयकरण करने पर विचार किया है ? मैंने सदन में इसकी मांग बहुत बार की है। (2) डा० स्वामी एक पहलू पर प्रकाश डाला है, जिसका उल्लेख मैं भी इस सदन में करता रहा हूं, अर्थात क्या सरकार ने अन्य देशों को लोहा और अन्य अयस्क का निर्यात बन्द करने का विचार किया है ? उन्होंने जापान के अच्छे उदाहरण का हवाला दिया हैं। हम अपने ही देश में उनके सहयोग से काम कर सकते हैं। जिसमें हम अपने अयस्कों का वहां निर्यात करने की बजाय जापान को अपने उद्योग यहां लगाने और अयस्कों का बिकास करने के लिए कह सकते हैं। (3) 1952 के खनन अधिनियम और उसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों पर सदन द्वारा पुर्नविचार करने और उसका मूल्यांकन किए जाने की आवश्यकता है क्योंकि बहुत से सदस्यों विशेशकर श्री पाणिग्रही, श्रीमती पटनायक और डा० स्वामी ने इस बारे में अपनी आकांक्षा व्यक्त की है।

अब, श्रम मन्त्री का उत्तर होगा यह मेरे विभाग के क्षेत्रायधिकार में नहीं है।" मैं निवेदन करता हूं कि उन्हें ऐसा रूख नहीं अपनाना चाहिए। सरकार को इन तीनों मामलों के बारे में अपनी नीति स्पष्ट करनी चाहिये।

हमें खानों में कल्याणकारी गतिविधियों का वहुत अनुभव है। यदि आप 1961 और1976 के अधिनियम को देखें, तो आप देखेंगे कि उसमें पांच बातों का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है, वे आवास, चिकित्सा-सुविधा, जलपूर्ति और शिक्षा तथा मनोरंजन की सुविधाएं। सभापति महोदय जैसा कि आपने स्वयं ठीक पूछा है कि हमने कितना खर्च किया है ? इसका लाभ किसको हुआ है, जिन्हें यह मिलना चाहिए था ? मुझे आशा है कि मन्त्री महोदय इस प्रश्न का उपयुक्त उत्तर देंगे।

मैं श्री बालानन्दन की इस बात से सहमत हूं कि इस लौह अयस्क पर उपकर की दर केवल 50 पैसे प्रति मीट्रिक टन है और मैंगनीज पर उस की दर 1 रुपया है। उन्होंने कुछ आंकड़े दिए हैं। जिनको मैं पुन; दोहराना नहीं चाहता। मैं निवेदन करता हूं कि इस श्रम क्षेत्र की आवश्यकताओं तथा कल्याणकारी गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए इस दर में संशोधन

किया जाना चाहिए। इसे अन्य दरों और मांग के बराबर लाने के लिए इसका संशोधन करना होगा।

हमारी महिला सदस्य ने बेरोजगारी की समस्या वृद्धावस्था और चलते-फिरते औषधालयों की कमी यह प्रकाश डालते हुए इस समस्या को ठीक ही रखा है। अतः हम जानते हैं कि सरकार क्या करने जा रही है और 1961 तथा 1976 के अधिनियमों से जो कुछ सीख हमने ली है उसको वर्तमान विधेयक में कहां तक समावेश किया जाने वाला है।

मैं चाहता हूं कि इन चार बातों पर मन्त्री महोदय गंभीरता से विचार करें मुझे आशा है, वह इसका उत्तर देंगे।

इन शब्दों के साथ, मैं बिधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री रीतलाल वर्मा : (कोडरमा) : सभापति जी, लौह अयस्क खान तथा मैंगनीज अयस्क खान श्रम कल्याण निधि संशोधन विधेयकों का हैं समर्थन करता हूं यद्यपि ये विधेयक श्रमिकों की कल्याण की दृष्टि से बहुत ही नाकाफी है। यह उनके लिए बहुत ही कम निधि कही जायेगी सरकार 6000 श्रमिकों के कल्याण के लिए 9 लाख रुपए का उपबन्ध करने जा रहा है, लेकिन यह कुल मिलाकर प्रति श्रमिक डेढ़ सौ रुपया बैठता है, साढ़े बारह रुपए प्रति माह। इससे आप समझ सकते हैं कि इतनी महंगाई में, जबकि साढ़े बारह रुपए में एक समय का लंच या डिनर दिल्ली में नहीं हो पाता, श्रमिकों का कल्याण कैसे होगा ? यह बहुत ही गंभीर विषय है। मन्त्री जी ने इस ओर पहल की है, या बात सही है लेकिन ये मजदूर अधिकतर जंगलों और पहाड़ों में काम करते हैं, जहां से शहरों में आने के लिए कोई यातायात के साधन और सड़कें इत्यादि नहीं होती हैं। वहां पर पानी-बिजली की व्यवस्था नहीं होती, दवादारू की व्यवस्था नहीं होती। तकनीकी शिक्षा और पढ़ाई इत्यादि का अभाव होता है। इस तरह से आप सोच सकते हैं कि साढ़े बारह रुपए से आप क्या-क्या सुविधाएं उपको देने जा रहे हैं। ऐसा भी नहीं है कि ये 9 लाख रुपए तक की जगह पर खर्च होना है। कई जगहों पर खानें हैं और सैकड़ों मील की दूरी पर हैं। उड़ीसा, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मणिपुर, गोवा, इन सब जगहों पर हैं और इन सब जगहों पर आपको थोड़ा-थोड़ा देना है। इसके अलावा हर जगह नैमित्तक श्रमिक भी काफी संख्या में होते हैं, वे इन कल्याणकार्यों से वंचित रहते हैं। उनकी ओर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। इन सब चीजों को देखते हुए इस प्रावधान को "ऊंट के मुंह में जीरा" कहा जा सकता है। इसमें व्यापक दृष्टिकोण नहीं रखा गया है।

इस पैसे की सीमा शुल्क से और लेवी बढ़ाकर लेंगे। उसमें भी साढ़े चार हजार व्यय, इसके बावजूद कई अधिकारीगण रहते हैं। कल्याण विभाग के कमिश्नर होते हैं जो योजना बनाते हैं। सालाना बजट बनाते हैं, उनकी कितनी सिटिंग्स होती हैं, उसमें भी खर्च होता हैं। वह भी इसीमें से निकलता है। एम० पी० आई० अनुदेशक और अनुशिकाएं होती हैं इन लोगों का वेतन देखा जाए तो 9 लाख रुपया तो इसी में खर्च हो जायेगा। कागजों पर दिखा दिया जाता है कि

इतनी पढ़ाई हुई है, इतनी कढ़ाई की शिक्षा हुई है, इतना मेडीकल में खर्च हुआ। चना बिस्कुट वितरित करने हैं, इसी में लाखों रुपये का हिसाब हो जाता है। मैंने अपने क्षेत्र से देखा है वहां पर "अभ्रक खान श्रमिक कल्याण संस्थान" में बहुत घपला है।

इसके अलावा अभी बहुत सी खानें अछूती रह गई हैं इस ओर भी मंत्री जी ध्यान दें ग्रेनाइट, स्टोन क्रेशर इत्यादि बहुत सी माइन्स हैं: वहां भी श्रमिक हैं। उनके मालिकों से भी कर अधिगृहीत करके उन श्रतिकों का कल्याण किया जाना चाहिए।

जापान, अमरीका, इंग्लैंड, आदि में श्रमिक खान से निकलते हैं तो उनके लिए बाथरूम की व्यवस्था होती है, साबुन मिलता है और बहुत सी सुविधाएं मिलती हैं। हमारे यहां इन सब चीजों का अभाव हैं। अगर आप साबुन ही देना चाहते हैं श्रमिकों को तो मैं समझता हूं कि बारह रुपये तो केवल साबुन में ही खत्म हो जाएंगे, एक-एक श्रमिक को देंगे तो उसी में ये खर्च हो जाएंगे। । भारत एक विशाल देश है और इन श्रमिकों की समस्यां भी विशिष्ट हैं। जो राशि खर्च करने के लिए इनके वास्ते रखी जाती वह हास्यास्पद होती है इसको बढ़ाना चाहिये। चीजों के दाम बढ़ते हैं तो यह राशि भी बढ़नी चाहिये। लोहा, क्रीम, इस्पात आदि की काफी कीमत कंज्यूमर से वसूल होती है, दो तीन गुना दाम वढ़ गए है। आपको उपकर को बढ़ाना चाहिये। बढ़ी हुई राशि वसूल करके आपकों श्रमिकों के कल्याण कार्यों में इसको लगाना चाहिये।

ये बेचारे मजदूर जंगलों में,झाड़, पहाड़ के किनारों पर रहते हैं। अपने बाल बच्चों समेत मे एक सीमित दायरे में घूमते फिरते रहते हैं, जीवन गुजर वसर करते हैं। वहीं उनका जीवन समाप्त हो जाता है। इस वास्ते दो चार सुझाव उनके कल्याण के समबन्ध में देना चाहता हूं। एडल्ट एजुकेशन देने के उस क्षेत्रों में व्यवस्था की जानी चाहिये। हर एडल्ट को देने की व्यवस्था की जानी चाहिए और उनको इसके लिए कुछ पारितौषिक भी किया जाना चाहिये। इससे दूसरों को प्रेरणा मिलेगा, बच्चों को आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। माइंज के अगल बगल में कुछ तकनीकी शिक्षा देने की भी व्यवस्था की जानी चाहिये ताकी उनके बच्चे तकनीकी शिक्षा ग्रहण कर सकें और सुनियोजित उद्योग धंधों में काम पा सकें और वे बेचारे अपने माता-पिता की तरह से बंधुआ मजदूर बन कर ही न रह जाएं। उनके वास्ते पर्याप्त स्कूलों की व्यवस्था होनी चाहिये। जहां ये मजदूर काम करते हैं वहां स्कूल आदि की कोई व्यवस्था नहीं होती है। बच्चे विना पढ़ाई के रह जातें हैं। इस वास्ते उनके वास्ते स्कूलों की, पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था की जानी चाहिये। पौटिक आहार, मनोरजन के साधन, सिनेमा इत्यादि दो चार आप दिखा देते हैं और सारा पैसा उ ी में खर्च हो जाता है। मैं चाहता हैं कि वास्तविक कल्याण जिससे उनका हो सकता हो वैसी व्यवस्था आपको करनी चाहिये। आपने समितियों का उपलब्ध किया है। आपने कहा है कि केन्द्र के कितने लोग रहेंगे, आयरन और, मैंगनीज और माइंज के जो मालिक हैं उनके प्रतिनिधि भी उसमें रहेंगे। इस तरह से जो व्यवस्था आपने की है उससे जांच पड़ताल की ठीक व्यवस्था नहीं हो सकती है। आपने यह भी कहा है कि एक महिला भी मम्बर हो सकती है। लेकिन ये तो सैंटल गवर्नमेंट के एम्प्लायीज हुए। मेरे मांग है कि मजदूरों में से उनके प्रतिनिधि लिए जाने चाहिये

और उनकी संख्या पचास प्रतिशत होनी चाहिये। वे जाकर जांच पड़ताल करें कि उनके कल्याण के वास्ते जो राशि रखी गई है उसका अपव्यय तो नहीं हो रहा है। मैं यह भी मांग करता हूं कि स्थानीय पब्लिक रिप्रिजेंटेव्ज को भी उसमें शामिल किया जाना चाहिये ताकि वे देख सकें कि कल्याण की राशि वास्तव में कल्याण कार्यों पर ही खर्च हो रही है और जो भ्रष्टाचार पाता है, उसकी रोकथाम हो सके।

में समझता हूं कि जो राशि है यह बहुत ही अत्यल्प है। इससे मजदूरों का कोई कल्याण नही होने वाला है। इस वास्ते इस पर फिर से विचार करके इसको बढ़ाने की आवश्यकता है। मैं चाहता हूं कि मन्त्री महोदय जब जवाब दें तो आश्वासन दें कि मजदूरों के साथ न्याय किया जाएगा।

***श्री एस० मुरुगैथन** (तरूपत्तूर) : सभापति महोदम, मैं माननीय श्रम मन्त्री द्वारा पेश किए लौह अयस्क खान और मैंगनीज अयस्क खान श्रम कल्याण उपकर (संशोधन) विधेयक तथा लौह अयस्क खान और मैंगनीज अयस्क खान श्रम कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक का पूरे मन से समर्थन करता हूं।

माननीय श्रम मन्त्री ने पहले विधेयक के माध्यम से प्रतिदिन क्रोम अयस्क पर 3 रुपए शुल्क लगाने का प्रस्ताव रखा है और इससे कुल 9 लाख रुपए की वसूली होने की संभावना है। इस राशि से कल्याण निधि बनाई जायेगी जिसका उपयोन क्रोम अयस्क खाग श्रमिकों के लिए कल्याण-कार्यक्रम लागू करने के लिए किया जायेगा। क्रोम अयस्क खानें सर्वाधिक उड़ीसा राज्य में हैं और क्रोम अयस्क खान श्रमिकों की संख्या करीब 6000 है। चूंकि काफी अर्से से सरकार ने इन श्रमिकों के कल्याण सम्बन्धी आवश्यकताओं पर ध्यान नहीं दिया है, अब ये विधेयक यह सुनिश्चित देने के लिए रखे गए हैं कि कम से कम भविष्य में इन श्रमिकों के हितों की उपेक्षा न हो मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि इतनी कम राशि से इन श्रमिकों के कल्याण सम्बन्धी आवश्यकताओं के केवल कुछ पहलुओं का ही ध्यान रखा जा सकता है। वास्तव में, भारत सरकार को खान श्रमिकों की सभी मूल आवश्यकताओं की ओर ध्यान देना चाहिए और यह सुनिश्चित करने के लिए कि देश के सभी खान श्रमिकों को ये सभी सुविधाएं उपलब्ध हों।, मेरी मांग है कि मन्त्री महोदय शीघ्र ही सदन के समक्ष एक व्यापक विधेयक लायें।

महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि यद्यपि तमिलनाडु में प्रचुर मात्रा में खनिज पाए जाते हैं तथापि उनके खनन की उपेक्षा की जा रही है। राज्य सरकार उनके खनन में दिलचस्पी नहीं ले रही हैं। केन्द्र ने गौण खनिजों का खनन करने का काम राज्य सरकार को सौप दिया है लेकिन दुर्भाग्य से राज्य सरकार गौण खनिजों का खनन करने में कोई दिलचस्पी नहीं ले रही है। मैं काले ग्रेनाइट के मामले में, जो कि तमिलनाडु में प्रचुर मात्रा में होता है, राज्य सरकार के कुप्रबन्ध का उल्लेख करना चाहता हूं। अभी तक यह काला ग्रेनाइट बहुत अधिक मात्रा में विदेशों को निर्यात किया जाता था। चार-पांच वर्ष पूर्व राज्य सरकार ने एक विधान बनाया जिसके अन्तर्गत काले-

*तमिल में दिए गए मूल भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रुपांतर

ग्रेनाइट का खनन करने का कार्य सरकारी क्षेत्र को सौंप दिया गया। इस कार्य के लिए राज्य सरकार द्वारा 'तमिल' नाम की एक नयी संस्था स्थापित की गई है ।

राष्ट्रीयकरण के पश्चात गैर सरकारी क्षेत्र के उद्योगपतियों को, जो उस समय इस खनिज का खनन कर रहे थे, करीब 200 उद्योगपतियों ने यह कार्य छोड़ दिया । यदि सरकारी क्षेत्र की इकाई गैर सरकारी क्षेत्र के उद्योगपतियों की भांति प्रभावपूर्ण ढंग से कार्य कर सकती तो श्रमिकों को अपनी नौकरी से हाथ नहीं धोना पड़ता। दुर्भाग्य से, जैसा कि होता है, सरकारी क्षेत्र की सुस्ती और उपेक्षा से 15000 से भी अधिक खान श्रमिकों को आजीविका से हाथ धोना पड़ा। मुझे इन खानों के राष्ट्रीयकरण पर कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि खान श्रमिकों की आजीविका समाप्त नहीं होनी चाहिए। अब एक मूल्यांकन किया जाना चाहिए कि राष्ट्रीरण से पहले वहां कितने श्रमिक काम कर रहे थे, उस समय वार्षिक उत्पादन कितना था, राष्ट्रीकरण से पूर्व निर्यात से कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त होती थी और सरकारी क्षेत्र द्वारा इसको प्रभार लेने से इन खनिजों की वर्तमान स्थिति क्या है? गैर सरकारी लोग 20 वर्ष तक काले-ग्रेनाइट का निर्यात करते रहें । चूंकि यहां विदेशी मुद्रा की आय का प्रश्न है, केन्द्र को इस बात की आढ़ नहीं लेनी चाहिए कि गौण खनिजों को खनन राज्य सरकार का काम है। दूसरे जब केन्द्र सरकार श्रमिकों के कल्याण के लिए विधान बना रही है, तो तमिलनाडु की राज्य सरकार को इन श्रमिकों को बेरोजगार नहीं करना चाहिए। राज्य सरकार ने अब अधिनियम पारित किया है। जिसमें काले ग्रेनाइट पर उपकर में 17 गुना वृद्धि कर दी गई है स्वाभाविक रूप से विदेशों काला-ग्रेनाइट निर्यात करने पर इसका प्रभाव पड़ेगा। खान श्रमिकों को निरन्तर नौकरी से निकाला जाता रहेगा। यदि स्थिति ऐसी ही रही तो तमिलनाडु में हिंसा भड़क उठेगी। राज्य सरकार तथा केन्द्र सरकार को इस स्थिति से बचना चाहिए।

काले-ग्रेनाइट के उत्पादन को जारी रखने के लिए ताकि हम विदेशी मुद्रा अर्जित करते रहें और तमिलनाडु में काले-ग्रेनाइट की खानों के हजारी श्रमिकों का रोजगार बनाए रखने के लिए केन्द्र सरकार को इस खनिज को मुख्य खनिज मानने की घोषणा कर देनी चाहिए और इसका खनन करने की पूरी जिम्मेदारी ले लेनी चाहिए यह आवश्यक है क्योंकि यह खनिज तमिलनाडु में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, और अभी तक देश के हित को देखते हुए इसका पूरी तरह खनन नहीं किया गया है। खननों के भूतपूर्व मालिकों के लाईसेंस उन्हें वापिस दिए जाने चाहिए। उन व्यक्तियों के मामले में जिनकी पट्टे की अवधि समाप्त होने वाली है, उनके पट्टों की अवधि बढ़ा दी जानी जाहिए जिन क्षेत्रों को अभी तक खनन नहीं किया गया है उनमें काले ग्रेनाईट के खनन के लिए और लाइसेंस जारी किए जाने चाहिए। केवल तभी श्रमिकों का रोजगार बना रह सकता है ओर लोगों को रोजगार दिया जा सकता है।

इन शब्दों के साथ मैं इन दोनों विधेयकों का समर्थन करता हूं।

सभापति महोदय : श्री हरिकेश बहादुर, कृपया संक्षेप में बोलिए।

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : हमारी पार्टी में 12 सदस्य हैं और मुझे उसके मुताबिक टाइम मिलना चाहिए। लेकिन मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। मैं सिर्फ पांच मिनट लूंगा।

सभापति महोदय, ये जो दोनों विधेयक हैं ठीक ही हैं। इनका विरोध करने की बात ज्यादा कुछ हैं नहीं। कुछ कमी है जिसकी तरफ मैं सरकार का ध्यान जरूर आकृष्ट करूंगा।

जहां तक खान मजदूरों की स्थिति का सवाल है यह बात तो सही है कि खान मजदूरों को बहुत अधिक परिश्रम करना पड़ता है। मंत्री जी भी इस बात से सहमत हैं। लेकिन जो उनकी आर्थिक स्थिति है वह बहुत अच्छी नहीं है। जहां तक आयरन ओर का सवाल है माननीय वक्ताओं ने इस पर प्रकाश भी डाला कि धीरे धीरे हमारी स्टील इण्डस्ट्री के जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी कीमत बढ़तीजा रही है। हमारा आयरन ओर जो निकाला जाता है वह बहुत ही अच्छे किस्म का है और विदेशों में भेजा जाता है। इन सारी चीजों की कीमत लगातार बढ़ती जाती है। लेकिन इस बढ़ती हुई कीमत का जो सकारात्मक पहलू है वह यह होना चाहिए कि उस का लाभ श्रमिकों को भी मिलना चाहिए। वह नहीं मिल पाता। इसलिए मेरी सबसे पहले तो मांग यह होगी कि चूंकि चीजों की कीमत बढ़ती चली जा रही है इसलिए इन मजदूरों की जो मजदूरी है उसमें भी वृद्धि की जाए।

सुझाव के रूप में दो-तीन बातें और रखना चाहूंगा। इनकी आज जो समस्याएं हैं मुख्य रूप से वह है चिकित्सा कि समस्या, शिक्षा की समस्या, रहने के लिए आवास की समस्या। इन समस्याओं को सुलझाने के लिए सरकार को चाहिए कि कारगर और ठोस कदम उठाए। इसके लिए कुछ अधिक धन इन कार्यों पर खर्च करना पड़ सकता है जिसके लिए सरकार भी जो यह फंड बनाती है या बना रही है, उसका इस्तेमाल करे, साथ ही कुछ अनुदान के रूप में इन कार्यों के लिए सरकार को अलग से भी प्रबन्ध करना चाहिए ताकि बड़े पैमाने पर मकानों का निर्माण हो सके, शिक्षा की सुविधाएं इन मजदूरों को दी जा सकें।

हमारे गोरखपुर में पहले एक लेबर डिपो था। वहां से श्रमिकों की भर्त्ती हुआ करती थी जो कि आयरन और माइन्स में और कोल माइन्स में बिहार में जा कर काम करते थे। उसको सेंट्रल एम्पलायमेंट एक्सचेंज के रूप में बदल दिया गया है। लेकिन उसका काम भी बहुत ढीला ढाला है और ऐसा लगता है कि शायद यह एम्पलायमेंट एक्सचेंज ही बन्द कर दिया जाय। मैं सरकार से मांग करता हूं कि अगर उसे बन्द करने की कोई योजना हो तो उस योजना को अवश्य समाप्त कर दें और उसे चलने दें साथ ही ट्रेनिंग सेन्टर एक वहां पर खोला जाय ताकि मजदूरों को उससे लाभ हो और वेलफेयर फंड है उसका अधिक से अधिक लाभ उनको मिल सके इसकी भी व्यवस्था की जाय। मैं फिर यह कहना चाहूंगा कि श्रमिकों की मजदूरी में कुछ वृद्धि करने की बात सरकार को सोचनी चाहिए क्योंकि आज की बढ़ती हुई महंगाई में अगर इनकी मजदूरी नहीं बढ़ाई जाती तो इनकी आर्थिक समस्याओं का समाधान और निराकरण नहीं हो सकता। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्रम मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) सभापति महोदय, विचाराधीन दोनों विधेयकों का बहुत ही सीमित उद्देश्य है। एक विधेयक के द्वारा हम क्रोम अयस्क पर उपकर लगा

रहे हैं और दूसरे के द्वारा इस प्रकार सृजित निधि से हम क्रोम अयस्क के कामगारों के लिए, जिनकी संख्या देश में 6000 है और जो विभिन्न खानों में काम कर रहे हैं, कल्याणकारी उपाय करने का प्रयास कर रहे हैं।

वादविवाद के दौरान कुछ माननीय सदस्यों ने श्रम मन्त्रालय के अधीन सभी बातों का उल्लेख किया है। मैं इन मुद्दों का उत्तर देने हेतु, अगले वर्ष जब मेरे मंत्रालय पर वादविवाद होगा और ऐसा अवसर आएगा, स्वागत करूंगा अर्थशास्त्र का प्रोफेसर होने का दावा करने वाले, जिससे मैं भी सहमत हूं, माननीय सदस्य ने, जो अब यहां उपस्थित नहीं हैं, सामान्य मजदूरी नीति, गिरते मूल्यों और मन्दी की चर्चा की है इस ओर के मेरे एक मित्र ने सभी खानों का राष्ट्रीयकरण करके निर्यात बन्द करने तथा फैक्ट्रियां यहां लगाने की मांग की है। इस प्रकार विभिन्न प्रकार के मामले और बहुत बहुत बड़े मामले उठाए गए हैं जिनकी कल्पना में इस विधेयक में तो दूर रहा अन्य कई विधेयकों में भी नहीं कर सकता। निस्सन्देह, में कुछ माननीय सदस्यों, विशेषरूप से शास्त्री जी का धन्यवादी हूं। आज के वाद विवाद में उनका शानदार योगदान रहा। वह बिल्कुल विषयानुकूल ही बोले। पहले उन्होंने कहा कि उनका केवल एक संशोधन है। यह हमारे द्वारा लगाए जा रहे उपकर के बारे में था। उन्होंने कहा इसे 3 रुपये से बढ़ा दीजिये परन्तु केवल 6 रुपये ही न रखिए जैसा कि हमने कहा था, इसे 10 रुपये कर दीजिए। एक अन्य संशोधन के द्वारा उन्होंने कल्याणकारी उपायों का सुझाव दिया है।

सम्पूर्ण वादविवाद में माननीय सदस्यों ने सामान्यतः उन कल्याणकारी उपायों का उल्लेख किया जिनका विधेयक में जिक्र किया गया है। अन्य सुझाव विषयानुकूल नहीं थे। मैं उनका उत्तर अगली बार दूंगा।

जैसा कि माननीय सदस्यों ने कहा है, यह सच है कि इन खानों में काम करने वाले मजदूरों को बहुत कठिन काम करना पड़ता है। देश में अन्य अनेक कामों की अपेक्षा यह अधिक कठिन है। इस बात पर हम सब सहमत हैं। अतः इस पर हमें विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है लौह अयस्क तथा मैंगनीज कल्याण निधि अधिनियम के अन्तर्गत पहले से किए गए जिनका हम संशोधन कर रहे हैं और उनमें क्रोम को भी सम्मिलित कर रहे हैं। कल्याणकारी उपायों में विस्तार और वृद्धि करने की आवश्यकता है। परन्तु एक बात स्मरण रखनी होगी—जब हम कल्याणकारी उपाय करते हैं तो वे उपाय उन बड़े उपायों का स्थान नहीं ले सकते जिनका निर्वहन करना राज्य का उत्तरदायित्व है। उदाहरण के लिए, शिक्षा को लीजिए। सामान्य शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा अथवा प्रौढ़ शिक्षा, जैसा कि श्री वर्मा जी ने उल्लेख किया है, इस अधिनियम में निहित कल्याणकारी उपायों का अंग नहीं बन सकती। शिक्षा के क्षेत्र में हम केवल मजदूरों के बच्चों को बजीफा दे रहे हैं। हम उन्हें विद्यालयों में जाने हेतु प्रोत्साहन देने का प्रयास कर रहे हैं अथवा शिक्षा प्राप्त करने में होने वाली आर्थिक कठिनाइयों को यथासंभव दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। वह देश के विभिन्न भागों में जहां खानें हैं, मौजूदा सामान्य शिक्षा का स्थान नहीं ले सकते।

माननीय सदस्यों ने चिकित्सा सुविधाओं के संबंध में कहा है। उन्होंने आवास के बारे में कहा है। मैं उनसे पूर्णतया सहमत हूं। मैं हमेशा सभा के विचारों से सहमत रहा हूं। मैं इस विषय को छुपाने के प्रयास में कुछ नहीं कहना चाहता। मैं स्पष्ट और सीधे शब्दों में कहता हूं कि माननीय अदस्यो से सहमत हूं कि हम जो सुविधाएं दे रहे हैं, वे पर्याप्त नहीं हैं। श्री यादव तथा अन्य सदस्यों ने जैसा कि कहा है नीति निदेशक सिद्धान्तों में हससे उनके शानदार रहन-सहन की अपेक्षा की गई है। यह सच है कि हम अभी उस स्थिति तक नहीं पहुंचे हैं। परन्तु मैं यह अवश्य कहूंगा कि हमने इन वर्षों में उनके कल्याण हेतु जो कुछ किया है उस पर गौर किया जाए और उसकी सराहना की जाए। यदि माननीय सदस्य 'सराहना' शब्द नहीं रखना चाहते तो 'गौर' शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम एक कदम और आगे बढ़कर कहते हैं कि यह पर्याप्त नहीं है। इसमें वृद्धि की जानी चाहिए। इस बारे में मैं सहमत हूं। उदाहराणार्थ 'आवास' को लीजिए। अधिनियम के अन्तर्गत प्रबन्धकों को कुछ सांविधिक उत्तरदायित्व सौंपे गए हैं। यह निधि उसका स्थानापन्न नहीं है। यह निधि प्रबन्धकों के पीने के पानी, चिकित्सा सुविधाओं आदि के सांविधिक उत्तरदायित्वों में सहायता करने के लिए है। आवास हेतु हम आर्थिक सहायता दे रहे हैं। आज वर्तमान परिस्थितियों में यह पर्याप्त नहीं है। इसीलिए श्रमिकों हेतु पर्याप्त और वृहद्ध निर्माण नहीं किया गया है। मुझे जिस क्षण इसका पता लगा मैंने अपने विभाग को इस मामले की जांच करने तथा प्राक्कलन को संशोधित करने के लिए कहा ताकि हम वास्तव में मकानों के निर्माण में कुछ योगदान दे सकें और मालिकों से मकानों का निर्माण करा सकें। मैं यह कहना चाहता हूं कि यह काम बहुत कठिन रहा है। इन तीनों क्षेत्रों में तथा वजीफे हेतु हम काम करेंगे। मेरे विचार में इस समय वजीफा 10 से 15 रुपये है। यह पर्याप्त नहीं है। मुझे इसे बढ़ाना होगा और मैं इसे बढ़ाऊंगा क्योंकि माननीय सदस्यों ने मुझे अपना समर्थन दिया है। हमें इसे करना होगा। सभी क्षेत्रों में हमें किसी स्तर तक पहुंचने का प्रयास करना होगा जो हो सकता है एक आदर्श स्तर न हो। हो सकता है यह स्तर वह न हो जो इस या उस ओट के सदस्य तथा मैं स्वयं चाहता हूं। शास्त्री जी का उपकर में वृद्धि करने का सुझाव उचित है। इस समय हमने तीन रुपये लिए हैं अधिकतम हमने 6 रुपये रखे हैं। सरकार समय-समय पर आवश्यकतानुसार उपकर में वृद्धि करती रही है। उदाहरण के लिए लौह अयस्क में यह 0.25 रुपये थी जोकि हमें बढ़ाकर 0150 रुपये करनी पड़ी। मैंगनीज में हम एक रुपये तक पहुंच गए हैं। हम तीन रुपये रखेंगे। अधिकतम सीमा 6 रुपये है। जब हमें अधिक आवश्यकता होगी तब मैं निश्चय ही सभा में आकर श्री शास्त्री जी, श्री अराकल तथा सभा के दोनों पक्षों से समर्थन देने के लिए कहूंगा। चूंकि हम पहली बार क्रोम से आरंम्भ कर रहे हैं, इसलिए मैं माननीय सदस्यों से समर्थन देने के लिए कहूंगा ताकि हम यहाँ से आरम्भ कर सकें।

जहाँ तक चिकित्सा सुविधाओं का संबंध है, हमारे पास औषधालय हैं, चल औषधालय हैं। माननीया महिला सदस्या तथा सभापति महोदय आपने अपना बहुमूल्य योगदान दिया। हम यह देखेंगे कि इन सभी बातों पर ध्यान दिया जाये। वर्तमान कल्याणकारी उपायों में वृद्धि की जाएगी।

कई माननीय सदस्यों ने श्रमिकों की कमी की बात कही है। कल्याणकारी उपायों में कमी नहीं हुई है और न ही ऐसा हुआ है कि वे बीमारियों के बुरी तरह शिकार हुए हों।

इस औद्योगिक विश्व में, क्योंकि यह श्रम-बाहुल्य है, इसलिए हम उनको बड़े पैमाने पर आधुनिक तकनीकों के प्रयोग की अनुमति नहीं देते हैं। लेकिन कुछ स्थानों पर इन तकनीकों की आवश्यकता होती हैं। कई स्थानों पर हमें आधुनिक प्रौद्योगिकी, उन्नत प्रौद्योगिकी को भी अपनाना पड़ता है। इसलिए इनकी संख्या में कमी आई है।

सभापति महोदय, आपने निधि की प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में कहा है। सभी माननीय सदस्यों ने जिनमें शास्त्री जी, आप भी, वर्मा जी, अराकल जी और अन्य माननीय सदस्य भी शामिल हैं, इस बारे में सुझाव दिए हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण है। इसे ही नहीं, लेकिन अन्य जो भी कार्य हम करते हैं, इन सबके लिए यह कानून सही है। हम सब इसका समर्थन करते हैं। लेकिन मुख्य विषय इसको क्रियान्वित करने का है। इसके लिए हम अपनी प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ कर रहे हैं, इसको इस कल्याण आयुक्तों की संख्या में वृद्धि करके नहीं, बल्कि उनकी कार्य-कुशलता को बढ़ा कर प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। हम यह कोशिश इसलिए कर रहे हैं कि हम उनको अधिकतम संख्या में दे सकें। यह सही है कि श्रमिक दूर-दराज के इलाकों में कार्य करते हैं) कई स्थानों पर इनके लिए आधारभूत ढांचा यानि पहुंचने के लिए सड़कें तक नहीं है। सभी जगह औषधालयों खोलना सम्भव नहीं है। हम यह उनको कुछ ग्रहों में इकट्ठा करके, यह सुविधाएं उपलब्ध कराने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ माननीय सदस्यों ने अस्पतालों में टी. बी. और चैस्ट के इलाज के लिए अलग बिस्तरों की व्यवस्था की मांग की है। हम उनको 3000 से अधिक रुपये दे रहे हैं। खाने के खर्च के लिए 50 रु० दे रहे हैं। मैं नहीं समझता कि यह पर्याप्त राशि है। हम शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास और मनोरंजन के लिए दी जाने वाली राशि को पुनः निर्धारित कर रहे हैं। प्रो० अजित कुमार मेहता नहीं बोले। उन्होंने अपना संशोधन भी पेश किया। लेकिन मैंने इसे नोट कर लिया है। उन्होंने कहा है कि लोगों को नियोजकों के प्रति सावधान रहना चाहिए। प्रबन्धकों को कोटा नहीं मिलता और इसलिए वे अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाते हैं। हम इस पर ध्यान देंगे। अधिनियम के अन्तर्गत उन पर सांविधिक जिम्मेदारी है। इस अंश को हम नहीं बदल रहे। हम उनको यह आजादी नहीं दे सकते। लेकिन कल्याण निधि अधिनियम के अन्तर्गत हमें स्वास्थ्य, आवास आदि के लिए अंशदान देना होगा। उसी हालत में हम सहायक हो सकते हैं, अन्यथा नहीं।

मैं समझता हूं कि माननीय सदस्यों के उपकर, विभिन्न मदों के अन्तर्गत कल्याण उपायों, और उनकी व्यवस्था आदि के सभी पक्षों का मैंने उत्तर दे दिया है। इन सभी पक्षों के उत्तर में जैसा कि मैंने कहा है कि जैसे-जैसे मांग आयेगी, इस उपकर को समय-समय पर बढ़ा दिया जायेगा और इस कल्याण निधि को अलग अलग मदों पर खर्च किया जायेगा। जैसा कि मैंने कहा वर्तमान में यह पर्याप्त नहीं हैं और हम इस स्तर को संशोधित करने की कोशिश कर रहे हैं।

आखिर में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है प्रशासनिक व्यवस्था का । हम इन विधेयकों को इस प्रकार से क्रियान्वित करेंगे कि प्रशासनिक अधिकारियों की संख्या न बढ़ानी पड़े, बल्कि उनसे अधिक कुशल कार्य लिया जा सके ।

मैंने पहले ही माननीय विद्वान सदस्य, जो कि अभी-अभी आये हैं और अर्थशास्त्र के प्रोफेसर हैं के प्रश्नों का उत्तर दे दिया है । मैं इन्हें पहले से ही जानता ।

सभापति महोदय : निधि में कुल कितनी राशि जमा है ?

श्री भागवत झा आजाद : जहां तक कुल जमा राशि का सवाल है । 1978-79 में कुल आय 94.54 लाख रु० हुई, जबकि हमने 135.41 लाख रु० खर्च किये और हमारे पास 294 लाख रु० बकाया रहे । इसी तरह 1981-82 में आय 185.56 लाख रु० की और खर्चा 104.08 लाख रु० का हुआ । इस समय हमारे पास 235.11 लाख रु० बकाया हैं । अगर हम खर्च के आकड़ों को देखें तो पायेंगे कि ये पिछले वर्ष की तुलना में कम हैं । जैसा कि मैंने पहले कहा है इसका कारण आवास सुविधाएं आदि प्रदान न करना है । हम इसको फिर से चालू करने की कोशिश करेंगे ।

मैं अपने माननीय सदस्य जो कि अर्थशास्त्र के प्रोफेसर हैं के लिए केवल एक बात कहना चाहता हूं । मैं भी अर्थशास्त्र का छात्र रहा हूं । उन्होंने काफी बातें कहीं और उनका समर्थन भी किया । ठीक है । लेकिन उन्होने सरकार पर बड़ा तीखा प्रहार किया है कि सरकार की नीति मजदूर-विरोधी है । अगर वह मुझे आंकड़े दिखाना चाहते हैं, तो मैं भी अन्दाजे से आंकड़ों के आधार पर कह सकता हूं कि मजदूरों को यह कम करके बताये गये हैं । पिछले वर्ष औद्योगिक उत्पादन में 10 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि उनकी पार्टी के शासन में यह (—) 1.4 प्रतिशत थी ।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी (बम्बई उत्तर पूर्व) : लोकदल की सरकार के समय ।

श्री भागवत झा आजाद : ठीक हैं, लोकदल के शासन के समय ही सही । उदाहरण के तौर पर, खाद्यान्नों के उत्पादन को ही लें । कई एक सदस्यों ने असंगठित मजदूरों की बात कही है । मैंने इसका उत्तर नहीं दिया है । इससे उनका मतलब देश में काफी संख्या में कृषि में लगे मजदूरों से हैं । वहां हमारा उत्पादन 130 मिलियन टन हुआ है । हमने इस्पात में 19 प्रतिशत, उर्वरकों में 62 प्रतिशत, खनिज तेलों में 52 प्रतिशत और ऊर्जा में 13 प्रतिशत की वृद्धि हासिल की है । ये सारी सफलतायें सरकार की मजदूर विरोधी नीति से प्राप्त नहीं की जा सकती थी । ये सारी सफलतायें, सरकार की श्रमिकों के हितों की नीति, उनको समर्थन देने की नीति और मजदूरों को समर्थन और तसल्ली देने की नीति के कारण ही प्राप्त हुई हैं ।

ये सारे आंकड़े इस बात का सबूत है कि माननीय सदस्य द्वारा लगाया गया आरोप तथ्यों पर आधारित नहीं है और बिल्कुल बेबुनियाद है । असल में यह सरकार श्रमिकों के लिए है,

श्रमिकों को ही है, क्योंकि हम हर समय उन्हीं के हितों के बारे में सोचते रहते हैं। दूसरी ओर माननीय सदस्य से आशा की जाती है कि बजाय अपने राजनैतिक मजदूर संघ को सहायता देने के, उन्हें मजदूर संघ को मजदूरों की भलाई के मंच के रूप में प्रयोग करना चाहिए। इस कार्य में हम भी उनके भागीदार होंगे, जिससे कि मजदूरों का कल्याण हो, देश का कल्याण हो।

इन शब्दों के साथ मैं उन सभी माननीय सदस्यों का आभारी हूं, जिन्होंने इन दो विधेयकों का समर्थन किया है।

सभापति महोदय : अब प्रश्न यह है :

"कि लौह अयस्क खान तथा मैंगनीज अयस्क खान कल्याण उपकर अधिनियम, 1976 का संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकार हुआ

सभापति महोदय : सदन अब विधेयक पर खण्डवार विचार आरम्भ करेगा।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 से 11 विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 2 से 11 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खण्ड, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

श्री भागवत झा आजाद : श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक पारित किया जाये।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि लौह अयस्क खान और मैंगनीज अयस्क खान श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1976 का संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : अब, सदन विधेयक पर खण्डवार विचार आरम्भ करेगा।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 से 5 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 2 से 5 विधेयक में जोड़ दिए गये।

सभापति महोदय : प्रो० अजित कुमार मेहता।

प्रो० अजित कुमार महता (समस्तीपुर) : श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं।

पृष्ठ 3 —

पंक्ति 12 के पश्चात निम्नलिखित

अन्तःस्थापित किया जाये —

(ङ) अन्त में निम्नलिखित उपधारा अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात :—

"(2) यह निधि खर्च की ऐसी मदों पर, जो नियोजक के कल्याण-दायित्वों के अन्तर्गत आती हैं, खर्च नहीं की जाएगी।"

सभापति महोदय : प्रो० अजित कुमार मेहता द्वारा पेश किया गया संशोधन अब सदन के सातने विचाराधीन है।

प्रो० अजीत कुमार मेहता : सभापति महोदय, मुझे प्रसन्नता है कि मन्त्री महोदय ने पहले ही मेरे संशोधन पर ध्यान दे दिया है फिर भी मुझे एक आशंका है कि इस फण्ड को कहीं व्यवस्था पर ही अधिक खर्च न कर दिया जाए। इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। जो पदाधिकारी व्यवस्था करते हैं, वे ज्यादा ध्यान अपने ऊपर ही रखते हैं।

दूसरी बात यह है कि जब आप इस बात को मानते हैं कि इस फण्ड को ऐसे खर्च नहीं होने दिया जाएगा जिसमें एंप्लॉयेज को दोहरा लाभ हो जाए तो फिर इसका प्रावधान बिल में ही क्यों नहीं कर देते हैं जिससे शक की गुंजाइश ही न रहे। यही मेरा आग्रह है।

श्री भागवत झा आजाद : इसका मैंने आम बहस में उत्तर दे दिया था। हम इसकी सावधानी रखेंगे। नियोजकों की भी सर्वाधिक जिम्मेदारी है। वे अलग हैं। इसमें हम उनको कोई अंशदान नहीं दे रहे है। जहां हमें सहायता देनी होती है वहां हम उनको उपबंध दे रहे हैं। सिर्फ यही प्रावधान है। दूसरा भाग, जिसका माननीय सदस्य ने जिक्र किया है हम उस पर कुछ नहीं कर रहे।

सभापति महोदय : क्या आप अपना संशोधन वापिस लेना चाहते हैं?

प्रो० अजित कुमार मेहता : जी हां, क्योंकि मन्त्री महोदय ने आश्वासन दे दिया है।

सभापति महोदय : क्या सभा प्रो० अजित कुमार मेहता द्वारा रखे गये संशोधन को वापिस लेने की अनुमति देती है?

कई माननीय सदस्य : हां

संशोधन सभा की अनुमति से वापिस लिया गया

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 6 के विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खण्ड 6 विधेयक में जोड़ दिया गया खण्ड 7 से 12 तक विधेयक में जोड़ दिये गये । खण्ड 1 अधिनियमन् सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये

श्री भागवत झा आजाद : महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं :

'कि विधेयक पारित किया जाये'

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

सार्वजनिक वक्फ (परिसीमा का विस्तारण (दिल्ली संशोधन) विधेयक

विधि न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ए० ए० रहीम) : सभापति महोदय, देश के विभाजन के तुरन्त बाद वक्फ की सम्पत्ति पर भारी मात्रा में अनाधिकृत रूप से अधिकार कर लिया गया था । यदि ये सम्पत्तियाँ 12 वर्ष से अधिक वर्षों तक प्रतिपक्षी के अधिकार में रही हों तो इनके वास्तविक मालिकों के नाम को मिटने से बचाना कठिन होता है । इस बात को ध्यान में रखते हुए परिसीमा का 15 अगस्त 1982 तक विस्तारण करने के लिए सार्वजनिक वक्फ (परिसीमा का विस्तारण) अधिनियम 1959 अधिनियमित किया गया था । इस तारीख से तात्पर्य था किसी अचल सम्पत्ति की वसूली के लिए जो वक्फ की सम्पत्ति का एक अंग थी, जहाँ पर इस पर कब्जा 15 अगस्त 1947 के बाद तथा 7 मई 1954 से किसी समय छिन गया हो वह तारीख जिससे किसी सम्पत्ति को निष्क्रान्त सम्पत्ति घोषित करने की शक्ति समाप्त हो गयी थी मुकदमों की परिसीमा की अवधि इस प्रकार से राज्य वक्फ बोर्डों को वक्फ की सम्पत्तियों की वसूली के लिए मुकदमें करने के लिए आवश्यक शक्तियाँ दी गयीं ।

बहुत से राज्यों में वक्फ की सम्पत्तियों के सर्वेक्षण का कार्य अभी जारी था तथा सरकार द्वारा परिसीमा की अवधि का दो बार विस्तारण किया गया, एक बार 1967 में तथा पुनः

1669 में, तथा तिथि 13-12-1970 तक बढ़ा दी गयी। इसलिए परिस्थितियों के आधार पर वक्फ बोर्डों को सार्वजनिक वक्फ) परिसीमा का विस्तारण) अधिनियम 1959, मेंस्थानीय संशोधन कराने के लिए अपनी राज्य सरकारों से निवेदन करने की सलाह दी गई।

जहाँ तक संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली का सम्बन्ध है एक बार 1974 में परिसीमा का विस्तारण 31-12-75 किया गया था तथा पुनः 1978 में 31-12-1980 तक।

क्योंकि दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में वक्फ का सर्वेकार्य अभी भी जारी है और दिल्ली वक्फ बोर्ड़ बहुत से मामलों में कानूनी कार्यवाही आरम्भ करने की स्थिति में नहीं हैं, इसलिए दिल्ली वक्फ बोर्ड़ ने दिल्ली प्रशासन से इस परिसीमा अवधि को पुनः 31-12-85 तक बढ़ाने के लिए निवेदन किया। ऐसे विस्तारण, आन्ध्र प्रदेश, विहार, कर्नाटक पंजाब तथा तमिलनाडु में पहले ही किये जा चुके हैं। हरियाणा, केरल, मध्यप्रदेश तथा उड़ीसा में भी यह अवधि बढ़ायी जा रही है।

दिल्ली वक्फ बोर्ड़ की वास्तविक कठिनाई को ध्यान में रखते हुए, परिसीमा की अवधि के विस्तारण के लिए विधेयक लाना आवश्यक हो गया है।

अब मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक पर सभा द्वारा विचार किया जाये मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि दिल्ली संघ राज्यक्षेत्र में यथाप्रवृत सार्वजनिक वक्फ (परिसीमा का विस्तारण) अधिनियम 1959, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाये।

सभापति महोदय : प्रस्ताव यह है :

"कि दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में प्रथावृतान्त सार्वजनिक वक्फ (परिसीमा का विस्तारण) अधिनियम 1959 राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाये।"

सभापति महोदय :श्री अब्दुल समद बोलेगे।

उपाध्यक्ष महोदय पीढ़ासीन हुए

श्री अब्दुल समद : (वैल्लौट) : मैं सार्वजनिक वक्फ (परिसीमा का विस्तारण) (दिल्ली संशोधन) विधेयक 1982 का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

विभिन्न वक्फों की करोड़ो रुपये की सम्पत्तियाँ कुछ स्वर्थी पार्टियों द्वारा हड़प ली गयी है और देश में इस प्रकार का दुर्विनियोग लगभग रोजाना हो रहा है। यह न केवल देश के कानून के विरुद्ध वल्कि भगवान के विरुद्ध भी जघन्य अपराध है।

वक्फों का निर्माण धार्मिक प्रवृत्ति के लोगों द्वारा विशेष धार्मिक कार्यों के लिए किया जाता है। परन्तु अधिकांश मामलों में इन पवित्र न्यायों का कुप्रबन्ध किया जाता है तथा इनसे प्राप्त आप का दुरुपयोग किया जाता है।

यदि इन सम्पत्तियों का प्रबन्ध उचित रूप से किया जाये और इनसे प्राप्त आय का उपयोग मूल वक्फों की इच्छानुसार किया जाये तो अल्प संख्यक मुस्लिम समुदाय की अधिकांश समस्यायें हल हो सकती हैं।

सार्वजनिक वक्फ अधिनियम 1959 के अधिनियमन् के बाद भी करोड़ों रुपये की वक्फ की सम्पत्तियों इस अधिनियम की सीमाओं से बाहर है, और केवल मद्रास महानगर में ही नहीं बल्कि पूरे देश में ऐसा है, इसलिए मैं इस विधेयक को पूरा समर्थन देता हूं।

परन्तु केवल विधेयक को पारित कर देने से वक्फ की सम्पतियों को उक्त कानून के अन्दर लाने की समस्या हल नहीं हो जायेगी। बोर्ड के सदस्यों तथा अधिकारियों द्वारा ठोस प्रयास किये जाने चाहिए। इस अधिनियम के कार्यान्वयन तथा हड़प की गयी सम्पतियों को इस अधिनियम के क्षेत्र में लाने के महत्व का व्यापक प्रचार किया जाना चाहिए। मैं यह भी सुझाव दूंगा कि उन व्यक्तियों को जो इस बारे में सूचना दें कि वक्फ की सम्पतियां अवैध कब्जे में है और ऐसी सम्पतियां वास्तव में किन लोगों के अधिकार में हैं, नकद इनाम देने जैसे प्रोत्साहनों की घोषणा की जाये।

बहुत से राज्यों में वहां की सरकारें ही वास्तविक अपराधी है। करोड़ों रुपये की कीमत की वक्फ की सम्पत्तियां व जमीन जिसका बहुत ऊंचा मूल्य मिल सकता था, कुछ सरकारों द्व रा सिनेमा घरों व शराब की दुकानें खोलने तथा कुछ प्रभावशाली पार्टियों को आवास निर्माण के लिए दे दी गयी हैं जो कि मूल वाक्फियों की इच्छा के विपरित हैं तथा ऐसा इस प्रकार से निकाले हुए वक्फों को पर्याप्त प्रतिपूर्ति दिये बिना किया गया है।

क्योंकि वक्फ मुख्य रूप से धार्मिक-और धमर्थ कार्यों के लिए बनाये जाते हैं, इसलिए सरकार को यह ध्यान रखना चाहिए कि पवित्र न्यासों से सम्बन्धित सम्पत्तियां किसी धर्म विरोध तथा समाज विरोध गतिविधियां चलाने के लिए न दी जाये। वक्फ की जमीनों पर से सभी सिनेमाघर तथा शराब की दुकानें हटा दी जानी चाहिए। वक्फ सम्पत्तियों को उपरोक्त कार्यों के लिए पट्टे या किराये पर न देने के लिए मुथावालिस की विशिष्ट अनुदेश दिये जाने चाहिए।

महोदय बहुत से राज्यों में वक्फ बोर्ड अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप नहीं बनाये गये। यह बात विशेष रूप से मेरे राज्य तमिलनाडु में हुई है। तमिलनाडु के 7000 से अधिक वक्फ ऐसे व्यक्ति के हाथों में सौंप दिये गये हैं जो मुस्लिम समुदाय की सुस्थापित परम्पराओं की बिल्कुल परवाह नहीं करता और जिसके वास्तविक रूप में मुसलमान होने या न होने के बारे में भी बहुत सी धार्मिक गोष्ठियों में विस्तृत रूप से चर्चा की जाती है। ए० डी० एम० के० सरकार ने उसे वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में मुस्लिम समुदाय पर थोप दिया है। ऐसा प्रतीत होता है कि उसने कोई भी भलाई न करने तथा सभी सम्मानित मुथावालिसों व जमायतों से बदला लेने की कसम खायी हो। इस अध्यक्ष के विरुद्ध एक अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था और ग्यारह सदस्यों में से 9 ने इस प्रस्ताव के पक्ष में मत दिया था। इस संकल्प को कार्यान्वित करने के बजाय ए० डी० एम० के० सरकार ने, जो कि मुस्लिम आकांक्षाओं व भावनाओं के पूर्णतया विरुद्ध है, बोर्ड

को भंग कर दिया और उस बदनाम व्यक्ति से कहा कि वह अपनी हां में हाँ मिलाने वाले लोगों का बोर्ड बनाये इस बोर्ड के बनाये जाने के बाद राज्य भर में काफी असुन्तष्टि फैल गयी और बोर्ड का कोई भी कार्य प्रक्रिया के निर्धारित नियमों के अनुसार नहीं किया जा रहा है इसलिए इस अवसर पर मैं भारत सरकार से वर्तमान अध्यक्ष के नेतृत्व के अन्तर्गत तमिलनाडु वक्फ बोर्ड के कार्य-कलापों की जांच कराने के लिए एक जांच आयोग की नियुक्ति करने की माँग करता हूं। यदि ऐसे आयोग की स्थापना हो जाये तो एक हजार से अधिक व्यक्ति अपने एफिडेविट देने के लिए तैयार हो ।

महोदय किसी भी राज्य के वक्फ बोर्ड में किसी व्यक्ति के ऐसे गलत कारनामों को रोकने के लिए मैं सरकार से शीघ्र ही एक व्यापक वक्फ संशोधन अधिनियम सभा में लाने का निवेदन करता हूं। तत्कालीन विधि मन्त्री श्री शिव शंकर द्वारा कुछ शुरू बात की गयी थी तथा यह आश्वासन भी दिया गया था कि ऐसा विधेयक इसी सत्र में पुरःस्थापित किया जायेगा। परन्तु अभी तक ऐसा विधेयक प्रस्तुत न करने के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। मैं माननीय मंत्री से कम से कम अगले सत्र में ऐसा विधेयक प्रस्तुत करने के लिए निवेदन करता हूं।

इन शब्दों के साथ में विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री समीनुद्दीन (गोड्डा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस वक्फ बिल की पुरजोर ताईद करता हूं। साथ ही साथ इजहारे ख्याल के तौर पर चन्द बातें पेश कर देना जरूरी समझता हूं । सुन्नी वक्फ की दो किस्में हैं, वक्फ दो तरह के होते हैं। एक वक्फ आम और दूसरा वक्फ अलल औलाद। वक्फ आम वह है जो मजहबी कामों के लिये और इक्तसादी कामों के लिये उसी फिरके के लिये होना चाहिये जिस फिरके का वह वक्फ है। वक्फ अलल औलाद वह है अगर किसी का बाप अपनी औलाद के लिये वक्फ करदे तो वह औलाद उसकी पैदावार को आमदनी खा सकती है मगर बेच नहीं सकता। वक्फ जायदाद का फरोख्त करना नाजायज है। मुझे इस बात का अफसोस है कि दिल्ली शहर में 1200 केसेज ऐसे हैं और ये केसेज कब हुए ? 1947 के बाद, जब पाकिस्तान और हिन्दुस्तान का बंटवारा हुआ तो 1200 वक्फ जायदादों में गड़बड़ी पैदा हुई, और उस गड़बड़ी को पैदा करने के लिए वहां की सरकार की भी शिकायत है। मौलाना हीबे जुलरहमान साहब ने 1947 के बाद मस्जिदों और कब्रस्तानों को वापस लेने के लिए दौड़-धूप की। इसमें कुछ थोड़ी सी कामयाबी हुई। जब वक्फ बोर्ड 1962 में कायम हुआ, तो उसने वक्फ जायदादों को लौटने के लिए मुकदमे किए। अब तक 1200 केसिज में से सिर्फ 70 केसिज का निबटारा हो सका है और बाकी केसिज का निवटारा नहीं हो सकता है। यह ज्यों का त्यों पड़ा हुआ है ।

इसी तरह के कई लोग व्यतिगत तरीके से बोगस मुतवल्ली हो गए हैं, और होटल खुल गए हैं मकानात का तफरीहगाह बना दिया गया हैं । अगर किसी व्यक्ति ने इस किस्म का गरूबन कब्जा कर लिया है, तो वह व्यक्तिगत हैसियत है, लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि दिल्ली में मालवीय नगर के कब्रिस्तान पर डी० डी० ए० ने कब्जा कर लिया है। इसी तरह से निजामुद्दीन डी० डी० ए० ने पुल बनाने के सिलसिले में सड़क के लिए कब्रिस्तान को दखल

कर लिया है। पूर्वी मार्ग, वसंत विहार सैल नं० 260 में कब्रिस्तान को डी० डी० ए० ने पार्क बना दिया है। जब हुकूमत के अधिकारी वक्फ की जायदाद पर कब्जा करते हों, उनकी इज्जत न करते हों, तो व्यक्तिगत लोगों को क्या वहां जा सकता है ?

इस सिलसिले में मैं सब से बड़ी बात यह कहना चाहता हूं कि दिल्ली एक ऐसा शहर है, जहां हजारों बरसों से हुकूमतें बनती रही हैं और टूटती रही है। यहां पर कभी राजपूतों की हुकूमत थी; फिर अंग्रेजी की हुकूमत हुई और आज जो भी हुकूमत है। मगर दिल्ली में मजहबी मुदारे या इबादतगाहें बनी हुई हैं, चाहे वे किसी मजहब की हों, बुद्धिस्ट, हिन्दू, सिख या ईसाई मजहब की हों, उन्हें मानने वालों को यह हक है कि वे उनकी मरम्मत कर सकें उनमें इबादत कर सकें और उनको तरक्की दे सकें। मगर दिल्ली में अंग्रेजी दौर से यह कानून है कि जो मस्जिदें मुगल दौर में बनी हैं, उन्हें आसारे-कदीमा के तौर पर रखा गया है, उन्हें मारने वाले लोगों के हवाले नहीं किया जाता है और न उनकी मरम्मत होती है। नतीजा यह होगा कि ऐसी मस्जिदें गिर जायेंगी, ढह जाएंगी। गुरुदारे, गिरजा और मन्दिर को मानने वालों को हक है कि वे उनमें इबादत कर सकते हैं उनकी मरम्मत कर सकते हैं और उन्हें बढ़ा सकते हैं। फिर वही हक मस्जिद वालों को भी मिलना चाहिए, लेकिन दिल्ली में उन्हें यह हक नहीं है। दिल्ली में मुगल दौर की बहुत सी मसजिद, दरगाहें और मुजारात ऐसे हैं, जिन्हें आसारे-कदीमा करार दिया गया है, हालांकि वक्फ के गजेट में दर्ज है कि वे वक्फ जायदादें हैं जो सरासर प्रजातन्त्र के खिलाफ है। ऐसा हक सभी मजहब वालों को होना चाहिए। जहां-जहां कोशिशें की गई हैं बहुत मुश्किलों के बाद उसको निजात मिली है। तुगलक की मस्जिद वसंत विहार में है, उसको डी० डी० ए० में० तफरीहगाहे बना लिया था। बहुत कोशिश करने के बाद अब उसको वापस कर दिया गया है। शेरशाह की बहुत बड़ी मस्जिद है, वीरान पड़ी हुई है, चारों तरफ से टूट रही है। जनपथ की मस्जिद है और पहाड़गंज की मस्जिद में होटल खोला हुआ है। अफसोस इस बात का है कि राजधानी में अगर इस किस्म की बातें होती हैं तो पूरे हिन्दुस्तान में क्या होता होगा ?

मैं एक चीज बतला देना चाहता हूं जब कि मैंने 1950-51 का दौरा किया तो एक अरबी ने कहकहा लगाते हुए मुझसे यह पूछा कि तुम कहा से आए हो ? मैंने कहा कि हिन्द से आया हूं। तो उसने कहा जहां मुसलमानों को दिन रात काटा जाता है और उनकी मस्जिदों और कब्रिस्तानों को दखल किया जाता है ? मैंने कहा यह सब झूठ है, यह पाकिस्तानियों का प्रोपेगैंडा है। हम लोग मुतमईन हैं। मैंने कहा कि जिस दिन हिन्दुस्तान के बारे में आप ऐसा कह रहे हैं वहां एक मुसलमान मौलाना अबुल कलाम आजाद वजीरे तालीम हैं।

लेकिन जब मैं हिन्दुस्तान आया और दिल्ली में देखा तो मालूम हुआ कि बहुत सी मस्जिदें हमारे कब्जे में नहीं हैं। जनपथ की मस्जिद, पहाड़गंज की मस्जिद, जैबुन निशा वाली मस्जिद इत्यादि हमारे कब्जे में नहीं हैं। इन सारी की सारी मस्जिदों में या तो घोड़े बाधे जाते हैं, होटल खोले हुए हैं या डी० डी० ए० ने उन पर कब्जा कर रखा है। राजधानी के अन्दर यह चीज जो मुस्लिम फिरके के साथ की जा रही है पूरी दुनिया में इस की शोहरत फैलती है और हमारी हुकूमत की बदनामी होती है।

साथ ही साथ मैं यह कह देना चाहता हूं कि जो आज वक्फ बोर्ड है वक्फ बोर्ड के जरिए भी बहुत कुछ गदरवूत हुआ है। बहुत जायदाद बेची गई है और उन जायदादों से जो आमदनी होती रही है उन पैसों का गबन किया गया है। जरूरत इस बात की है कि कम से कम दिल्ली वक्फ बोर्ड को बदला जाय और ऐसे लोगों को दिल्ली वक्फ बोर्ड में लिया जाये जिनको खूदा का डर हो और वक्फ की जायदाद की आमदनी को सार्वजनिक मुस्लिम कामों में लगाए, जैसे मुसलिम प्रसनला बोर्ड जो जमीनुल उल्मा इवादत गाहों को इबादतगाह समझ कर उसकी मरम्मत भी करें और उससे जो आमदनी हो उसे वह मस्जिदों में लगाएं। यह मेरी तजवीज है और इस तजवीज के तहत हुकूमत को चाहिए कि इस सिलसिले में वह सख्त कदम उठाए। यह मकूला है कि ऐसी बात न कहा करो जो खूद न करो। इसी तरह हुकूमत को यह लाजिम है, उसकी कार्य वाहियां बन्द करे। आप किसको कहिएगा, किसको नसीहत कीजिएगा जब खूद ही आप ऐसा करते रहिएगा? मस्जिदों पर कब्जा, दरगाहों और मजारों पर कब्जा, उनको तफरीहगाह बनाना और कब्रिस्तानों पर सड़क बनाना, ये काम तो हुकूमत खुद कर रही है तो वह कहेगी किसको? इसलिए सबसे पहले जरूरत इस बात की है कि हुकूमत इन बातों से बाज आए तभी इसका असर अवाम पर होगा और अवाम जो इस पर गस्वन काबिज है वह उससे बाज आएगा।

श्री सैयद मसदुल हुसैन (मुर्शिदाबाद) : मैं इस बिल का समर्थन करता हूं लेकिन समर्थन करते हुए भी मैं यह बताऊंगा कि यह सरकार जो इस बिल को सदन में पेश किए हुए हैं यह बिलकुल बेकार है। बेकार इसलिए कि जो ओरिजिनल एक्ट, 1959 इस सदन में पास हुआ था, उसमें कई बार अमेंडमेंट किए गए हैं। 1967,1969, 1972, 1974, 1978- इस प्रकार पांच मर्तबा इस बिल में अमेंडमेंट हो चुका है, लेकिन जायदाद जहां थी, वहीं है और वहां से वापिस नहीं आयी है। जिसके कब्जे में वह जायदाद है, वह उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। सरकार की भी नीयत नहीं है, उसको वापिस लाने की।

श्री जी० एम बनातवाला (पोन्नानी) : जायदाद की बात अलग है, सर्वे नहीं हो रहा है।

श्री सैयद मसदुल हुसैन : सरकार की नीयत नहीं है। राज्य सभा में इस बारे में मन्त्री महोदय द्वारा जबाव दिया गया था। 22-23 साल बीत चुके हैं, लेकिन इस बिल के पास होने के बाद भी इसमें सर्वे कम्पिलिट नहीं हुआ है। उसकी जिम्मेदारी किस पर है? सरकार की नीयत नही है सर्वे कम्पलिट कराने की। जो इल्लिगली वक्फ प्रापर्टी को कब्जा किए हुए बैठे हुए हैं। जिसको प्रापर्टी मिली हुई है, वह सोचता है कि अगर इसके लिए दो-चार हजार जाता है, तो वह परवाह नहीं करता है। एडमिनिस्ट्रेशन जिसकी यह जिम्मेदारी है वह भी उसको वापिस लेना नहीं चाहता है क्योंकि वह भी देखता है कि उसको दो चार हजार मिल रहा है। वक्फ प्रापर्टी अगर वापिस आ जाएगी तो मेरा घाटा हो जाएगा। वह यह सोचता है कि जब तक इल्लिगली दखली प्रोपर्टी दूसरे के हाथ में रहेगा, तब तक मेरा फायदा है। इस सम्बन्ध में आपको कुछ सुझाव देना चाहता हूं। जैसा कि इसमें लिखा हुआ है कि 1985 तक इसमें लिमिटेशन पीरियड एक्सटेंड होने वाला है। 1985 में आप इस सदन में एक और बिल लायेंगे कि इसको 1990 तक एक्स

टेंड कर दिया जाएं। इस प्रकार एक्सटेंड होता रहेगा, लेकिन कुछ काम नहीं होगा। यदि आप कुछ काम करना चाहते हैं, तो मैं आपको सुझाव देना चाहता हूं।

वैस्ट बंगाल में इसे सम्बन्ध में बंगला वक्फ एक्ट 1934 है मुताबिक कमीशनर आफ वक्फ होते हैं। वे ही सब वक्फ प्रापर्टी के ओवर-हाल सुपरवीजन मैन्टीनेन्स और एडमिनिस्ट्रेशन के मालिक होते हैं। इस सम्बन्ध में कमीशनर आफ वक्फ को पावर दी गई है या दूसरे ने जबरदस्ती कब्जा कर लिया है इस हालत में अगर प्रापर्टी की कोई मुतवल्ली न हो, या तो मुतबल्ली है, लेकिन वो ट्रंसफर हुई प्रापर्टी को वापिस लेने को तैयार नहीं है, ऐसी हालत में वक्फ का आयुक्त अजनवी क्रेता अथवा अवैध दखलाकर के विरुद्ध एकवादी के रूप में मुकदमा दायर करने के लिए एक सक्षम व्यक्ति है इस प्रकार की बात उसमें लिखी हुई है। उस एक्ट में इतना तक कहा गया है कि कोई भी प्रोपर्टी वक्फ बोर्ड में इन्रोल नहीं है और कमीशनर को यह कानून हो गया है कि वह प्रापर्टी कभी भी वक्फ प्रापर्टी के हिसाब से ट्रीट होता था और मुतबल्ली ने इसको बेच दिया है या परसनल प्रापर्टी के हिसाब से ट्रीट कर रहे हैं इस प्रकार की खबर यदि उसको किसी की तरह से मिल चुकी है या परसनल कौरेसपोडैन्स से मिलती है, तो उसको वह पावर है। कि वह प्रापर्टी को इन्रोल कर सकता है। उनकी इस बारे में जो फाइंडिंग होगी, वह बंगाल वक्फ एक्ट, 1934 के मुताबिक जूडीशियल के फाइंडिंग के बराबर है। इस पर आप ध्यान दीजिए।

कोर्ट फीस के बारे में मुझे यह कहना है कि अगर लाखों रुपये की जायदाद भी होती है और प्रोपर्टी की रिकवरी का अगर मामला हो, तो एड वलोरम कोर्ट फी की जरूरत होगी। इसके बारे में कलकत्ता हाई कोर्ट की डिवीजन बैंच का 1954 का एक डिसीजन है, रिपोर्टेड इन 1954, कलकत्ता पेज 101। इसमें साफ बताया गया है कि वक्फ प्रोपर्टी का हकीकत में जो मालिक होता है वह अल्ला होता है और अल्ला तो मामला करने के लिए आता नहीं और मामला करने के लिए कमिश्नर साहब जाते हैं जिनका इस वक्फ प्रोपर्टी में जो इन्ट्रेस्ट होता है, वह बहुत लिमिटेड होता है और वे सिर्फ सुपरवीजन, एडमिनिस्ट्रेशन और मेन्टीनेन्स पर ही ध्यान देते हैं और उनके पर्सनल गेन का कोई सवाल नहीं होता, इसलिए इस पर एड वलोरम फीस नहीं लगेगी और इनके लिए तो जो नामीनल फीस जो डेकलेरेशन आफ टाइटिल और प्रमानेन्ट इंजेक्शन के लिए है, उतनी ही कोर्ट फ़ीस से काम चल जायगा। तो इस पर आप ध्यान दें। आप कह रहे हैं कि जो जायदाद है, पैसे की वजह से और साधन की वजह से उसके लिए कुछ करने के बारे में अमल नहीं हो रहा है। यह जो आप कह रहे हैं यह कुछ लोगों को गार्ड करने के लिए कह रहे हैं और आप पब्लिक को गुमराह करने के लिए ऐसा कर रहे हैं।

मैं यह भी बताना चाहता हूं कि बर्नी कमेटी की रिपोर्ट है दिल्ली की वक्फ प्रोपर्टी के बारे में। 1974 में 23 मई को उसकी मीटिंग हुई थी और उसकी जो फाइंडिंग्स हैं, वे आपके खिलाफ हैं और उस मीटिंग में दि देन एग्रीकल्चर मिनिस्टर, मिनिस्टर आफ वक्फ मरहूम फखरूद्दीन अली अहमद साहब थे। अब आप उस पर भी गोर नहीं कर रहे हैं।

श्री नारायण चौबे (मिदनापुर) : उसकी क्या फाइंडिंग्स हैं, वे पढ़ दीजिए।

श्री सैयद मसुदल हुसैन : मैं उसको पढ़ देता हूं।

"अन्त में समिति ने सिफारिश की कि वे वक्फ संपत्तियों जो जीर्ण शीर्ण स्थिति में थी और उपयोग करने योग्य नहीं थी, और वे वक्फ जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं था और जहां सरकार पहले ही अपनी बिल्डिंग आदि बसा चुकी थी, वे वे सरकार को दी जानी चाहिए और दिल्ली वक्फ बोर्ड को इन संपत्तियों पर किए गए दावों को वापिस ले लेना चाहिए।"

इसके बारे में कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। जहां तक दिल्ली की बात है, इसमें बहुत-सी मिनिन्ट्रीज इनवोल्व्ड हैं, मिनिस्ट्रीआ फ वर्क्स एण्ड हाऊसिंग इन्वोल्व्ड है। बर्नी कमेटी की रिपोर्ट है हांलांकि मुझे औरीजिनल रिपोर्ट नहीं मिली है और नोट ही मिला है। ओरीजिनल रिपोर्ट को देखने के बाद अगर मौका मिले और मौका तो जरूर मिलेगा क्योंकि 1985 में इस तरह का बिल फिर सदन में आएगा, तब मैं इसके बारे में कहूंगा। तो मेरा कहना यह है कि वक्फ प्रोपर्टी के बारे में बार-बार ऐसा धोखा देना ठीक नहीं है। दिल्ली की वक्फ प्रोपर्टी के बारे में आप एक काम्प्रीहैंसिव बिल लाइए और इस प्रापर्टी की रिकवरी के लिए कोशिश कीजिए। दूसरी स्टेट्स में जो उनके अलग अलग एक्ट हैं, वे मेरे ख्याल से काफी हैं। कर्नाटक में कुछ काम हो चुका है और कुछ होना है।

अन्त में मैं यही कहूंगा कि बंगाल वक्फ एक्ट जो है, उसके मुताबिक आप एक काम्प्रीहैंसिव बिल दिल्ली के लिए आइए और इसकी प्रोपर्टी को बचाने की कोशिश कीजिए।

श्री जैनल बशर (गाजीपुर) : डिप्टी स्पीकर साहब, में इस बिल की तारीफ करते हुए इस मौके का खैरकदम करता हूं कि मुझे वक्फ के बारे में चंद बातें अर्ज करने का मौका मिला है।

आज वक्फ की जो जायदादें हैं उनकी हालत बद से बदतर होती जा रही है। करोड़ों रुपये की मिल्कियत की ये जायदादें हिन्दुस्तान के हर हिस्से में फैली हुई हैं। इन जायदादों का मकसद मुसलमानों की बेहतरी और बहबूदी के लिए, उनके मजहबी कामों के लिए, उनकी इस्तसादी हालत को बेहतर बनाने के लिए है लेकिन आज मैं बहुत दुःख के साथ इस बात को कहना चाहता हूं कि पूरे मुल्क में, खास तौर पर दिल्ली में वक्फ जायदादों की एक बड़ी लूट मची हुई है। इस लूट में सिर्फ प्राइवेट लोग ही शामिल नहीं हैं, बल्कि इस लूट में गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट और गवर्मेंट की एजेंसियां भी शामिल हैं। खुद दिल्ली में डी० डी० ए० वक्फ जायदादों की सबसे बड़ी डकैत है। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट वक्फ जायदादों के पीछे पड़ा हुआ है। खुद जब मरकजी हूकूमत की नाक के नीचे दिल्ली में वक्फ जायदादों की लूट मची हुई हो तो डिप्टी स्पीकर साहब आपका इस बात का अन्दाजा लगा सकते हैं कि पूरे मुल्क में क्या होता होगा।

वक्फ जायदादें जिस तरह से लूटी जा रही हैं, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं कि 1976 में एक वक्फ इंकवायरी कमेटी बनायी गयी थी उस कमेटी को फाइंडिंग्स में लिखा है।

"सभी वक्फ जायदादें राजधानी में स्थित है जहां भूमि के लिए जरूरत अधिक है और

भूमि की कीमत भी अत्यधिक रही है, इसलिए वक्फ भूमियों और संपत्तियों का अधिक पैमाने पर अप्राधिकृत रही अधिभोग किया गया है । इसके परिणाम स्वरूप न केवल पृथक वक्फ संस्थाओं को अधिक नुकसान हुआ है अपितु दिल्ली वक्फ बोर्ड की आय भी काफी कम हुई है ।"

"हमें यह जानकर बड़ा दुःख हुआ है कि केन्द्रीय वक्फ मन्त्री अर्ध-सरकारी पत्रों से राज्य के मुख्य मन्त्रियों पर दबाव डालते रहे हैं कि वे सभी वक्फ संपत्तियां जिन पर राज्य कि सरकार, स्थानीय निकायों जैसे नगर निगमों, जिला-परिषद और पंचायतों का अवैध कब्जा है बक्फ बोर्ड··· को सौप दी जानी चाहिए "

" और जहां भी हक के बारे में कोई विवाद हो तो दिल्ली संघ राज्यक्षेत्र में ऐसे प्रश्नों का ठीक से निपटारा करने के लिए एक समिति का गठन किया जाना चाहिए । दिल्ली विकास प्राधिकरण और दिल्ली प्रशासन के बारे में यह कहा जाता है कि उन्होंने अधिक बड़े पैमाने पर वक्फ संपत्तियों पर अवैध कब्जा किया है, किन्तु अभी तक ऐसी कोई कार्यवाही नहीं की गई है ।"

1976 में वक्फ इन्क्वारी कमेटी ने रिपोर्ट दी । इसी रिपोर्ट को देखते हुए गवर्नमेंट ने एक वर्नी कमेटी अपाइंट की जो गवर्नमेंट की एजेंसियां डी० डी० ए० या कवर्स एण्ड हाउसिंग डिपार्टमेंट वगैरह हैं इनसे जो वक्फ बोर्ड के डिस्प्यूट वक्फ प्रापर्टी के बारे में चल रहे हैं, उन मामलों का फैसला करेगी । वर्नी सहाव की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई । उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दे दी । उस कमेटी की रिपोर्ट भी हमारे सामने है । उस कमेटी ने दिल्ली वक्फ जायदादों को तीन हिस्सों में बांटा है- मस्जिद, दरगाह, कब्रिस्तान । जमीन-जायदाद के जो भी झगड़े थे, उनके बारे में उन्होंने रिपोर्ट दी । रिपोर्ट के पहले हिस्से में उन्होंने कहा-

" वे वक्फ संपत्तियां, जो स्थल पर विधमान हैं अथवा जिनका नियमित रूप से उपयोग किया जा रहा है, वे दिल्ली वक्फ बोर्ड मुतवल्लियों को दे दी जानी चाहिए और सरकार स्वामित्व के अपने दावे वापिस ले लेगी । वक्फ बोर्ड/मुतबल्लियों को दे दी जानी चाहिए और सरकार स्वामित्व के अपमे दावे वापिस ले लेगी । वक्स बोर्ड मुतवल्यिों को मास्टर प्लान और नगरपालिका की उप-विधि के अनुसार ऐसी सम्पत्तियों का विकास करने का अधिकार होगा । "

इसमें 88 प्रापर्टीज का जिक्र है, मैं डिटेल्स में नहीं जाना चाहता, वक्त नहीं है, लेकिन 88 प्रापर्टीज का जिक्र वर्नी कमेटी ने किया है, जिसमें वक्फ बोर्ड को जायदाद मुतल्लवी हैं उनको प्रापर्टी वापिस कर देनी चाहिए और अधिकार देना चाहिए कि वे दिल्ली मास्टर प्लान के तहत उसका डेवलपमेंट कर सकें और जो आमदनी है उसे ले सकें ।

दूसरी कैटेगरी में उन्होंने कहा—

वे वक्फ जिनका कोई स्थान पर कोई अस्तित्व नहीं है और जहां सरकार ने भवन और

पार्क आदि बना लिया है, वे सरकार को सौंप दिये जाएंगे। दिल्ली वक्फ बोर्ड इस संपत्ति पर किया गया अपना दावा वापिस ले लेगा।"

इसमें 11 प्रापर्टीज थीं जिन पर डी० डी० ए० ने या गवर्नमेंट एजेंसीज ने अपनी बिल्डिंग्स बना दी थी, पार्क बना दिए थे, उनके कब्जे में चले गए थे, इसलिए बर्नी कमेटी ने 11 जायदादों को डी० डी० ए० को और अन्य गवर्नमेंट एजेंसियों को वापिस करने के लिए सिफारिश की।

तीसरी सिफारिश थी—

"वे वक्फ जो जीर्ज-शीर्ण अवस्था में हैं, दिल्ली वक्फ बोर्ड को सौंप दिए जायेंगे"।

"सरकार ऐसी संपत्तियों पर अपने स्वामित्व के सम्बन्ध में किए गए दावों को वापिस ले लेगी दिल्ली वक्फ बोर्ड को मास्टर प्लान और नगरपालिका के उपनियमों के अनुसार उनका विकास करने की भी अनुमति दी जायेगी। दिल्ली वक्फ बोर्ड आस-पास की वास्तुकला को ध्यान में रखते हुए उचित तरीके से इसका विकास करेगी।"

इसमें 47 प्रापर्टीज थी, जिनको गवर्नमेंट एजेंसीज को वक्फ बोर्ड को या मुतल्लवी को वापिस करना था। इसके अलावा मस्जिद के लिए, कब्रिस्तान के लिए बर्नी कमेटी ने साफ अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि ये सारे कब्रिस्तान और मस्जिदें वक्फ बोर्ड को या मुतल्लवी को वापिस करनी चाहिए।

डिप्टी स्पीकर साहब, बर्नी कमेटी ने सारी प्रापर्टीज को डिमार्क कर दिया था, अलग-अलग कर दिया था, इतनी साफ रिपोर्ट होने के बावजूद मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हुकूमत ने कोई कार्यवाही नहीं की। थोड़ी-बहुत प्रापर्टीज वापिस की हैं, जिसमें काफी लोगों ने दिलचस्पी रखी, दौड़-धूप की, एम पीज ने दिलचस्पी ली, उनको वापिस कर दिया गया है। लेकिन बहुत तादाद में जायदादें अब भी लोगों के कब्जे में है। जो गवर्नमेंट के डी० डी० ए० के तथा दूसरी गवर्नमेंट एजेंसीज के कब्जे में है वक्फ बोर्ड की प्रापर्टीज गैर कानूनी तरीके से उनको तो गवर्नमेंट छोड़ नहीं रही है तो प्राइवेट लोगों ने जो एनक्रोचमेंट कर रखा है, उसके लिए क्या कहा जाए।

वक्फ बोर्ड के जो मुतल्लवी हैं, जो वक्फ की देखभाल करने वाले हैं वे भी सभी ईमानदार नहीं हैं। खुदा का और सजा का डर लगता है कि उनके दिल से खत्म हो गया है। खुद वक्फ के मुतल्लवी जो उनकी देखरेख के लिए मुकर्रर हैं या वक्फ बोर्ड ने उनको बनाया है या जिन लोगों ने वक्फ किया था और जो मुतल्लवी चले आ रहे हैं उन्होंने भी बहुत सी वक्फ की जायदाद जिसमें कब्रिस्तान शामिल हैं, मस्जिदें शामिल हैं, दूसरी जायदादें शामिल हैं उनको बेचना शुरू कर दिया है, उनको बेचते चले जा रहे हैं। वक्फ की जायदाद बिकती नहीं है। वंस ए वक्फ, फार एवर ए वक्फ। एक बार जो वक्फ की चीज हो गई वह हमेशा वक्फ की रहती है। उसको बेचा नहीं जा सकता है। उससे आमदनी की जा सकती है, इनकम की जा सकती है। ऐसे लोगों पर भी गवर्नमेंट को नजर रखनी है। जो ब्लैक शीप खुद मुसलमानों में हैं, जो वक्फ प्रापर्टीज को बेचते

जा रहे हैं उन पर भी कड़ी निगाह रखने की जरूरत है। वक्फ के कानून को आप बदलें। जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे वक्फ प्रापर्टीज के साथ आप इंसाफ नहीं कर सकते। आज करोड़ों नहीं बल्कि अरबों की जायदाद पूरे हिन्दुस्तान के मुसलमानों के पास है जिसे उनकी तालीम को तरक्की देने के लिए, उनकी इक्तसादी हालत बेहतर बनाने के लिए, हस्पताल खोलने के लिए और दूसरे चैरिटेबल परपजिज के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन वह नहीं हो रहा है। मजबूरन हमें गवर्नमेंट की तरफ देखना पड़ रहा है। आप एक सख्त कानून बनाएं जिससे वक्फ प्रापर्टी का एनक्रोचमेंट न हो सके और इस एनक्रोचमेंट को रोकने के लिए पहले यह जरूरी है कि हकूमत ने जो एनक्रोचमेंट किया है, उसको वह छोड़े और एक मिसाल कायम करे दूसरे लोगों के लिए कि गवर्नमेंट ने वक्फ प्रापर्टी सारी छोड़ दी है, वे भी उसको छोड़ दें।

एक आखिरी बात कह कर मैं खत्म करता हूं। इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक फैसला है। मैं उसके मैरिट्स में नहीं जाना चाहता। यह कोर्ट का फैसला है। यह बहुत खतरनाक फैसला है। उसने कहा है कि हकूमत वक्फ प्रापर्टी को जिसमें मस्जिद और कब्रिस्तान भी शामिल है एक्वायर कर सकती है और उसपर बिल्डिंग वगैरह बना सकती है। मस्जिद के लिए उसने कहा है कि मुसलमानों के लिए नमाज पढ़ना वहां जरूरी नहीं है, इसलिए मस्जिद को भी एक्वायर किया जा सकता है। आप तो जानते ही होंगे कि मुसलमानों में मस्जिद का क्या रुतबा है, मस्जिद मुसलमानों के लिए जरूरी है या नहीं है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले ने बहुत डैमेज किया है। इसको दूर करने के लिए मैं आपके जरिये खास कर एग्रिकल्चर मिनिस्टर साहब से दरख्वास्त करूंगा कि जब वह—लैंड एक्विजिशन बिल अगले सैशन में लाएं तो कम से कम इस बात का बन्दोबस्त जरूर करें कि मजहबी जो जायदादें हैं चाहें वे हिन्दू मंजहब से ताल्लुक रखती हो, मुस्लिम मजहब से ताल्लुक रखती हों, सिख मजहब से ताल्लुक रखती हों, एक्वायर नहीं की जाएंगी।

इन अलफाज के साथ मैं इस बिल की पुरजोर ताईद करता हूं।

श्री गुलाम मोहम्मद खां (मुरादाबाद) : जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे इस बिल पर बोलने का मौका दिया है।

मैं आपके सामने इसकी छोटी-सी हिस्टरी पेश करना चाहता हूं t 1947 से पहले यहां पर जो खाते-पीते और मालदार मुसलमान थे, उन्होंने कुछ जायदादें वक्फ कीं। उन्होंने तीन तरह से वक्फ कीं। एक तो वक्फ अलल-औलाद यानी उनकी औलाद ही मालिक हो सकती है, और कोई नहीं, दूसरे मजहबी कामों के लिए वक्फ किया, ताकि उसमें सिर्फ मस्जिद बना सके या दीनी तालीम दी जा सके। तीसरे, समाजी तालीम के लिए जायदाद वक्फ की गई, ताकि स्कूल और यतीमखाने वहां चलाएं जा सकें

बदकिस्मती हिन्दुस्तान की यह हुई कि 1947 में तकसीम के बाद जिन लोगों ने वक्फ किया था वे और मुतल्लवी लोग मय कागजात के मुल्क से बाहर चले गए और कुछ नहीं पता चला कि वक्फ की जायदाद कौन-सी और कहां है। मरहूम पंडित जी के जमाने में भी यह मामला जेरे बहस आता रहा। 1954 में पार्लियामेंट में एक बिल पेश किया गया। उसमें यह तय किया

गया कि वक्फ बोर्ड बनाया जाए, वक्फ डेवलपमेंट कौंसिल बनाई जाए और उसका चेयरमैन जनाब फखरूद्दीन अली अहमद को बनाया गया। उसमें यह तय पाया गया कि उन कागजात की तलाश की जाए, ताकि पता चले कि कौन-कौन सी जायदादें वक्फ की हैं। लगभग 1200 से ज्यादा जायदादें कई कामों के लिए वक्फ की गई थी। तलाश जारी रही। 1959 तक बहुत-सी जायदादों का पता नहीं चला, कुछ का पता चल गया। बाज पर बाहर से आए हुए शरणार्थियों ने कब्जा कर लिया।

फिर इसमें तोसीअ के लिए पार्लियामेंट में बिल आया। इस तरह से पांच बार यह बिल तोसीअ के लिए आया हैं। अभी तक सरवे कम्पलीट नहीं हुआ है और न जायदादों का पता चला है। पांच बार एक्सटेंशन देने के मानी ये हैं कि दाल में कुछ काला है। क्यों बार-बार एक्सटेंशन दिया जाता रहा है? ताकि एनक्रोचमेंट पक्का और मजबूत हो जाए, बिल्डिंग, सिनेमा और बन जाएंगे, तो कोई सवाल ही नहीं रहेगा उन जायदादों को खाली करने का

बहुत-सी जायदादें ऐसी हैं, जो इस वक्त गवर्नमेंट के कब्जे में है, जैसा कि हमारे दूसरे मुकर्ररीन ने फरमाया है, और वह बिल्कुल सही है। जब सरकार ही कब्जा कर रही है, तो फरियाद कहां करेंगे? मैं मन्त्री महोदय से कहूंगा कि वह पहले सरकार को रोके, वर्ना यह बिल तो महज एक तमाशा बन जाएगा। सब लोग हंसते हैं, कि बार-बार एक्सटेंशन देने का क्या मतलब है, क्या मिल-मिलाकर बात खत्म हो जाएगी। 402 केसों का फैसला हो चुका है, लेकिन वे जायदादें भी वक्फ बोर्ड को नहीं दी गई है। माफ करें, ऐसा मालूम होता है कि वक्फ बोर्ड अन्दर से गदला है। उसमें वे आदमी रखे जाते हैं, जो बड़े रिटायर्ड आफिसर्ज हों, जिन्हें सरकार को परवरिश करना मकसूद हो, या बड़े-बड़े पालिटीशन्ज को जिनकी परवरिश करनी हो। वे लोग न काम करते हैं और न देख-भाल करते हैं। बस सरकार की हां में हां मिलाते हैं। डी० डी० ए० और गवर्नमेंट की दूसरी एजेन्सीज ने कब्जा कर रखा है, लेकिन वे सरकार को कोई रिपोर्ट नहीं देते हैं।

वर्नी कमटी 1975 में मुकर्रर की गई थी। 1976 में उनकी रिपोर्ट आ गई। हिन्दुस्तान के तमाम मुसलमान चाहते हैं कि उस रिपोर्ट को लागू किया जाए, लेकिन सरकार का ध्यान उस तरफ नहीं जा रहा है। इन 1200 जायदादों की कीमत एक कमेटी ने 158 लाख रुपए लगाई है, जब कि वे हैं करीब 500 करोड़ रुपए की अगर ये जायदादें मुसलमानों को दे दी जाएं तो सरकार को उनकी मदद करने की कोई जरूरत नहीं रहेगी। उनकी तरफ से कहा जाता है कि हम तुम्हारे मजहब की और सब चीजों की हिफाजत करेंगे। कम से कम वह वक्फ की जायदादों को देने का छोटा-छोटा सा काम कर दे, तो मुसलमान अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा और तालीम का कुछ इन्तजाम कर लेगा। आज दिल्ली भर में एक भी इन्टरमीडिएट मुस्लिम कालेज नहीं है, जिनमें कुछ भी तालीम दी जा सके। मैं देखकर आया हूं कि वे टूटी-फूटी बिल्डिंग में चल रहे है। वे इस इन्तजार में हैं कि जब वक्फ की आमदनी आ जाएगी, तो हमारा कुछ हो जाएगा। बहुत दिन हो गए हैं इस इन्तजार में। बिल को सपोर्ट तो मजबूरन ही करना पड़ेगा। आप पास कर

लेंगे, मेजारिटी है ही। लेकिन माइनारिटी वाले जो अपोजिशन के लोग हैं। वह भी बुरा नहीं कह रहे हैं, यह अच्छा ही कहते हैं कि आप की गुडविल हो जायेगी अगर आपने कांप्रीहेंसिव बिल ला कर पास कर दिया और एक्सटेंशन न दें। या एक्सटेंशन आप दे दीजिए, नेक्स्ट सेशन में पेश कर दीजिए। अगर पेश हो गया तो कारगुजारी आपकी लिखी जायेगी। हमें तो कुछ मिलेगा ही नहीं। वह कहेंगे कि तुम जनता पार्टी में कुछ नहीं कर पाए, कांग्रेस ने कर दिया। गुडविल आप ले लीजिए मुसलमानों की।

थोड़ी रोशनी और डाल दूं! नार्दन इण्डिया में यू० पी० में बिहार में स्टेट लेजिलेशन के जरिये चलाया जाता है और वह कुछ अच्छा भी चल रहा है। यहां तो चलने को तैयार ही नहीं है मस्जिदों का जिक्र बहुत आ गया है। तीस चालीस मस्जिदों, बहुत से कब्रिस्तान और बहुत-सी और दीनी चीजें मुसलमानों की जो है उन पर अभी पूरा-पूरा कब्जा है। उनको छुड़ाने के लिए बार-बार दरख्वास्त दी जाती है। जैसा कि बर्नी कमेटी की रिपोर्ट में आया है, सरकार ने जिन चीजों पर कब्जा कर लिया है और लवे सड़क है या कुछ बाहर है और कुछ बिल्डिगें जिन पर बन चुकी हैं वह सरकार अपने नाम लिखा ले, बाकी चीजें जो उसकी है वक्फ बोर्ड को वह उसे दे दें। फैसले के लिए वक्फ बोर्ड तैयार नहीं है। मेरा यही आप से निवेदन है कि बर्नी कमेटी को लागू कर दीजिएगा तो मुसलमानों की तमाम समस्याओं का हल हो जायेगा। इसी तरह का एक काम्प्रीहेंसिव बिल पास करके सबका काम चल जायगा और वही चीज तमाम हिन्दुस्तान के और स्टेट्स में लागू कर दें। जैसे मिसाल के तौर पर केरल में है, वक्फ की जायदाद से एक यूनिवर्सिटी बन गई है, उसमें बिना लिहाजे मिल्लत कोई भी स्टूडेंन्स दाखिला ले सकता है—हिन्दू मुसलमान, सिख, ईसाई, कोई भी हो किसी पर कोई पावन्दी नहीं है। अगर इसी तरह की बात कर दें कि यहां की जायदादों से कोई स्कूल बने और बिना लिहाजे मिल्लत हिन्दू, मुसलमान, सिख ईसाई कोई भी हो सब उसमें दाखिला ले सकें तो बहुत बेहतर होगा। ये चैरेटिबल वक्फ हैं। इस में यह पैसा लगेगा तो उसका फायदा अकेले मुसलमानों को न मिलकर सबको मिले तो उससे ज्यादा अच्छाइयां बढ़ जायंगी, समाज की अच्छाइयां बढ़ जायंगी।

एक और प्वाइंट है। यह जो वक्फ है। यह मुस्लिम परसनल ला के तहत चलाया जाता है। मुस्लिम परसनल ला एक अलाहिदा चीज है। उसका अलाहिदा कानून है। शादी इस तरह से होगी, तलाक इस तरह से होगा, औलाद को हक इस तरह में पहुंचेंगे। इसी तरह से अगर यह चीज उसमें ऐड कर दी जाए कि मुस्लिम परसनल ला के तहत यह चलाया जाएगा और जो इन जायदादों के स्कूल होंगे उसमें बिला लिहाजे मजहब और मिल्लत सब लोग दाखिला ले सकें, इससे सब लोग फायदा उठाएं तो इससे कौमी यकजहती भी पैदा होगी और हिन्दू मुस्लिम एकता बढ़ेगा। इसका बढ़ना भी हमारे यहां बहुत जरूरी है।

इसलिए ऐसा एक काम्प्रीहेंसिव बिल हो जिसमें तमाम हिन्दुस्तान के लिए गुंजाइश हो, एक तरीका हो? अब वह क्या क्या तरीका निकालेगा वह आप ज्यादा अच्छा जानते है। बिहार

बंगाल यू० पी० और काश्मीर में जो काम चल रहे हैं उनसे बहुत तसल्ली है लोगों को कि ये बहुत अच्छे तरीके से चल रहे हैं और केरल में भी खास मिसालें कायम हुई हैं यू० पी० का हाल दिल्ली जैसा ही है। कोई अच्छा नहीं हैं वहां तो एन्क्रोचमेंट इतना बढ़ गया है कि कोई ठिकाना नहीं है वहां तो यह हाल है कि हम जाते हैं और देखते हैं कि वक्फ बोर्ड की जायदाद पर कब्जा कर लिया, वक्फ बोर्ड के सेक्रेटरी को कुछ पैसे दे दिये और वह खामोश हो गया। वह भी इसी तवज्जह की मोहताज है जैसे दिल्ली है। यू० पी० में इस से ज्यादा ही कुछ होगा कोई अच्छा काम मैं नहीं देख रहा हूं। मैं मुरादाबाद से आता हूं जहां मुसलमानों की वक्फ की जायदाद लाखों नहीं करोड़ों रुपये की होगी। कोई इस्तेमाल उसका नहीं होता। उलटे औए खर्चा गवर्नमेंट पर पड़ जाता है डेफिश्येंसी रहती है। दिल्ली में तो अपना-अपना खर्च बोर्ड चला भी लेते हैं लेकिन मुरादाबाद में कमी रहती है। कलेक्टर साहब कहते हैं कि इसके लिए कुछ इंतजाम ऊपर से करो। वक्फ भी वहां कुछ कम नहीं हैं, बहुत ज्यादा हैं। लखनऊ में बहुत बड़ी जायदादें वक्फ की हैं, इलाहबाद, कानपुर में मैंने देखा है, काफी जायदादें हैं तो यही मेरी गुजारिश है कि एक काम्प्री-हेंसिव बिल लाकर हिन्दुस्तान के मुसलमानों पर बहुत बड़ा एहसान आप करेंगे। गुडविल आप को मिलेगी, हमें तो कुछ मिलना नहीं है। बहुत शुक्रिया।

संसद सदस्यों को एशियाई खेलों के टिकटों की बिक्री के बारे में वक्तव्य

पूर्ति और पुनर्वास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बूटासिंह) उपाध्यक्ष महोदय, मैं 19 नवंबर 1982 से आरम्भ होने वाले नवें एशियाई खेलों में दिलचस्पी दिखाने के लिए दोनों सदनों के माननीय सदस्यों का आभारी हूं। संसद सदस्यों तथा उनके परिवार के सदस्यों की खेलों को देखने के लिए टिकटों की बिक्री के प्रश्न की ओर खेल संबन्धी संगठन समिति तथा संसदीय मंच ने ध्यान दिया है। माननीय सभापति राज्य सभा, माननीय अध्यक्ष महोदय आप इस विषय में दिलचस्पी ले रहे हैं। आपने मेरी बात बड़ी शांति से सुनने की कृपा की है और आपने इस मामले से सम्बन्धित विभिन्न समस्याओं को भी सु-ा।

महोदय, अभी-अभी आपके कक्ष में खेल सम्बन्धी संसदीय मंच के सदस्यों के साथ एक बैठक हुई थी। उस बैठक में यह निर्णय लिया गया कि संसद सदस्यों को एशियाई खेलों के टिकटों की बिक्री की योजना 10 तारीख अर्थात मंगलवार को निश्चित की जायेगी। उसके बाद में घोषित की गई तारीखों पर विधिवत टिकटों की बिक्री की जायेगी।

आज 9 अगस्त को पूर्वघोषित कार्यक्रम के अनुसार टिकटों की बिक्री नहीं की जायेगी।

सार्वजनिक वक्फ (परिसीमा का विस्तारण) (दिल्ली संशोधन) विधेयक—जारी

श्री कृष्ण दत्त सुलतानपुरी (शिमला) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का हृदय से समर्थन

करता हूं। मैं समझता हूं कि हिमाचल प्रदेश के अन्दर भी वक्फ प्रापर्टी है, उसका सारा का सारा इन्तजाम पंजाब, हरियाणा के वक्फ बोर्ड द्वारा किया जाता है। वहां के मुसलमानों की बहुत बुरी हालत है। जब आप दिल्ली में इस सम्बन्ध में समय मांग रहे हैं तो मैं बताना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश के अन्दर भी आप एक अलहदा वक्फ बोर्ड बनायें, ताकि वहां की सारी की सारी प्रापर्टी को ठीक प्रकार से कन्ट्रोल किया जा सके। मुसलमानों की आबादी वहां पर भी अधिक है, मेरे नहान जिला है, शिमला में भी है, सोलन में भी है और बिलासपुर में भी—वहां के मुसलमानों के लिए न पढ़ाई का इन्तजाम ठीक प्रकार है और न ही और कोई सुविधायें हैं। उर्दू वहां की सैकेण्ड लैंगवेज है। वहां इस प्रकार की जितनी प्रापर्टी हैं, उस पर मोमडन ने कब्जा कर रखा है और उससे जितनी कमाई होती है वे सब खा जाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो उससे आमदनी होती है, वह बाकायदा नैशनलाइज करके आप उसको अपने सरकारी खजाने में रखें और उनको ठीक प्रकार से विस्तार किया जाए। मेरे पास एक डैप्यूटेशन आया था, जिसने यह मांग की कि कम-से-कम आप एक मौलवी लायें, ताकि नमाज तो हम पढ़ना सीख लें। लेकिन उनके पास पैसा न होने की वजह से उनके बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं। जिस तरह से मन्दिर के मालिक हिमाचल प्रदेश के अन्दर हैं। मन्दिरों की जितनी कमाई आती है, वे सब अपने हिसाब से करते हैं। गुरुद्वारों का संचालन गुरुद्वारा प्रबन्धक कमेटी द्वारा किया जाता है और उनकी यूनिवर्सिटी भी चल रही है। जब गरीबों के ख्याल करने का प्रश्न आता है तो वे कान में उंगली डाल कर नमाज पढ़ते हैं, उनको मुसलमानों की तरक्की का कोई ख्याल नहीं आता है। इसलिए मैं समझता हूं कि अगर हम वक्फ प्रापर्टी का प्रबन्ध ठीक प्रकार से करना चाहते हैं, तो हमें इसकी कमाई को बड़े ध्यान से खर्च करना चाहिए। जिसके लिए वे जायदादें हैं। जैसा इन्होंने कहा कि दिल्ली में अन्धेरगर्दी हो रही है, तो इस की जांच होनी चाहिए और कौन आदमी ऐसा करता है, उसको देखना चाहिए।

एक माननीय सदस्य : सरकार करती है।

श्री कृष्ण दत्त सुलतानपुरी : और भी हो सकते हैं बीच में वक्फ बोर्ड के आदमी भी उस में शामिल हो सकते हैं। सरकार अकेले यह नहीं करती है लेकिन सरकार का जहां तक सम्बन्ध है, मैं यह समझता हूं कि सरकार इस हाऊस में ऐसा बिल लाए कि हर राज्य में, हर स्टेट में अलहदा वक्फ बोर्ड होने चाहिए ताकि वहां की प्रापर्टी की हिफाजत हो सके।

अब मैं यह कहना चाहता हूं कि जो आदमी शिमला में मस्जिद में रहते हैं, उनकी बहुत बुरी हालत है। वहां पर एक मौलवी ने कब्जा किया हुआ है और वह अम्बाले में रहता है और उनसे किराया चार्ज करता है और उनको कोई सुविधा नहीं है। जो मुसलमान वहां पर काश्मीर से आते हैं या दूसरे प्रान्तों से वहां पर जाते हैं, उनको वहां पर रहने के लिए जगह नहीं मिलती। वहां पर महेज एक मस्जिद है, जहां पर इन्तजाम ठीक तरह का नहीं है। मैं समझता हूं कि दिल्ली हो या शिमला हो या अन्य बड़े शहर हों, वहां पर मुसलमानों की प्रोपर्टी का यह हाल है : हमारे यहां डक्साई में जाएं, तो वह केन्टोनमेंट बोर्ड में आता है, कसौली में जाएं, तो वह केन्टोमेंनट बोर्ड में आता है डलहौजी में जाएं तो वह केन्टोनमेंट बोर्ड में आता है और स्पाटू में जाएं तो वह केन्टोन-

मेंट बोर्ड में आता है और ये जितने केन्टोनमेंट बोर्ड में हैं, वहां पर कोई चीज आप बना नहीं सकते हैं। 1924 का जो एक्ट है, उसके मुताबिक केन्ट में कोई मकान नहीं बना सकता है, कोई जायदाद ठीक नहीं कर सकता। अंग्रेजों के जमाने का यह पुराना एक्ट है और इसको बदलना होगा। कई लोग वैसे ही बोलते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता। कानून बनाने के लिए हमारे पास बहुमत है और हम नया कानून बनाकर लोगों को फायदा पहुंचा सकते हैं जिससे उन लोगों में यह विश्वास हो कि यह जो सरकार है, यह उनके बारे में भी कुछ सोचती है। उनकी जो जायदाद है, उसकी हिफाजत हमें करनी चाहिए और ठीक प्रकार से उसका प्रयोग हो और मिसयूज न हो, यह हमें देखना चाहिए।

इतना कह कर में एक बात यह कहना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश के लिए एक वक्फ बोर्ड बनाया जाए ओर यह जो बिल आप लाए हैं, इसकी में ताईद करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : अब श्री रत्नसिंह राजदा बोले हैं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : हम यह विधेयक पारित करने जा रहे हैं। केवल तब ही हम सभा स्थगित करेंगे। कार्य मंत्रणा समिति ने पहले ही निर्णय ले लिया है, इसकी घोषणा भी कर दी गई है।

श्री रत्नसिंह राजदा (बम्बई दक्षिण) : महोदय भारत वक्फ की जायदाद के सम्बन्ध में अराजकता जैसी स्थिति है। पूरे भारत में यही स्थिति है। महोदय, वर्तमान संशोधन विधेयक सीमा अवधि को बढ़ाने के लिए पेश किया गया है क्योंकि पहले यह 31-12-1980 तक था। अब, जहां तक वक्फ की जायदाद का संबंध है बड़े पैमाने पर गैर-कानूनी रूप से कब्जा किया गया है। उन गैर-कानूनी कब्जों से जायदाद को मुक्त कराने और उन्हें जायदाद वापस लेने के लिए मुकदमा दायर करने का अधिकार देने के लिए यह संशोधन पेश किया गया है और यह सरकार द्वारा उठाया गया सराहनीय कदम है। एकमात्र बात यह है कि जिस एक ही बात को यहां प्रस्तुत करने के लिए कई भाषण किए गए, वह यह है कि क्या सरकार यह देखने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ है कि एक व्यापक विधेयक प्रस्तुत किया जाए, और इन वर्षों में जितना भी अन्याय किया गया है उसे समाप्त किया जाए तथा जहां तक उन सभी वक्फ की जायदादो का सम्बन्ध है उनके साथ न्याय किया जाए।

महोदय, वक्फ की जायदाद पर बड़े पैमाने पर गैर-कानूनी काम हो रहा है। दुर्भाग्यवश भारत की राजधानी दिल्ली में भी सर्वेक्षण कार्य पूरा नहीं हुआ है। हम नहीं जानते, कितनी जायदादें हैं। उनका कुल मूल्य क्या है अथवा इन सभी जायदादों का कुल मूल्य कितना होगा। इसकी कीमत करोड़ों रुपए होगी और कोई सर्वेक्षण किए बिना किसी को कैसे पता चल सकता है कि उन सभी गैर-कानूनी कब्जों का क्या हो रहा है। इन गैर-कानूनी कब्जों को कोई चुनौती नहीं दे रहा है और वे शरारत करते रहते हैं। इन सभी वर्षों में वे उन सभी जायदादों का अवैध रूप

से लाभ उठाते रहे हैं और इसलिए इसकी सीमाँकन अवधि को बढ़ाना आवश्यक है ताकि हम इन ज़ायदादों को प्राप्त कर सकें। यह आवश्यक है कि यह अवधि बढ़ा दी जाए ताकि अगले 5 वर्षों में 1985 तक, हर स्थिति का सामना कर सकें और ये सभी जायदादें, जिन पर गैर-कानूनी ढंग से कब्जा किया गया है, वे मुक्त करायी जा सकें उनका कब्जा वापिस लिया जा सके और गैर कानूनी दखलकारों के चंगुल से उन्हें मुक्त कराया जा सकें।

महोदय, मैं समझता हूं और मुझे आशा है कि अवधि में यह अन्तिम विस्तार होगा और इस अवधि में, सरकार स्थिति का सामना कर पायेगी तथा उसके लिए सशक्त और कदम उठाए जायेंगे - मुझे आशा है, यह अन्तिम संशोधन होगा और इससे इस देश के अल्पसंख्यक समुदाय की संतुष्टि के लिए इस समस्या का समाधान हो पाएगा।

धन्यवाद।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री जमीलुर्रहमान।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आप सब का नाम पुकारने जा रहा हूं। हम यह विधेयक पूरा करने के बाद ही सभा स्थगित करेंगे।

श्री जमीलुर्रहमान (किशनगंज) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, क्या आप समय बढ़ाने जा रहे हैं?

उपाध्यक्ष महोदय : समय पहले ही बढ़ाया जा चुका है। हम यह विधेयक पूरा करने जा रहे हैं चूंकि श्री सुंदर सिंह का नाम यहां नहीं लिखा है इसलिए और जिन सदस्यों का नाम मेरे समक्ष रखा है, उन सब को बोलने के लिए बुलाया जायेगा।

श्री जमीलुर्रहमान : मोतरम डिप्टी स्पीकर साहब, मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे एक मौका इनायत फरमाया है कि मैं इस नन्हे-मुन्ने वक्फ तरमीमी बिल कुछ कहूं। मैं इस बिल का खैरमकदम करता हूं और साथ-साथ इनको सपोर्ट करता हूं। लेकिन मैं चंद बातें कहे बगैर नहीं रह सकता। (व्यवधान)

मैं आपको एक शेर अर्ज करना चाहता हूं-

हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम।
वे कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता॥

मेरे कहने का मकसद यही है कि छोटे-मोटे बिल लाने से कोई मसला हल होने वाला नहीं है अगर वक्फ जायदादों का सारे हिन्दुस्तान में ठीक से सर्वे हो जाए जो कि अब तक नहीं हो पाया है तो वे मेरे ख्याल में 15 हजार करोड़ रुपय की हैं। लेकिन 35 वर्ष का अर्सा हो गया, यह अब तक नहीं हो पाया है। यह अफसोसनाक बात है और यह बात जबकि मैं इस मदन में खड़े हो

कर कह रहा हूं तो बहुत ही इत्मीनान और जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि यह सिर्फ मेरी ही आवाज नहीं है, यह करोड़ों मुसलमानों की आवाज है।

मेरे ख्याल से अगर वक्फ जायदादों का मसला हल हो जाए तो इस मुल्क का मुसलमान मदद के लिए सरकार की तरफ आंख नहीं उठायेगा। 1947 के बाद से बराबार शोर-शराबा मुसलमानों की तरफ से हो रहा है और कई मर्तबा इस सवाल को उठाया गया। लेकिन कहें तो किस को कहें।

आनरेबल डिप्टी स्पीकर सापब, मैं अर्ज करता हूं कि मुल्क में सेक्युलरिजम और वक्फ के चार सबसे बड़े दुश्मन हैं। नम्बर एक- लेण्ड एण्ड डवलपमेंट, दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन, दूसरा डी० डी० ए० तीसरे वर्क्स एण्ड हाउसिंग मिनिस्ट्री इन्क्लुडिंग रिहेबलिटेशन मिनिस्ट्री और चौथे आर-केलोजिकल डिपार्टमेंट आफ इण्डिया।

मुल्क में 1947 में हालात नाजुक थे। उस वक्त हम छोटे-मोटे थे हमको क्या पता था कि यह क्या चीज है। उन नाजुक हालात में मुसलमानों ने अपने को खतरे में महसूस किया और वे अपनी-अपनी जगहों से दूसरी जगहों पर शिफ्ट हो गये। 1971 में मुसलमानों में एत्माद आया जबकि श्रीमती इन्दिरा गांधी जीत कर आयीं तो मुसलमान अपनी अपनी जगहों पर जाकर फिर बसे और उन्होंने अपनी-अपनी जगहों को हासिल करने का सवाल उठाया। लेकिन हुआ क्या अभी तक उन जायदादों को रिलीज नहीं किया गया। इसके लिए हम किस को ब्लेम करें किस को कहें। यह बात मैं आपके जरिये से सरकार को कहना चाहता हूं और कह रहा हूं।

दूसरी बात यह है कि 1974 में बनी कमेटी की इन्टेरिम रिपोर्ट आयी थी। 1976 में रिपोर्ट सबमिट हुई' छः साढ़े छः साल हो गए हैं, अभी तक जेरे गौर है। कब तक जेरे गौर होगा। उसकी कोई सीमा होनी चाहिए, लिमिटेशन होनी चाहिए। 1985 तक आपने लिमिटेशन बढ़ाने को कहा है। क्या मकसद है? पहले बात दिल और दिमाग में आती है, उसके बाद चेहरे पर और बाद में हाथ-पैर एक्शन में आते हैं। डिप्टी स्पीकर साहब, दिल्ली भारत का दिल है, अगर यहां पर कोई बात होती है तो उसकी हवा सारे देश में फैलती है। यहां पर सैकड़ों दूसरे गैर-मुमालिक लोग रहते हैं, वे भी इस बात को देखते हैं। इसलिए अगर थोड़ी-सी भी बात होती तो पूरे हिन्दु-स्तान में उसका जिक्र होता है। तुर्कमात गेट की घटना सही थी या गलत, इस बात में मैं नहीं जानना चाहता, लेकिन 1977 की इस घटना का असर जो हिन्दुस्तान पर पड़ा है वह मेरे और आपके सामने है। इन बातों में मैं नहीं जाना चाहता। बर्नी-कमेटी की रिपोर्ट को छः साल हो गये, क्यों नहीं एक काम्प्रिहैसिव बिल आता है। 1985 तक एक्सटेंड करने का मकसद है? ताकि जो बची-खुची वक्फ जायदादें दिल्ली में हैं वे भी साफ हो जाएं।

रिकवरी की कोई बात नहीं आई। वक्फ को या मुसलमानों को वापिस हों, इसकी बात नहीं आई। एक्सटेंशन देने से क्या होगा इसका मतलब यह होगा कि जैसे शेखूसराय और यूसफ-सराय में कब्रिस्तान था, उस पर ही चारों तरफ डी० डी० ए० का कब्जा हो गया है

एक मस्जिद मोठ जहां पहले मुसलमान बसते थे वे वापिस आ गए हैं, लेकिन वहां पर आर्कलाजिकल डिपार्टमेंट का कब्जा है कोई सुनवाई नहीं हो रही है और न मस्जिद कायम हो रही है पुरानी दिल्ली में एक मस्जिद बस ट्रमिनिल के पास टूट—फूट गई है, मुसलमानों को नमाज पढ़ने की जगह नहीं है। पहाड़गंज की मस्जिद में होटल बन गया है। एक दर्द हो तो आपको बताएं, यह तो लाइलाज मर्ज है।

डिप्टी स्पीकर साहब आप बड़े साफ जहन के आदमी हैं। आप उस स्टेट से आते हैं जहा पढे—लिखे लोगों की संख्या ज्यादा है। इसलिए उस बात का असर आप पर भी है। आप खुले जहन के पढे लिखे आदमी हैं, लेकिन मैंने ये जो चार डिपार्टमेंट बताए हैं, उनमें ऐसे लोग हैं, जिनका एक उसूल मालूम होता है कि उनकी हरकतों से यह मालूम होता है कि जैसा कि वे चाहते हैं कि अक्लियत हिन्दुस्तान में न रहे, उनकी जायदाद न रहे। वक्फ को "डेडीकेशन आफ गाड" माना है। एक्ट के मुताबिक देखा जाए।

(क) "लाभार्थों से एक ऐसा व्यक्ति या वस्तु अभिप्रेत है जिसके लाभ के लिए एक वक्फ बनाया जाता है और इसमें धार्मिक, पवित्र और पूर्त वस्तुएं तथा मुस्लिम विधि द्वारा स्वीकृत सार्वजनिक उपयोग की अन्य वस्तुएं सम्मिलित है।"

उसके नीचे दिया है—

(ख) "कोई भी व्यक्ति जिसे मस्जिद, ईदगाह ईमामवाड़ा, दरगाह, खानगाह, मकबरा, कब्रिस्तान अथवा वक्फ से सम्बन्धित किसी अन्य धार्मिक सस्थान में धार्मिक अनुष्ठान अथवा पूजा करने के अथवा वक्फ के अधीन किसी धार्मिक अथवा पूर्त संस्थान में भाग लेने का अधिकार है।"

आप मोहम्मडन एक्ट में देखेंगे, एक मकसद के तहत वक्फ किया जाता है। उसमें दो किस्म के वक्फ होते हैं—"फारदि पीपुल इन दी नेम आफ गाड" और दूसरा होता है औलादों के लिए। तो क्या यह चारों डिपार्टमेंट क्या इन दोनों चीजों में आते हैं। हमारे हिस्सेदार ये डिपार्टमेंट नहीं हैं। और न ही यह वक्फ अहले औलाद की कैटागरी में आते हैं। चाहे कोई भी डिपार्टमेंट हों।

इसलिए मैं अर्ज कर रहा था कि समय मिलना चाहिए और हमारा पूरा समर्थन है, लेकिन आप पूरा बिल लाइए और इस तरह की व्यवस्था कीजिए कि वे मुसलमानों की वक्फ जायदादें बच सकें। जिस परपज के लिए वे जायदादें दी गई हैं, पूरा किया जा सके। स्कूल बनें, कालेज बनें अस्पताल बनें' डेवलपमेंट के लिए उपयोग किया जाए। अस्पताल बनें, लेडी स्कुल बनें उनके डिवेलेमेंट के काम हों।

मैं आँकड़ा दे रहा हूं। वक्फों की हालत सारे मुल्क में बुरी है, लेकिन दिल्ली में तो और भी बुरी हालत है। इतनी अफरा तफरी क्यों मची हुई है? किस वक्त जमीन बेचकर कहीं कोई फरार हो जाएगा पता ही नहीं चलता। सरकार के पास कोई साधन नहीं है कि उसको वापिस

लिया जा सके। आप आंकड़ा देखें। 134 जायदादें वर्क्स एंड हाउसिंग के तहत डी० डी० ए० के कब्जे में इस वक्त थी है 108 जायदादें लैंड एण्ड डिवेलपमेंट के कब्जे में है। क्यों इसके बारे में कार्रवाही नहीं हुई है। जब 7-8 मंजिला इमारतें बन जाएंगी तब नींद टूटेगी क्या ? क्या मतलब है इसका ? में भीख नहीं मांग रहा हूं। भिखारी नहीं हूं। अपना हक मांगता हूं। इन वक्फ की जायदादों को वापिस कीजिये। इनको लेने वाले दूसरे आदमी नहीं हो सकते हैं, ये चार डिपार्टमेंट लेने वाले नहीं हो सकते हैं वारिस हैं वही हो सकते हैं। पन्द्रह करोड़ मुसलमान हिन्दुस्तान के इनके वारिस हैं।

अभी तक आपने सर्वे नहीं किया है इन जायदादों का कम से कम दिल्ली की जायदादों का आप सर्वे तो कराएं और सदन को जो नतीजा निकले बताएं कि देश में कितनी वक्फ की जायदादें हैं और कितने करोड़ की हैं और दिल्ली में कितनी हैं और कितने करोड़ की हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : जब कोई व्यापक विधेयक प्रस्तुत किया जाता है तो आपको उसके लिए पर्याप्त समय देना चाहिए। आप इस अवसर सुविस्तृत वर्णन कर रहे हैं।

श्री जमीलुर्रहमान : आपको मुझे कम से कम 45 मिनट बोलने की अनुमति देनी चाहिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि जिस दिन वह व्यापक विधेयक पेश किया जाए उस दिन भी यहां आप ही।

प्रेस के बारे में बड़ी लम्बी बात हुई है आज। बिहार सरकार ने 292 (ए) लाकर प्रेस के अधिकार में हस्तक्षेप किया, यह कहा जाता है कि कालिंग एटेंशन पहले पहर सदन में आया था। एक दो प्रश्न में उनके लिए भी रखना चाहता हूं। सदन में उसका जवाब तो नहीं मिल पाएगा। मौलिक अधिकारों का मैं बड़ा हामी हुं, अलम्बरदार हूं। प्रेस को नेशनल प्रेस कहा जाता है लेकिन मैं तो इसको कैपिटस्टिक प्रेस मानता हूं। मैं चाहता हूं कि बताया जाए कि अकलियतों की जायदादों पर किस कद्र जुल्म हो रहा है और इनकी इकोनोमिक और सोशल हालत जो है, उसकी डिवेलेपमेंट के लिए भी क्या यह नाम निहादी नैशनल आज तक प्रेस ने कुछ लिखा है। क्या हम हिन्दूस्तान के शहरी नहीं हैं ? जब-कोई फिसाद का मामला पैदा होता है, गड़बड़ी पैदा होती है, प्रेस वालों को पैट्रोडालर नजर आते हैं। लेकिन क्या इन्होंने कभी यह भी बताया है कि कितने मुसलमान और कितने गैर मुसलमान मुल्क के बाहर हैं और वे कितने पैट्रोडालर अलग-अलग हिन्दूस्तान में भेजते हैं ? जब पैट्रोडालर्ज का इलजाम लगाया जाता है तो यह भी बताया जाना चाहिये कि कितने मुसलमान हिन्दुस्तान के बाहर हैं और कितने गैर मुसलमान बाहर हैं और दोनों अलग-अलग कितने पैट्रोडालर हिन्दुस्तान में लाते हैं या भेजते हैं। प्रेस की आजादी का मैं बड़ा हामी हूं अलम्बरदार हूं। 1971 से 1977 तक में मैम्बर रहा हूं। पार्लियामेंट की कार्यवाही गवाह है कि मैं स्माल और मीडियम न्यूजपेपर्ज का हमेशा हामी रहा हूं। गुजराल साहब मिनिस्टर थे, दीगर लोग भी रहे, शुक्ल जी भी आए, सब इस बात के गवाह हैं कि मैं कितना बड़ा अलम्बरदार स्माल एंड मीडियम न्यूजपेपर का रहा हूं और इस चीज को पार्लियामेंट

की प्रोसीडिंग्ज भी साबित कर देंगी। लेकिन यह नाम निहावी नेशनल प्रेस वालों को कैसे समझायेगा ।

मस्जिद किलोखेड़ी का मामला दिल्ली में अभी भी पैंडिंग है । दूसरा कोई दर गुजर कर सकता है। लेकिन मैं नहीं चाहता कि इस मामले को दरगुजर कर दिया जाए । यह अहम मामला है। इसको मैं दरगुजर होने भी नहीं दूंगा। 29 तारीख को पिछले महीने की में खुद वहां गया था।

मैं दरगाह शरीफ गया था। किलोखेड़ी में दरगाह के अलावा छोटे-छोटे कब्रिस्तान भी हैं। डी० डी० ए० के बुलडोजर शान से चल रहे थे। जैसा कि मैंने अर्ज किया है चार-पांच डिपार्टमेंट में ऐसे लोग हैं, जो चाहते हैं कि यहां पर हम लोगों का खातमा हो जाए। लेकिन मैं उनको कहना चाहता हूं कि मैं इतना कमजोर-जान नहीं हूं मैं आसानी से खत्म होने वाला नहीं हूं हिन्दुस्तान से चाहे वे कितनी कोशिश करें, चाहे कितना दंगा करें। हम जिस नेता पर यकीन करते हैं, उसका ईमान है सोशलिज्म और सेकुलारज्म पर।

उपाध्यक्ष महोदय : आप हिन्दू राज्य के अंग है। निकालने का तो प्रश्न रहीं है।

श्री जमीलुर्रहमान : जी हां, मैं इसका दावा करता हूं। मेरे पिता ने इसका दावा किया और उनके पिता ने भी यह दावा किया। मेरा पुत्र भी इसका दावा करेगा।

अगर रीएक्शनरी फोर्सिज हमें डराना धमकाना चाहती है, तो जमीलुर्रहमान और उसकी सात पुश्तों के लोग डरने वाले नहीं हैं।

किलोखेड़ी का मजार एक मतफरिक मुकाम है। अभी पिछले महीने 29 तारीख को मंगाया था। मजार में जितनी कबरें हैं, सिवाए पीर साहब के मजार की, वे सब तोड़ कर बराबर कर दी गई हैं। पीने के पानी का जो कुंआ था, उसको तोड़ कर बराबर कर दिया गया है। इतना ही नहीं, वहां चार पीपल के दरख्त हैं। उनके चारों तरफ चबूतरा बना दिया गया है और मजार को बन्द कर दिया गया है। आप गौर फरमाइये कि यह किस बात का संकेत है, जिस बात की तरफ इशारा है कि एक तरफ तो कबरों को खत्म किया जा रहा है, कुंए को खत्म कर दिया गया है, दूसरी तरफ पीपल के दरख्तों के चारों तरफ चबूतरा बना कर ढोल बजाया जा रहा है। इसके मानी ये हैं कि फसाद पैदा करने की कोशिश की जा रही है।

इसलिए गुजारिश है कि मिनिस्टर साहब मेहरबानी फरमा कर एक काम्प्रिहेंसिव बिल लाएं। शेर के मुतविक कहीं ऐसा न हो कि "हम खाक हो जाएंगे तेरी जुल्फ के सर होने तक"। सरकार लिमिटेशन पीरियड को बढ़ाती जाए और डी० डी० ए० आर्कआलोजिकल डिपार्टमेंट और वर्क्स एंड हाउसिंग डिपार्टमेंट स ब वक्फ की खाली जमीनों पर कब्जा करता जाए और कोई जायदाद ही न बचे, तो मुकद्दमा किस बात का ? यह बात मैं संकेत के तौर पर कह रहा हूं।

अभी आनरेबल मिनिस्टर की तरफ से कहा गया है कि दिल्ली वक्फ बोर्ड ने दिल्ली

एडमिनिस्ट्रेशन को एपरोच किया और इसलिए जरूरत पड़ी कि वक्फ एक्ट में एमेंडमेंट लाकर उस को लिमिटेशन 1985 के आखिर तक बढ़ा दिया जाए। मुहतरम वजीर सहाब को शिकवा किससे है ? -हम लोगों से या इस सदन से ? जो आदमी मुजरिम के कटघरे में खड़ा हैं, जो इस काम को करा रहा है, लैंड डेवेलपमेंट विंग वही एपरोच कर रहा है कि इस एक्सट को बढ़ाया जाये। इसकी नीयत बहुत खराब है कि टाइम को एक्सटेंड करके मौका मिले और एक्वायर करके मुसलमानों की सारी जायदाद को नेस्तो-नाबूद कर दिया जाए, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी।

मेरा दिल चाहता है कि हर एक को उसका जायज हक मिलना चाहिए। यही हमारी पार्टी का उसूल है और यही हमारी नेता का उसूल है और हम और हमारी पार्टी इसके बारे में किसी से काम्प्रोमाइस करने के लिए तैयार नहीं है। हम, हमारी पार्टी और हमारी नेता इस गलत रवैये के खिलाफ हर वह कदम उठा सकते हैं, जो जायज और दुरुस्त है।

श्री कमला मिश्र मधुकर (मोतीहारी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल मा समर्थन करने के लिए खड़ा हूं। हम, और हमारी पार्टी इस बात के लिए कृतसंकल्प हैं कि अल्पमत समुदाय, चाहे वह कोई भी अल्पमत ससुदाय हो, के हुकूक की हिफाजत करने के लिए—धार्मिक, सांस्कृतिक, भाषायी और दूसरे हुकूक—सहयोग करना चाहिए, योगदान करना चाहिए ओर उनका दृढ़तापूर्वक पालन करना चाहिए।

जनाव जमीलुर्रहमान साहब ने अपने भाषण में वक्फ की बातें तो कहीं हैं, जिनकी मैं ताईद करता हूं, मगर उसके अलावा अपनी, अपनी पार्टी ओर अपनी नेता की बात कही है। मैं उनसे यह पूछना चाहता हूं कि आपकी नेता हैं, आपकी पार्टी है और आप हैं, यह कानून चार पांच बार क्यों बदलना पड़ा ? आज तक दिल्ली में सर्वे क्यों नहीं हुआ ? कांग्रेस सरकार थी नहीं थी ? इंदिरा गांधी थीं या नहीं थीं ? आप थे या नहीं थे ? यह क्यों बार-बार कानून पास करना पड़ रहा है ?

आपने ही पूछा है और बहुत से माननीय सदस्यों ने पूछा है कि क्या गारंटी है कि 85 के बाद फिर यह कानून बदलना नहीं पड़ेगा ? मेरा पहला प्रश्न है कि मंत्री महोदय जब जवाब दें तो वह इसको स्पष्ट करें कि यह सर्वे कब तक समाप्त ही जायेगा और कब तक यह जो प्रापर्टी है जो दबायी गई है, जिसका इस्तेमाल मुस्लिम अवाम के विकास के लिए नहीं हो रहा है उसकी गारन्टी कब होने जा रही है ? जब तक यह गारंटी नहीं देंगे पार्लियामेंट आएगी, कानून बनेंगे, बदलेंगे लेकिन जिस सवाल के लिए आपको बेचनी है, यह बेचैनी दूर होने वाली नहीं है। इस बात को आप समझ रखिए।

मौलाना सहाब ने सही कहा है कि वक्फ की सम्पत्ति दो किस्म की है। जो सम्पत्ति आप के वारिस को मिलने वाली है उस सम्पत्ति को लेकर आप गड़बड़ी कर रहे हैं, तो वह ठीक नहीं है। इस लिहाज से हम यह कह रहे हैं, हम जानते हैं, वक्फ की सम्पत्तियों के ऐसे-ऐसे तजर्बे मिले हैं कि क्या कहा जाए ? मैं उन लोगों के विषय में नहीं कह सकता हूं जो मुस्लिम मजहब के हैं

लेकिन हम जानते हैं कि मन्दिरों और मठों में राम और लक्ष्मण में झगड़ा होता है। लक्ष्मण कहते हैं कि यह हमारी प्रापर्टी है और राम कहते हैं कि हमारी प्रापर्टी है और वह झगड़ा कौन तय करता है ? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या हाई कोर्ट के जज सहाब उस झगड़े को तय करते हैं। कितनी बदतर हालत मठों की हो गई है ?

बिहार में बोध गया में मठ है, उसमें हजारों हजार एकड़ जमीन है। मैं जानता हूं मधुबनी जिले के बोर्डर पर एक मठ है जिसमें हजारों हजार एकड़ जमीन हैं। हदबन्दी कानून बिहार में लागू करने की बात हो रही है। लेकिन मठों के हाथी के नामपर, बैल के नाम पर; घोड़े के नाम पर बांट कर सारी जमीन हड़प ली जाती है। उससे उस सम्प्रदाय विशेष के जिसके लिए मठ की कल्पना की गई, मन्दिरों की कल्पना की गई जिसके विकास की ओर जिसकी संस्कृति और सभ्यता के विकास की कल्पना की गई वह पूरीन होकर ये सारी चीजें आज लूट का साधन बन गई हैं। माननीय सदस्यों ने ठीक कहा है, उनके यहाँ भी ऐसी बुराई है। मैं जानता हूं अपने जिले के बारे में, वहां एक मदरसा है, उसकी कोई कमेटी थी, उसके सेक्रेटरी ने 25 हजार रुपया हजम कर लिया। उसके बाद तमाम धार्मिक और कानूनी लड़ाइयां लड़ी जाती रहीं, लेकिन आज तक उसने वह रुपया नहीं दिया। न देने के बाद भी आज वह उस मदरसे को हजम किए हुए है।

वक्फ बोर्ड में जो गड़बड़ियां होती हैं उन बातों में भी सुधार लाने के लिए विधेयक लाना चाहिये। इसलिए जिन माननीय सदस्यों ने माँग की है कि एक कामप्रीहेंसिव बिल लाना चाहिए, वह सही है। यह पैबन्द लगाने से काम नहीं चलेगा। भोजपुरी में एक कहावत है थूक चाटने से प्यास नहीं जाती है। ऐसे ही यह प्यास ऐसे नहीं बुझने वाली है। आप बाजाब्ता बिल लाइए। सारे देश के वक्फ में चलने वाली गड़बड़ियों को दूर कीजिए। पुराने जमाने में खलीफों के वक्त में यह वक्फ बना जहां तक मैं जानता हूं लेकिन जिस मकसद के लिए बना वह मकसद पूरा होना चाहिए, हिन्दुस्तान में भी पूरा होना चाहिए। अगर आप सचमुच चाहते हैं डेमोक्रेसी को चलाना डेमोक्रेसी का तकाजा है। मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं जैसे जमीलुर्रहमान साहब भाषण देकर चले गए। हम इसको सूझबूझ की बात मानते हैं। हमारो पार्टी इसको सिद्धांत की बात मानती है और सिद्धांत के लिहाज से में समझता हूं कि ऐसी बात होनी चाहिए।

इसलिए मेरी मांग है सरकार से कि वक्फ बोर्ड की कोई लीगल पोजीशन आज नहीं है, वह कह दे तो वह कमिश्नर के यहां जाय, कलेक्टर के यहां जाय, उसका नतीजा हो रहा है कि जो सम्पति ली गई है वक्फ की, जिसका दुरुपयोग हो रहा है उसको वह लोग एविक्ट नहीं कर सकते हैं। उनको पावर नहीं है। इस बात पर सोचना चाहिए सरकार को कि उनको कोई कानूनी अधिकार मिलना जरूरी है या नहीं मिलना जरूरी है ?

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि वक्फ बोर्ड को डेमोक्रेटाइजेशन नहीं हुआ है। राज्य सभा में भी इस संबंध में मांग उठाई गई थी। दिल्ली में ही जो वहां की मस्जिदें हैं, वहां के स्थानीय मुसलमानों को लेकर और वहां के वक्फ बोर्ड का चुनाव होना चाहिए। उसका जनतन्त्रीकरण होना चाहिए। ताकि वहां के लोगों को उस सम्पत्ति को लूटने का मौका ही न मिल पाए।

दोहन और लूटन-हिन्दू होया मुसलमान—चलता है धन के नाम पर। इस और आपको ध्यान देना चाहिए।

तीसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं, वक्फ सम्पत्ति का सर्वे कब तक पूरा होगा? उसके लिए आप सदन में आश्वासन दीजिए। इस संबंध में आप कौन सी मशीनरी डवेलप करने जा रहे हैं। इतने दिनों तक सर्वे नहीं हुआ है और चार बार आप संशोधन कर चुके हैं। अप संशोधन करने के बाद कौन सी आप नई मशीनरी डवेलप करने जा रहे हैं, जिससे कि 1985 तक सर्वे का काम तेजी के साथ पूरा हो जाए।

इन चीजों को दुरुस्त न कीजिएगा, तब तक मुसलमानों के दिल में जो आशंकायें हैं, वे आशंकायें बनी रहेंगी। उन आशंकाओं को दूर करने की जिम्मेदारी आप की है, इस संबंध में में आपको कदम उठाने चाहिए। आपकी पार्टी की नेता. श्रीमती इन्दिरा गांधी, की कथनी और करनी में बड़ा अन्तर है, उसमें मेल होने के लिए यह जरूरी है कि आप हाउस में आवाम की आवाज को लेकर आए हैं, उस आवाज की गम्भीरता को समझिए। इसको हल्के-फुल्के ढंग से मत लीजिए। यहां लोग आवाम की आवाज को बोले रहे हैं, काम की बात को आपके सामने रख रहे हैं। उन सब बातों पर आपको ध्यान देना चाहिए। जिस उद्देश्य से आप यह बिल सदन में लाए हैं, उसकी पूर्ति होनी चाहिए। इसलिए मैं भी इसके हक में हूं और जो आशंकायें जाहिर की गई हैं, उनके बारे में आपको सफाई करनी चाहिए। जो सवाल उठाए गए हैं, उन सवालों का समाधान आपके जवाब में होना चाहिए, ताकि आइंदा बिल को एक्सटेंड करने की जरूरत ही न पड़े मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

श्री मुजफ्फर हुसैन (बहराइच) : जनाब, डिपटी स्पीकर साहब, मैं आप की मारफत अपनी हुकूमत की तवज्जह न सिर्फ दिल्ली की ओर दिलाना चाहता हूं, बल्कि मुल्क के दूसरे हिस्सों के वक्फ की ओर भी दिलाना चाहता हूं।

जहां तक दिल्ली के वक्फ का सवाल है, तो किसी शायर मुतआसीर नेइसी मुतासीर से होकर कहा है—चेहरे पर सारे शहर के गर्दे मलाल है, जो दिल का हाल है, वही दिल्ली का हाल है, उलझन, घूटन, हरास तपीश कल इननेशार तपीश करीपे-नताइश, वह भीड़ है कि सांस भी मुहाल है।"

वक्फ के सिलसिले में हमारे सदन के मैम्बरान ने आपके सामने बहुत सी तजवीजें रखी हैं।

श्री मुजफर हुसैन : मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इस हिन्दुस्तान को आजाद हुए आज हुए 35 साल गुजर चुके हैं। हिन्दुस्तान के अन्दर असादात हुए, मुसलमानों का कत्ले आम हुआ। उसका न मुझे तजकिरा करना है और न इतना वक्त है। लेकिन मैं समझता हूं कि जो लोग भी हमारी मस्जीदों और कब्रिस्तानों का तजकिरा कर रहे हैं, मैं उनसे कहूंगा कि आप सदन में इसका तजकिरा करना छोड़ दें। इसलिए छोड़ दें कि हमारी आजादी को 35 साल बीत चुके हैं, हमारे जिन्दों का भारतीयकरण करने का बहुत से लोगों ने मनसूबा बनाया था, लेकिन

जिसको खुदा रखें, उसको कौन चखे। 35 साल आजादी के गुजर जाने के बाद हमारी आबादी चार करोड़ से 15 करोड़ हो गई है और ऐसे लोग जो हुकूमतों की मशीनों में दाखिल हैं, वे हमारे जिन्दों और मुर्दो को भी अपनी कब्र में देखना पसन्द नहीं कर रहे हैं।

श्री सैयद मुजफ्फर हुसैन : मैं सब जगह की बातें जानता हूं उत्तर प्रदेश का इस से भी बुरा हाल है। दिल्ली में तो जायदादें और मस्जिदें बेच ही रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि वक्फ बोर्ड को तोड़िये और वक्फ कमिश्नर मुकर्रर कीजिए जिससे कि मुसलमानों की बहुत बड़ी जायदाद की हिफाजत हो सके और मुसलमानों के बच्चों की तालीम और तरबीयत हो सके। इससे सही मायनों में मुसलमानों की मस्जिदों की हिफाजत हो सकेगी और उनसे होने वाली आमदनी भी सर्फ हो सकेगी। इसका इस्तेमाल भी वाकिफ की मन्शा मुताविक हो सकेगा। इस तरह से हमारी जायदादें महफूज हो जायेगी। वरना चाहे आप डी० डी० ए० के हाथ में डालें और किसी और एजेन्सी के हाथ में डालें, हम आप से शिकवा करेंगे और आप उनसे कुछ कह न सकेंगे।

मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि चाहे उत्तर प्रदेश में हो, चाहे बिहार और गुजरात में हो चाहे दिल्ली में हो, आपनेवक्फ बोर्ड में सब उन्हीं लोगों को रखा हुआ है जिनको कि आप समझते हैं कि आजादी के पहले इन्होंने हमारा साथ दिया था। मैं आपसे कहता हूं कि अगर आपको उनकी परवरिश करनी है तो कीजिए, मुझे कोई एतराज नहीं है। नेपाल के बार्डर पर बहुत मैदान पड़े हैं, वहां उन्हें जगह दीजिए। वहां के खेत बोएं जोतें और अपना गुजर करें लेकिन आजादी के लिए दी गयी कुर्बानी के लिए हमारे बाप-दादाओं की जायदादें बेचने का उनको हक हासिल नहीं है।

मैं आपसे फिर गुजारिश करता हूं कि आप वक्फ बोर्ड तोड़िये और वक्फ कमिश्नर मुकर्रर कीजिए। दिल्ली की सारी मस्जिदों और जायदादों के लिए आप पार्लियामेंट के 11 मेम्बरान की एक निगरां कमेटी बना दीजिए जो अपनी निगरानी में, बजरिये पुलिस कमिश्नर उनको खाली करा सके। इससे आपकी जम्हुरियत की लाज बचेगी और मुसलमानों की जायदादों की भी हिफाजत होगी।

बस मुझे यही अर्ज करना है।

श्री अशफाक हुसैन (महाराजगंज) : मातरम डिप्टी स्पीकर साहब, मैं इस बिल पर जिस तरह से बहस हो रही है उसके मुआफिकतमें खड़ा हुआ हूं मुआफिकतम करने का मतलब यह है कि जायदादों को मौका दे दिया जाए कि उनके लिमिटेशन खत्म हो कर के वे दूसरों के हवाले हो जाएं। इसलिए मैं इसकी मुआफिकतमें खड़ा हुआ हूं।

जहां तक वक्फ की जायदाद का सवाल है और उस पर गासिबाना कब्जे का सवाल है, हमारे और साथियों ने, मौलाना साहब ने, जमीलुर्रहमान साहब ने, जैनल बशर साहब ने उसका जिक्र किया है। इधर के साथियों ने भी जिक्र किया है इस सब पर बहस हुई है मैं इस पर बोलते हुए एक बहुत भारी शख्सियत का एक खत पढ़ कर सुनाना चाहूंगा कि किसी तरह से वक्फ की

जायदाद पर सरकार के मुहकमे कब्जा किये हुए हैं हिन्दुस्तान की सबसे बड़ी शख्सियत, हुकूमत की वजीरेआजम के कहने, खत लिखने के बाद भी उनके कान पर जूं तक नहीं रेंगी। मैं उस खत का थोड़ा-सा हिस्सा पढ़कर सुनाना चाहता हूं जो प्रधानमन्त्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने 1974 में सूबों के, रियासतों के वजीरेआला और मर्कजी टेरीटरीज को लिखा था। श्रीमती गांधी ने लिखा —

"मैं इस तथ्य से बहुत चिंतित हूं कि वक्फ जायदादों पर गैर-कानूनी दखलकारों ने सुनिचित रूप से कब्जा किया हुआ है।"

यहां तक बात नहीं है उन्होंने साफ-साफ लिखा है :—

"अत्याधिक दुःखद तथ्य यह है कि कुछ जायदादें सरकार और स्थानीय निकायों के कब्जे में हैं।"

"मैं मुख्य मंत्रियों से निवेदन करता हूं कि वे इस प्रश्न पर अपना ध्यान दें और देखें कि ये जायदादें वक्फ बोर्ड को वापिस दी जायं और ऐसा करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि इस बात को विचार-विमर्श से सुलझाया जाए कि किस तरीके से जायदाद वापिस की जा सकती है।"

वह 1974 की बात है और 1974 से अब तक 8 साल समय गुजर चुका है। ऐसा लगता है जैसे कि कल इस सदन में कैपिटेशन फीस के बारे में बहस हो रही थी। कैपिटेशन फीस के मामले में प्रधानमंत्री की मर्जी है, केन्द्रीय सरकार की मर्जी है और यहां तक कि बिहार सरकार की भी मर्जी है, कि कैपिटेशन फीस न ली जाए, लेकिन कैपिटेशन फीस ली जा रही है। बिहार, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश जहां फीस ली जा रही है वहां तो मान लिया जाय कि प्रधानमन्त्री की रिट नहीं चल रही, लेकिन इस मामले में तो दिल्ली में जहां सीधी हुकूमत केन्द्रीय सरकार की है, अफसोस की बात है कि वहां भी प्रधानमन्त्री की रिट नहीं चल रही है।

तो मामला इतना अहम हैं कि उसके लिए जरूरी है कि कारगर कदम, फौरी कदम उठाए जाएं। जो सर्वे इस वक्त हो रहा है और जो एक्सटेंशन की बात कही गई है इस बिल के जरिए, मेरी जानकारी में 31 दिसम्बर 1981 तक 2447 वक्फ की जायदादें दिल्ली के अन्दर सर्वे हुई और उनमें से 1811 का गजट भी हो गया, लेकिन मैं यह जानना चाहूंगा कि गजट होने के बाद कब्जा कितनी जायदादों पर वक्फ बोर्ड को दिया गया ? और अगर नहीं दिया गया है तो पोजीशन क्या है और क्या इसमें ज्यादातर डी० डी० ए० और सरकारी महकमे शामिल नहीं हैं ?

दूसरा सवाल लैण्ड एक्वीजीशन के बारे में है। हमारे साथी श्री जैनुल बशर जी ने इसका हवाला दिया और एक खतरनाक पहलू की तरफ ध्यान दिलाया कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले से मस्जिद को भी एक्वायर कर लिया गया। तो अगर सरकार की वाकयी नीयत है कि मुसलमानों के पर्सनल ला में कोई दखलअन्दाजी न की जाय तो लैण्ड एक्वीजीशन के जरिए मस्जिद, कब्रिस्तान, ईदगाह और इबादतगाहों या इस तरह की और जगहों को लैण्ड एक्वीजीशन एक्ट से

मुस्तसना क्यों नहीं किया जाता । मैं मांग करूंगा कि इनको लैण्ड एक्वीजीशन एक्ट से मुस्तसना किया जाय । सबसे ज्यादा खतरनाक बात यह है कि वजीरे आजम इसके बारे में खत लिखती हैं लेकिन दूसरी तरफ अभी पिछले महीने राज्य सभा में एक सवाल पेश हुआ था जिसमें पूछा गया था कि वर्नी कमेटी की रिपोर्ट के ऊपर सरकार क्या करने जा रही है जिस के जवाब में यह बताया गया था :

"दिल्ली वक्फ बोर्ड द्वारा जिनकी संपत्तियों का दावा किया गया है, सरकार का उनके संबंध में वर्नी समिति की सिफारिशों को विभिन्न चरणों में कार्यान्वयन पर विचार करने का इरादा है ।

आप फेजिज में करेंगे या एक साथ करेंगे, इस पर बुनियादी एतराज की कोई गुंजाइश नहीं है । लेकिन सबसे ज्यादा खतरनाक पहलू जो है उसकी तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं । वह खतरनाक बात यह है कि आपकी जुबान से निकल गया जानबूझकर या बिना जाने बूझे :

"लेकिन जिनकी दिल्ली का योजनाबद्ध तरीके से विकास करने के लिए आवश्यकता नहीं है ।"

इसका मतलब यह है कि वही जायदादें हवाले की जाएंगी वर्नी रिपोर्ट के मुताबिक जिनकी दिल्ली के प्लांड डिवेलेपमेंट के लिए जरूरत नहीं होगी । आप समझ लें कि दिल्ली का डिवेलेपमेंट ऐसा हाथी है, ऐसा परदा है जिसके पीछे सारी वक्फ की जायदादें हड़प की जा सकती हैं और उनको हड़प करने की साजिशें भी की जा रही हैं इससे आप होशियार रहें । वक्फ किसी एक आदमी की जायदाद नहीं होती है । अगर वाकई में आप वक्फ की जायदादों का कुछ तस्फिया चाहते हैं तो वक्फ की जायदादों का तस्फिया ला कोर्ट्स में, सिविल कोर्ट्स में नहीं हो पाएगा । आज तक का तजुर्वा यह है कि बीस-बीस साल तक पच्चीस पच्चीस साल तक मुकदमें चलते रहे हैं और चलने के बाद भी वक्फ की जायदादों को यह जो एक्ट है इसके तहत लाया जाए और खाली कराया जाए क्योंकि ये भी पब्लिक प्रैमेजिज होते हैं ।

कुछ लोगों में खुशफहमी है और वे समझते हैं कि वक्फ की जायदादें—इतनी हैं कि इनसे मुस्लिम कोम की तालड़ेम का, समाजी वहबूदी का सारा इन्तजाम हो सकता है और उसमें शायद मदद की जरूरत न पड़ै । लेकिन ऐसी बात नहीं है । कुछ दिन पहले अखबारों में आया था कि 75 लाख की वक्फ की आमदनी में से दिल्ली में एक वोकेशनल टेनिंग इंस्टीट्यूट खोला जाएगा । सुर्खी यह थी :

"75 लाख रुपये की वक्फ की आमदनी में से दिल्ली में शीघ्र ही एक व्यवसायिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की जायेगी ।"

इसका क्या हुआ ? क्यों यह स्कीम अमल में नहीं आई । दिल्ली वक्फ बोर्ड की तरफ से शायद यह शाया हुआ था या दिल्ली वक्फ बोर्ड की तरफ से इसको किसी ने शाया कराया था । तो क्या रुपया नहीं था ? अगर रुपया नहीं था तो इस तरह की खबर अवाम में गलतफहमी पैदा करने के लिए नहीं देनी चाहिए ।

मैं एक और बात आप से कहना चाहूंगा और मन्त्री जी से चाहूंगा कि उस पर गौर करें

कि वक्फ का एक काम्प्रीहेंसिव कानून वह लाएंगे, उसमें जो मेम्बरों ने उनको सलाह दी है और सदन के लोगों ने जो अपनी बात कही है, उस पर ध्यान रखेंगे लेकिन एक और वह ध्यान में रखें, उस पर गौर करें कि क्या इस वक्फ के कानून को सारी पाबन्दियों से बचाने के लिए कांस्टीच्यूशन के नाइन्थ शेडयूल के अन्दर लाया जा सकता हैं ? इस पासिबिलिटी पर भी वह गौर करें। जब कि लैंड सीलिंग ऐक्ट और तमाम तरह के कानूनों को तहफूज देने के लिए कांटीच्यूशन के नाइन्थ शेडयूल का इस्तेमाल किया जाता है तो मुसलमानों के वक्फ के कानून को भी वह नाइन्थ शेडयूल के तहत लाएं।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं।

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्रायल में राज्य मन्त्री (श्री ए० ए० रहीम) : जिन माननीय सदस्यों ने वक्तव्य दिया है, वे विधेयक की पूरी महत्ता समझते हैं और उन्होंने इस विधेयक के सम्बन्ध में मुझे पूरा समर्थन दिया है। प्रथमतः मैं उन सदस्यों को धन्यवाद देता हूं।

बहुत से विद्वान सदस्यों ने वर्तमान स्थिति के सम्बन्ध में अपने विचार व्यक्त किए और उन्हें वक्फ सम्पत्तियों और कुछ वक्फ बोर्डों की स्थिति पर प्रकाश डालने का अवसर प्राप्त हुआ है। वे संपत्तियों के हस्तान्तरण, अनाधिकार कब्जे और कुप्रबन्ध के बारे में विस्तार से बोले। इस प्रकार वक्फ बोर्ड भी सम्पत्तियों पर काफी चर्चा हुई, लेकिन उस चर्चा का वास्तव में इस विधेयक से सीधा सम्बन्ध नहीं है। सरकार उन सुझावों पर ध्यान देगी और निश्चित रूप से प्रशासन में सुधार करने का प्रयत्न करेगी।

वक्फ अधिनियम के पहले ही चर्चा शुरू हो चुकी है और स्वतः इसी वर्ष संसद में प्रस्तुत किया जायगा। उस समय इन प्रश्नों पर विस्तार में चर्चा की जा सकती है। अधिनिम में संशोधन करने से, वर्तमान स्थिति में सुधार किया जा सकता है।

वक्फ संपत्तियां को वापिस दिलाने के सम्बन्ध में प्राधिकारियों द्वारा की गई उपेक्षा की आलोचना की गई। मेरे पास अन्य राज्यों के आंकड़े नहीं है लेकिन इस सम्बन्ध में दिल्ली वक्फ बोर्ड के कार्यो सम्बन्धी कुछ आंकड़े मेरे पास हैं। दिल्ली वक्फ बोर्ड ने जनवरी 1976 से दिसम्बर 1980 तक 5 वर्षों में 577 मामले दायर किए, जो इस प्रकार हैं।

1976—16

1977—3

1978—40

1979—34

1980—484

कुल मिलाकर में 577 मामले हैं। उपरोक्त मामलों में से 159 मामलों पर निर्णय किया गया है। और 49 मामले रद्द कर दिए गए हैं। दिल्ली वक्फ बोर्ड ने उन 49 मामलों की अपील की है, जिन्हें रद्द कर दिया गया है। और सार्वजनिक वक्फ परिसीमा विस्तारण (दिल्ली संशोधन)

विधेयक, 1982 पारित जाने पर दिल्ली वक्फ बोर्ड उन्हें कब्जों से मुक्त कराने के लिए करीब 300 और मामले दायर करने का इरादा रखता है चूंकि वक्फ संपत्तियों का सर्वेक्षण चल रहा है। ऐसे मामलों की संख्या बढ़ भी सकती है।

मैं सदस्यों को आश्वासन देता हूं कि सर्वेक्षण कार्य जल्दी पूरा किया जायेगा । जहां तक बर्नी समिति की रिपोर्ट की सम्बन्ध है में समिति ने अपनी रिपोर्ट 1976 में प्रस्तुत थी और कुल मिलाकर 209 संपत्तियों पर विचार किया था सरकार उस रिपोर्ट को चरणबद्ध रुप से कार्यान्वित करने पर विचार कर रही है । आप यह महसूस करेंगे कि इसमें पहले इनको समाधान करना होगा । मैं कह सकता हूं कि इस सम्बन्ध में कुछ ठोस कार्य किया जायेगा । मुझे आशा है कि हमें सदस्यों का सहयोग मिलेगा । इस विधेयक का उद्देश्य संपत्तियों को पुनः वापिस दिलाना उनकी सुरक्षा और उन्हें वास्तविक मालिकों को वापिस दिलाना है।

इन शब्दों के साथ मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक पर विचार किया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्न यह है—

"कि दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में यथाप्रवृत सार्वजनिक वक्फ (परिसीमा का विस्तारण) अधिनियम, 1959, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाये"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

उपाययक्ष महोदय : अव विधेयक पर खंडवार विचार आरम्भ करेगी।

खंड-2

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है—

"कि खंड-2 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 1 अधिनियम सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिए गए

श्री ए० ए० रहीम : मैं प्रस्ताव करता हूं—

"कि विधेयक पारित कर दिया जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है—

" कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

उपाध्यक्ष महोदय : सभा सोमवार, 9 अगस्त, 1982 को 11 बजे समवेत होने तक के लिए स्थगित होती है।

तत्पश्चात लोक सभा 9 अगस्त 1982/18 को श्रावण 1904 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

प्रबन्धक— आर० आर० गुप्ता प्रैस, 472, पं० रामचन्द्र देहलवी मार्ग, दिल्ली-120009
द्वारा मुद्रित